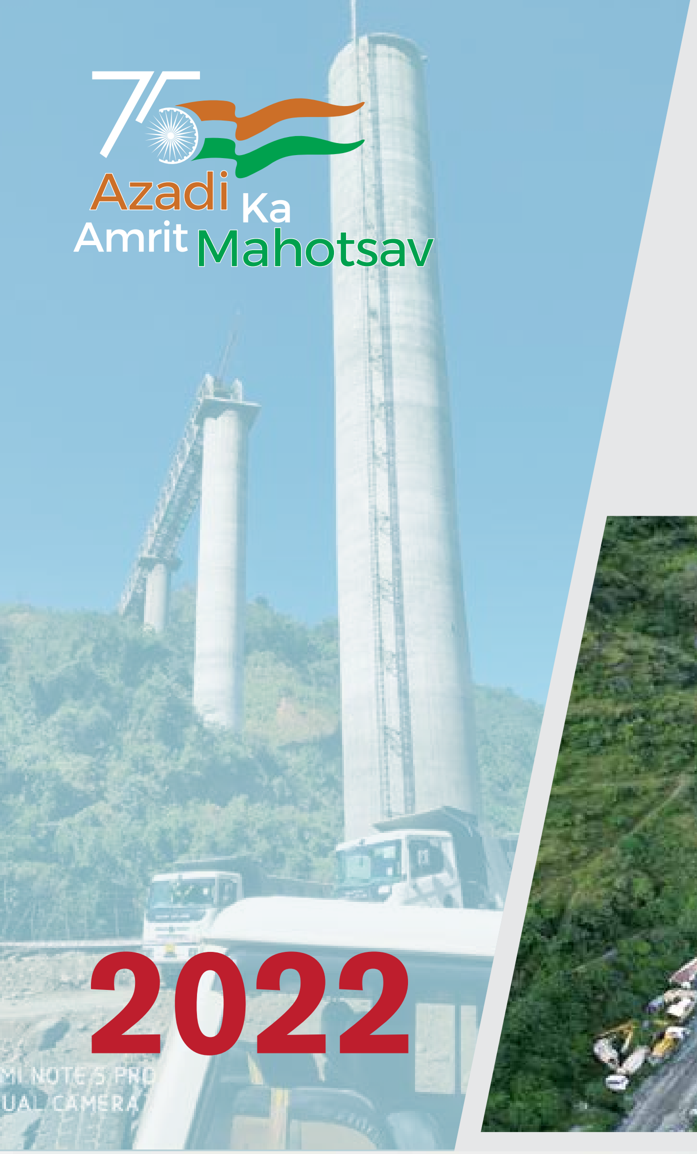

36वाँ वार्षिक प्रतिवेदन

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष

36TH ANNUAL REPORT

YEAR ENDED 31ST MARCH 2022

BBJ KOLKATA

दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड
जेसप कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

THE BRAITHWAITE BURN AND JESSOP
CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

(A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE)

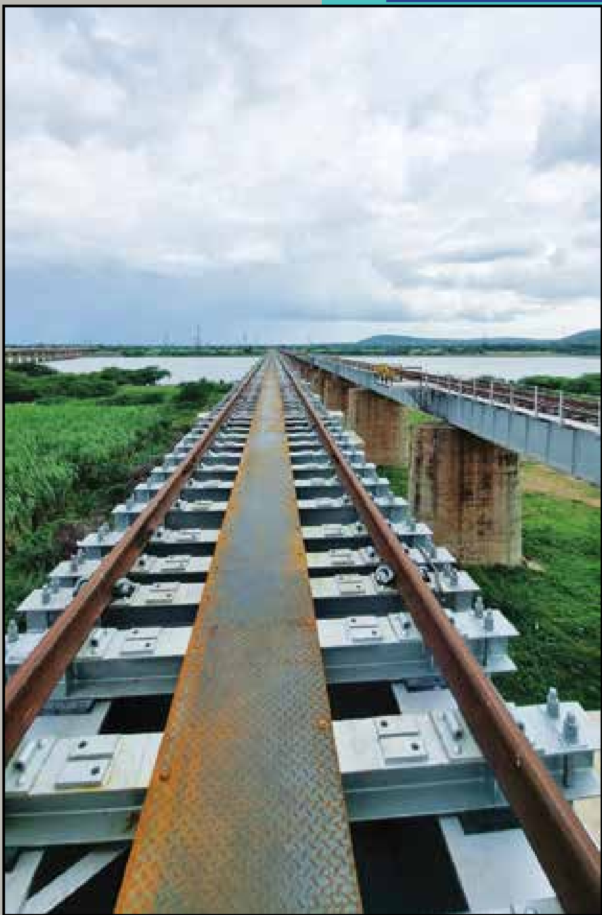

Erection is in progress for Bridge at Gadag Hodgi, Karnataka
गडग-होटगी,कर्नाटक में पुल का निर्माण कार्य प्रगति पर है

बैराबी, मिजोरम में पुल निर्माण कार्य प्रगति पर है -
Erection is in progress for Bridge at Bairabi, Mizoram

निदेशक मंडल / BOARD OF DIRECTORS

श्री राजेश कुमार सिंह

SHRI RAJESH KUMAR SINGH

अध्यक्ष एव प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) / Chairman & Managing Director (Additional Charge)

श्री मुकेश कुमार

SHRI MUKESH KUMAR

निदेशक - वित्त / Director - Finance

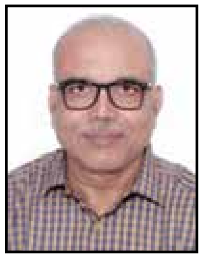

श्री राजीव कुमार सिंह

SHRI RAJIV KUMAR SINGH

निदेशक - तकनीकी / Director - Technical

सरकारी नॉमिनी निदेशक / GOVERNMENT NOMINEE DIRECTOR

श्री आदित्य कुमार घोष

SHRI ADITYA KUMAR GHOSH

स्वतंत्र निदेशक / INDEPENDENT DIRECTOR

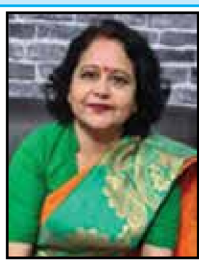

श्रीमती सरला देवी

SMT. SARLA DEVI

विषय सूची

		पृष्ठ संखा
1.	निदेशक मंडल	1
2.	शेयरधारकों को सूचना	2
3.	अध्यक्ष का संदेश	6
4.	निदेशकों का प्रतिवेदन	8
5.	लेखापरीक्षकों का टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर	35
6.	स्वतन्त्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	38
7.	नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	52
8.	तुलन पत्र	53
9.	लाभ एवं हानि का विवरण	55
10.	नकद प्रवाह का विवरण	56
11.	इक्विटी में परिवर्तन का विवरण	58
12	कंपनी सूचना, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ एवं वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ	59

वित्तीय वर्ष 2021-22के लिए निदेशकों की अद्यतन सूची

		नाम	अवधि
		श्री राजेश कुमार सिंह अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक- अतिरिक्त प्रभार	26.09.2022 से
		श्री सुंदर बनर्जी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं निदेशक (तकनीकी)- अतिरिक्त प्रभार	30.07.2022 तक 01 01 2022 से 20.05.2022 तक
		श्री अर्नब चटर्जी निदेशक (तकनीकी)	31.12.2021 तक
		श्री राजीव कुमार सिंह निदेशक (तकनीकी)	21.05.2022 से
		श्री मुकेश कुमार निदेशक (वित्त)	पूरे वर्ष
		श्री रमाकांत सिंह सरकारी नॉमिनी निदेशक	11.11.2020 से 18.06.2021 तक
		श्री आदित्य कुमार घोष सरकारी नॉमिनी निदेशक	01.07.2021 से
		श्रीमतीसरला देवी स्वतंत्र निदेशक	15.02.2022 से
मुख्य सतर्कता अधिकारीः	:	**सुश्री चंद्रानी गुप्ता**	पूरे वर्ष
लेखा परीक्षकः	:	बी.मुखर्जी एंड कं. सनदी लेखाकार	
सॉलिसिटर	:	फॉक्स एंड मंडल कोलकाता	
		सैंडर्सन्स एंड मॉर्गन्स कोलकाता	
बैंकर्सः	:	भारतीय स्टेट बैंक केनरा बैंक एचडीएफसी बैंक एक्सिस बैंक यस बैंक	
पंजीकृत कार्यालयः	:	27, आरएन मुखर्जी रोड, कोलकाता-700001	

36वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि **ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड** के सदस्यों की 36 वीं **वार्षिक आम बैठक** (एजीएम) **शुक्रवार, 30 सितंबर, 2022** को **दोपहर 03:30 बजे** कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में **27, आरएन मुखर्जी रोड, कोलकाता - 700001, पश्चिम बंगाल** में निम्नलिखित कार्यों के निष्पादन के लिए आयोजित की जाएगी: –

साधारण काम-काज :

1. कंपनी की लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों जिसमें 31 मार्च, 2022 को स्थित तुलन-पत्र, लाभ और हानि लेखा का विवरण, नकद प्रवाह एवं इक्विटी में परिवर्तन के साथ 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु इसके अंश के तौर पर टिप्पणियाँ आदि सहित वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक तैयार की गयी निदेशक मंडल के प्रतिवेदन, स्वतंत्र लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन तथा उस पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों को ग्रहण करना, उस पर विचार करना और उसे पारित करना।

2. वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए लाभांश की घोषणा करना।

3. वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किये जाने वाले स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल को अधिकृत करना।

4. सरकारी आदेश से निदेशकों की नियुक्ति पर ध्यान देना।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

(नवीन कुमार मिश्रा)
कंपनी सचिव

पंजीकृत कार्यालय :

27, आर.एन. मुखर्जी रोड,

कोलकाता- 700001

दिनांक : 08 सितम्बर, 2022

प्रतिलिपि: सभी निदेशकों और सांविधिक लेखा परीक्षकों को

द्रष्टव्य:

1. **बैठक में भाग लेने और मतदान करने का हकदार सदस्य स्वयं के बजाय भाग लेने और मतदान करने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है और इस तरह के प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है। प्रॉक्सी फॉर्म इस नोटिस के साथ संलग्न है।**

2. कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित करने का स्पष्टीकरण विषय पर अपने परिपत्र (फाइल संख्या नीति - 17/57/2021 सीएल-एमसीए दिनांक 05.05.2022) के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से एजीएम आयोजित करने की अनुमति दी और तदनुसार, यदि आवश्यक हो तो कंपनी की 36 वीं एजीएम आयोजित की जाएगी।

3. वार्षिक आम बैठक की सूचना में निर्दिष्ट स्थल पर 36वीं वार्षिक आम बैठक आयोजित होगी।

प्रतिपुरूष प्रपत्र

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105 (6) और कंपनियों (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19(3) के अनुसरण में]

सीआईएन	**:**	**यू70100डब्ल्यूबी 198जीओआई041286**
कंपनी का नाम	**:**	**दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड**
पंजीकृत कार्यालय	**:**	**27, आर. एन. मुखर्जी रोड, मोदी बिल्डिंग, कोलकाता, पं.बं. 700001, भारत**

सदस्य (यों) के नाम	:	
पंजीकृत पता	:	
ईमेल आईडी	:	
फोलियो नं. / ग्राहक आईडी	:	
डीपी आईडी	:	लागू नहीं

मैं / हम उपर्युक्त नाम की कंपनी में ………………………. शेयर के धारक होने के नाते कंपनी के सदस्य के रूप में एतद्द्वारा निम्नलिखित

1. नाम: ……………. पता : ईमेल आईडी:
   हस्ताक्षरः.. , या उसके चूकने पर
2. नाम: ……………. पता : ईमेल आईडी:
   हस्ताक्षरः.. , या उसके चूकने पर
3. नाम: ……………. पता : ईमेल आईडी:
   हस्ताक्षरः...

को मेरे / हमारे तथा मेरी / हमारी ओर से मंगलवार, 30 सितम्बर, 2022 को, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, कोलकाता में आयोजित कंपनी के सदस्यों की 36 वीं वार्षिक आम बैठक में भाग लेने और मतदान करने (मतदान में) के लिए प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करता/ते हूँ/ हैं और इस तरह के संकल्पों के संबंध में इसके किसी भी स्थगन निम्न रूप में दिए गए हैं।

संकल्प संख्या

1 …………

2 …………

3 …………

4 …………

राजस्व स्टाम्प
चिपकाएं

..........................2022 के ....वें दिन हस्ताक्षरित

हस्ताक्षरः .... (शेयरधारक के हस्ताक्षर)

द्रष्टव्य : इस प्रॉक्सी फार्म के प्रभावी होने के लिए इसे विधिवत रूप से पूरा भर कर एवं बैठक के प्रारंभ होने के पूर्व कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए।

शेयरधारकों को दिनांक 08 सितंबर, 2022 के नोटिस का परिशिष्ट

दि ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के शेयरधारकों की **36वीं वार्षिक आम बैठक** जो शुक्रवार, 30 सितंबर, 2022 को 3:30 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, 27 आर एन मुखर्जी रोड, कोलकाता- 700020, पश्चिम बंगाल में सामान्य व्यवसाय करने हेतु आयोजित की जाएगी, को बुलाने हेतु दिनांक 08 सितंबर, 2022 की हमारी सूचना के साथ वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए दि ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में निम्नलिखित प्रस्तुत है (वार्षिक रिपोर्ट का पूरा सेट)

1. 36वीं एजीएम 2022 के लिए सदस्यों को अध्यक्ष का संदेश;
2. वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण;
3. बोर्ड द्वारा अनुमोदित, एजीएम की तारीख तक बनाए गए अनुलग्नकों के साथ निदेशकों की रिपोर्ट
4. 6 सितंबर, 2022 की संशोधित स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट, पूर्ववर्ती 22 जुलाई, 2022 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अधिक्रमण में; तथा
5. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

बोर्ड के आदेशानुसार

(नवीन कुमार मिश्रा)
कंपनी सचिव

पंजीकृत कार्यालय:
27, आरएन मुखर्जी रोड
कोलकाता 700001

दिनांक: 30 सितंबर, 2022

प्रतिलिपि: सभी निदेशकों एवं सांविधिक लेखापरीक्षकों को

अध्यक्ष का संदेश

प्रिय शेयरधारकों,

निदेशक मंडल की ओर से, मुझे कंपनी के सदस्यों की 36 वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है। निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के साथ 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों वाली वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति पहले ही परिचालित की जा चुकी है ।

निरंतर उत्थान और भविष्य के विकास के लिए, कंपनी परिचालन के मौजूदा क्षेत्रों (ईपीसी) में अपने व्यवसाय को महत्वपूर्ण रूप से विकसित करने के साथ-साथ नए व्यापार वर्टिकल (पीएमसी) के तहत बड़े व्यापारिक अवसरों को भुनाने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। आईटीडी सीमेंटेशन लिमिटेड के साथ रणनीतिक संयुक्त उद्यम के जरिए आरवीएनएल से नए ऑर्डर से निवल लाभ या हानि में सुधार होगा।

आज की बैठक के औपचारिक एजेंडे को आगे बढ़ाने से पहले, मैं वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान आपकी कंपनी के प्रदर्शन को संक्षेप में आपके साथ साझा करूँगा। चुनौतियों के बावजूद, कंपनी ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ₹ 114184.10 लाख की कुल आय अर्जित की, जबकि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान यह ₹ 10361.04 लाख थी । उक्त अवधि के लिए शुद्ध लाभ (कर पश्चात लाभ) ₹ 315.42 लाख (पिछले वित्तीय वर्ष ₹ 1168.01 लाख) है।

निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ₹ 94,62,696/- के लाभांश के भुगतान के लिए 36 वीं वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों को अपनी मंजूरी के लिए सिफारिश की है (प्रभावी दर ₹ 7.82 प्रति इक्विटी शेयर लगभग)।

कंपनी में औद्योगिक संबंध पूरे साल सौहार्दपूर्ण रहे।

कंपनी डीपीई, भारत सरकार द्वारा जारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। कॉरपोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के तहत त्रैमासिक और वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट बिना किसी देरी के निर्धारित नियत तिथि के भीतर डीपीई के साथ दायर की जाती है। डीपीई द्वारा जारी सीपीएसई की ग्रेडिंग रिपोर्ट के अनुसार, बीबीजे ने कॉरपोरेट गवर्नेंस अनुपालन के लिए लगातार 'उत्कृष्ट' ग्रेड हासिल किया है।

कॉरपोरेट गवर्नेंस पर विस्तृत रिपोर्ट वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी की निदेशकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक में अलग से दी गई है।

मैं इस अवसर पर कंपनी के समग्र प्रबंधन में अपने बहुमूल्य समर्थन और सहयोग के लिए निदेशक मंडल में अपने सहयोगियों के प्रति अपना हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ।

मैं भारी उद्योग मंत्रालय, रेल मंत्रालय और भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, आरवीएनएल, इरकॉन, वित्तीय संस्थानों, बैंकों, नियामक और सांविधिक प्राधिकरणों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षकों, लेखा परीक्षकों, कानूनी सलाहकारों और सलाहकारों, संयुक्त उद्यम भागीदारों और सभी हितधारकों से प्राप्त पूरे दिल से समर्थन के लिए भी आभारी हूँ। हम कंपनी के भावी प्रयासों में उनके निरंतर समर्थन की कामना करते हैं।

मैं, पूरे निदेशक मंडल की ओर से, सभी स्तरों पर बीबीजे के कर्मचारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ और उनकी प्रतिबद्धता, कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए अपनी प्रशंसा दर्ज करना चाहता हूँ।

आप सभी को धन्यवाद

जय हिन्द

राजेश कुमार सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांकः 30 सितंबर, 2022

स्थानः कोलकाता

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में

शेयरधारकगण,

दि ब्रेथवेट बर्न एंड जेसोप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष) के लिए लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों के साथ-साथ कंपनी के संचालन और प्रदर्शन पर 36वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

1 वित्तीय विशिष्टताएँ

1.0.1 कंपनी के वित्तीय विवरण लेखांकन के आधार पर तैयार किए जाते हैं और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) और बाद में कंपनी अधिनियम, 2013 और लागू प्रावधानों के तहत अधिसूचित और लागू प्रावधानों एवं उसके विस्तार तक संशोधनों का अनुपालन किया जाता है। वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान प्रथम इंड एएस अनुपालन वित्तीय विवरण और इंड एएस 101 'फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स' लागू किए गए थे और उसके बाद लगातार इसका पालन किया गया है।

1.0.2 वित्तीय वर्ष 2021-2022 की तुलना में 2020-2021 के लिए कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन का सारांश नीचे दिया गया है: -

(₹ लाख में)

ब्यौरा	2021-2022	2020-2021
संचालन से राजस्व	13701.36	7053.86
अन्य आय	482.74	3307.19
मूल्यह्रास से पहले लाभ/हानि, वित्त लागत, असाधारण वस्तुएं और कर व्यय	609.92	1729.10
घटाएँ: मूल्यह्रास/ परिशोधन /क्षति	97.51	93.37
वित्त लागत, असाधारण वस्तुओं और कर व्यय से पहले लाभ / हानि	512.41	1635.73
घटाएँ: वित्त लागत	18.28	128.68
कर व्यय से पहले लाभ / हानि	494.13	1507.05
घटाएँ: कर व्यय (वर्तमान और आस्थगित)	178.71	339.04
वर्ष के लिए लाभ / हानि	315.42	1168.01

1.0.3 वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए कंपनी की कुल आय ₹14184.10 लाख है, जबकि वित्त वर्ष 2020-2021 के दौरान ₹10361.05 लाख थी। उक्त अवधि के लिए शुद्ध लाभ (कर पश्चात लाभ) ₹ 315.42 लाख (पिछले वित्तीय वर्ष ₹ 1168.01 लाख) है।

1.0.4 कोविड-19 खतरे सहित कई बाधाओं के बावजूद, बीबीजे ने जानबूझकर रेलवे और अन्य ग्राहकों से लाभकारी आदेशों को लक्षित किया, जिससे टर्नओवर और लाभप्रदता दोनों के मामले में विकास को गति मिली। आपकी कंपनी एक बार फिर लगातार लाभ कमाने वाले सीपीएसई के ट्रैक रिकॉर्ड को बनाए रखने के अपने प्रयास में सफल रही है।

2 पूंजी संरचना

2.1 वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी के पूंजी ढांचे में कोई बदलाव नहीं हुआ। 31 मार्च, 2022 को अधिकृत पूंजी ₹34810 लाख थी और चुकता शेयर पूंजी ₹ 12086.05 लाख थी।

3 सामान्य प्रारक्षित

3.1 31 मार्च, 2022 को सामान्य प्रारक्षित (सेवानिवृत्त आय को छोड़कर) ₹ 1473.65 लाख (पिछला वित्त वर्ष 2020-2021 - ₹ 1473.65

लाख) है।

4 लाभांश

4.1 लाभांश बोर्ड द्वारा अपनी सिफारिश और कंपनी के शेयरधारकों द्वारा आगामी वार्षिक आम बैठक में अनुमोदन के बाद भारत सरकार को देय हो जाएगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यकताओं के अनुसार आयोजित किया जाएगा।

4.2 लाभांश भुगतान केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के पूंजी पुनर्गठन पर दिशानिर्देशों के अनुसार होगा, जो निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) द्वारा जारी किया गया है या छूट, यदि कोई हो, जैसा कि दीपम (डीआईपीआईपीएएम) द्वारा दिया जा सकता है।

5 प्रबंधन, चर्चा और विश्लेषण

5.1 कंपनी की संक्षिप्त रूपरेखा

5.1.1 17 सितंबर, 1986 को एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसई) के रूप में शामिल , भारत के राष्ट्रपति भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) के माध्यम से, भारत सरकार अपनी संपूर्ण 100% इक्विटी शेयर पूंजी रखती है। कंपनी एमएचआई के तहत एक अनुसूची 'सी' सीपीएसई है।

5.1.2 कंपनी के कारोबार में शामिल हैं:

i. इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) व्यवसाय - स्टील ब्रिज, और

ii. परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) व्यवसाय – सिविल निर्माण कार्य।

5.1.3 कंपनी द्वारा शुरू की गई परियोजनाएं देश के विभिन्न हिस्सों में फैली हुई हैं।

5.1.4 बीबीजे की गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली गुणवत्ता नीति की आवश्यकताओं के अनुसार है और आईएसओ 9001:2015 प्रमाणन के तहत प्रमाणित है।

5.2 परिभाषित दृष्टि मिशन और बीबीजे का उद्देश्य:

5.2.1 दृष्टि

- अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और लागत प्रभावी प्रथाओं के माध्यम से उच्च इंजीनियरिंग मानक के साथ पुलों और अन्य इंजीनियरिंग चमत्कारों का नवाचार, डिजाइन और निर्माण करना।
- हितधारकों की सेवा और चिंता के साथ लाभदायक, उत्पादक, रचनात्मक, आज्ञाकारी और वित्तीय रूप से सुदृढ़ बने रहना।

5.2.2 मिशन और उद्देश्य

- एक विश्व स्तरीय प्रमुख इंजीनियरिंग परियोजना कार्यान्वयन संगठन बनना।
- देश के भीतर और बाहर सिग्नेचर ब्रिज और इंजीनियरिंग चमत्कारों का निर्माण करना।
- नवोन्मेषी, उद्यमी बनना, लगातार उपयोगी बनना और वैश्विक बेंचमार्क प्राप्त करना।
- नवाचार और कौशल उन्नयन के माध्यम से संगठन और कर्मचारियों की कुल ग्राहक संतुष्टि और लगातार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

5.3 **उद्योग संरचना और विकास**

5.3.1 अर्थव्यवस्था की स्थिति - वैश्विक और भारतीय अर्थव्यवस्था

वैश्विक विकास के लिए नकारात्मक जोखिमों ने कमोडिटी की कीमतों से प्रेरित मुद्रास्फीति के अधिक सामान्यीकृत होने के जोखिम के साथ जोर दिया है। वैश्विक प्रतिकूलताओं के बावजूद, घरेलू समष्टि आर्थिक स्थितियाँ सुदृढ़ होती रहीं।

5.3.2 भारतीय बुनियादी ढाँचा क्षेत्र और सरकार की पहल

5.3.0.1 सरकार की पहल निम्नलिखित के माध्यम से बुनियादी ढाँचा क्षेत्र में समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगी:

मजबूत मांग

आकर्षक अवसर

नीति समर्थन

निवेश बढ़ाना

5.3.1 बीबीजे के लिए संभावनाएँ

5.3.1.1 बुनियादी ढांचे और रेलवे के विकास के लिए सरकार की दृष्टि से उत्कृष्ट विकास अवसरों के साथ निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। आपकी कंपनी, पुल/सड़क निर्माण और सिविल निर्माण के आला खंड में अपने अनुभव, विशेषज्ञता और प्रतिभा के साथ, अवसर का लाभ उठाने के लिए अच्छी तरह से तैयार है। बाजार के विकास का नेतृत्व करने के लिए आपकी कंपनी की रणनीति, टिकाऊ जीवन योजना को अपने मूल में रखते हुए भविष्य के चैनलों का निर्माण, इसे सभी हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य बनाने में सक्षम बनाएगी। आपकी कंपनी उद्देश्य-आधारित और भविष्य के अनुकूल होने पर ध्यान देना जारी रखेगी।

5.3.1.2 आपकी कंपनी सड़क परियोजना, मेट्रो रेल परियोजनाओं, स्टेशन भवन के निर्माण, ट्रैक बिछाने और आधुनिकीकरण में प्रसार के माध्यम से निवल लाभ या निवल हानि में सुधार करने और आने वाले वर्षों में रेलवे की महत्वाकांक्षी योजना से अधिक की खोज करने के अलावा पीएमसी बिजनेस मॉडल में विविधीकरण के माध्यम से अन्य व्यावसायिक अवसरों का पता लगाने के लिए भी तैयार है।

5.3.1.3 आपकी कंपनी द्वारा उठाए गए कदमों से आपकी कंपनी के प्रदर्शन में महत्वपूर्ण सुधार होगा, जो कि पारंपरिक व्यापार प्रक्षेपवक्र से विविध क्षेत्र में वादा की गई विकास दर के साथ होगा।

5.3.1.4 भारत सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे पर निरंतर जोर देने के साथ। भारत के उत्तर पूर्व इलाके, जम्मू और कश्मीर आदि जैसे कठिन क्षेत्रों में काम करने की क्षमता के साथ बीबीजे का भविष्य उज्ज्वल है जो इसे कठिन और जटिल कार्यों के लिए पसंदीदा संगठन की स्थिति में ले जा सकता है।

5.4 शक्ति और कमज़ोरी

5.4.1 शक्ति

- मजबूत ब्रांड जागरूकता और प्रतिष्ठा, भारत में कुछ मेगा ब्रिज को निष्पादित करने में समृद्ध अनुभव, पुल, सड़कें और अन्य सिविल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में ऑपरेट करना है।
- सिविल निर्माण और बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में मान्यता प्राप्त औद्योगिक निर्माता
- दशकों का अनुभव, दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्र में काम करने का अनुभव
- जटिल परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने का ट्रैक रिकॉर्ड
- बिना लागत वृद्धि के परियोजनाओं की गुणवत्ता और समय पर पूर्णता सुनिश्चित करना
- ऑर्डर बुक की अच्छी स्थिति, इसके आकार के अनुरूप
- हमारे ग्राहकों, उप-ठेकेदारों, वित्तीय संस्थानों और अन्य हितधारकों के साथ आपसी विश्वास और सम्मान पर बने स्थायी संबंध
- कम एट्रिशन रेट वाले प्रतिभाशाली और कुशल कर्मचारी
- सकारात्मक निवल मूल्य।
- बीबीजे के पास योग्य और अनुभवी जनशक्ति है जो कठिन और दूरदराज के क्षेत्रों में विशिष्ट निर्माण परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में सक्षम है।
- शॉर्ट टर्म में ए1+ और लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट में ए+ की क्रेडिट रेटिंग सुविधाएं होना।

5.4.2 कमजोरी

- उच्च स्तर और कंपनी में प्रमुख पद पर सेवानिवृत्ति के कारण अनुभवी कर्मचारियों की संख्या में कमी,
- चूंकि कंपनी अपने छोटे आकार के कारण वित्तीय बाधाओं का सामना करती है, इसलिए बड़े कार्यों को प्राप्त करने के लिए प्रमुख परियोजनाओं की साख उपलब्ध नहीं होती है, जिससे पुल, सड़क और सिविल निर्माण आदि में मूल्यवान व्यवसाय खो जाता है।

- वित्तीय और अन्य सीमाओं के कारण बीओटी/बीओओ और अन्य प्रमुख परियोजना निष्पादन में प्रवेश करने में असमर्थता।

5.5 अवसर, जोखिम और बाधाएँ

5.5.1 अवसर

- भारत में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे की मांग
- 'आत्मनिर्भर भारत', 'नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन', 'मेक इन इंडिया' स्मार्ट सिटी मिशन और निर्माण उद्योग से संबंधित भारत सरकार की विभिन्न अन्य पहलों से अच्छे बुनियादी ढांचे विशेष रूप से रेलवे, सड़क और नागरिक निर्माण आदि की मांग होगी, इस प्रकार निर्माण कंपनियों के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान होंगे।
- बुनियादी ढाँचा क्षेत्र के लिए उच्च बजटीय आवंटन।
- उद्योग-समर्थक नीतियाँ और पहल जैसे कॉर्पोरेट टैक्स को कम करना, आरईआईटी और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की स्थापना से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर आदि में निवेश बढ़ेगा।
- भारत सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे के काम और सीमावर्ती क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों के विकास कार्यों में जोर।
- भूतल परिवहन के लिए बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर।
- प्रमुख भारतीय परियोजनाओं के लिए संयुक्त उद्यम/सहयोग।
- नए क्षेत्रों में विविधता लाने के लिए एवेन्यू (जैसे भवन निर्माण, रोड ओवरब्रिज, स्ट्रक्चरल स्टील वर्क्स आदि)।

5.5.2 जोखिम

- बुनियादी ढांचे में भारी निवेश ने बड़ी संख्या में निजी क्षेत्र के निर्माताओं को आकर्षित किया है जिससे प्रतिस्पर्धा तेज हो गई है।
- प्रतिस्पर्धा बढ़ने से लाभ मार्जिन घट सकता है।
- नामांकन के आधार पर कारोबार में कमी।
- मध्यस्थता और अदालती मामलों के कारण आकस्मिक देनदारियां।

5.5.3 बाधाएँ

5.5.3.1 यद्यपि प्रत्येक संगठन को एक निश्चित कानूनी ढांचे के भीतर काम करना होता है, एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के रूप में आपका निगम कुछ बाधाओं (निजी क्षेत्र की कंपनियों पर लागू नहीं) का सामना करता है, जो इसे प्रतिस्पर्धी बाजार में नुकसान में डालता है। कंपनी भारत के उत्तर पूर्व इलाके और अन्य परेशानी वाले क्षेत्रों में काम कर रही है जहां लोग शामिल होने के लिए अनिच्छुक हैं। हालांकि बीबीजे लगातार लाभ कमाने वाली और लाभांश भुगतान करने वाली कंपनी है, लेकिन भारत सरकार से काउंटर गारंटी की कमी और बैंकों से बैंक गारंटी की सीमा के कारण बीबीजे सीमित फंड उपलब्धता के कारण बड़े पैमाने पर राष्ट्र निर्माण में अपनी मुख्य क्षमता को आक्रामक तरीके से योगदान करने में सक्षम नहीं है।

5.5.3.2 परियोजना की लंबी निर्माणपूर्व अवधि

5.5.3.3 उच्च वृद्धि वाली सिविल निर्माण परियोजनाओं के लिए साख का अभाव।

5.5.4 जोखिम और चिंताएँ

5.5.5 निर्माण उद्योग में, प्रमुख चिंताएँ लागत मुद्रास्फीति, परियोजनाओं को समय पर पूरा करना और सरकार में बदलाव हैं। ऐसी नीतियाँ जिनके कारण समय और लागत बढ़ने का जोखिम होता है, जिनकी शायद ही कभी ग्राहकों द्वारा क्षतिपूर्ति की जाती है जिससे आपकी कंपनी को नुकसान होता है।

5.5.6 जोखिम भरे भौगोलिक क्षेत्रों में संचालन के दौरान कंपनी के कर्मचारियों और परियोजनाओं को जोखिम और जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के खतरों से अवगत कराया गया है। हालाँकि, यह राष्ट्रीय निर्माण कार्य में प्रतिष्ठित कार्यों को अंजाम देने में गर्व महसूस करता है। कंपनी ने पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के उपाय किए हैं।

5.5.7 अस्थिर स्टील की कीमत।

5.5.8 वित्तीय विवरणों पर नोट्स के अंतर्गत जोखिम संबंधी विवरणों का भी उल्लेख किया गया है।

5.6 वर्तमान संचालन, मामलों की स्थिति और भविष्य के लिए दृष्टिकोण

5.6.1 अब नामांकन के आधार पर कार्य देने के बजाय मंत्रालयों/सरकार. विभागों ने सीपीएसई के बीच प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया शुरू कर दी है। बीबीजे कड़ी प्रतिस्पर्धा में भी सुरक्षित काम करने में सक्षम है।

5.6.2 आपकी कंपनी सिविल निर्माण, औद्योगिक संरचनात्मक नौकरियों जैसे नए क्षेत्रों में विविधता लाने की भी योजना बना रही है। भारत सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे पर निरंतर जोर देने के साथ, कठिन क्षेत्रों में काम करने की क्षमता के साथ बीबीजे को विशिष्ट, जटिल और कठिन कार्यों के लिए एक पसंदीदा संगठन माना जा सकता है। बड़ी संख्या में निर्माण कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा का कंपनी के मार्जिन पर परिणामी प्रभाव पड़ा है।

5.6.3 भारत एक गर्त से उबरने की राह पर है, जिसे सक्रिय सरकार और सेंट्रल बैंक की नीतियों का समर्थन प्राप्त है। यह आने वाले दिनों में बीबीजे के प्रदर्शन में भी सकारात्मक रूप से परिलक्षित होगा।

5.7 परिचालन प्रदर्शन के संबंध में वित्तीय प्रदर्शन पर चर्चा

5.7.1 बीबीजे रेलवे के लिए इस्पात पुलों के निर्माण और निर्माण के लिए इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) कार्य में लगा हुआ है; इस एकल ग्राहक निर्भरता के परिणामस्वरूप अतीत में वित्तीय प्रदर्शन में उच्च परिवर्तनशीलता रही है।

5.7.2 कंपनी के वर्तमान व्यावसायिक कार्यक्षेत्र नीचे दिए गए हैं:

क्रमांक	विवरण	उत्पाद और सेवाएं	ग्राहक / क्लाइंट
(क)	इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) व्यवसाय - स्टील ब्रिज	**निर्माण कार्य :** स्टील ब्रिज, केबल स्टे ब्रिज, पुराने पुलों का पुनर्वास, ब्रिज गर्डर्स का निर्माण और आपूर्ति	भारतीय रेलवे, आरवीएनएल, राइट्स, इरकॉन, दिल्ली/मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, हुगली नदी पुल आयुक्त।
(ख)	परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) व्यवसाय – सिविल निर्माण कार्य	**निर्माण कार्य :** भवन, स्कूल परिसर, सड़क	केन्द्रीय विद्यालय संगठन, उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी), पश्चिम बंगाल मत्स्य निगम लिमिटेड, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, बेनफिश
(ग)	औद्योगिक संरचना	कोयला प्रबंधन संयंत्र के लिए इस्पात संरचना का निर्माण और निर्माण	मेकॉन

5.7.3 परिचालन प्रदर्शन

5.7.3.1 वर्ष 2021-2022 के दौरान, आपकी कंपनी ने विभिन्न रेलवे प्राधिकरणों और मेकॉन लिमिटेड और अन्य सीपीएसई से ₹ 10540.98 लाख मूल्य के नए रेलवे ब्रिज और अन्य परियोजना ऑर्डर प्राप्त किए हैं।

5.7.3.2 31 मार्च, 2022 को प्रभावी ऑर्डर बुक की स्थिति रेलवे ब्रिज परियोजनाओं से ₹ 67846.20 लाख और औद्योगिक संरचना नौकरियों सहित सिविल परियोजनाओं से ₹ 6814.48 लाख है, जिसका समापन ₹ 74660.68 लाख है।

5.7.4 विविधीकरण और भविष्य का दृष्टिकोण

5.7.4.1 भविष्य के लिए दृष्टिकोण सकारात्मक है और कंपनी के आगामी वर्ष में और बेहतर प्रदर्शन करने की संभावना है।

5.7.4.2 परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) और इंजीनियरिंग खरीद और अनुबंध (ईपीसी) नामक दो व्यवसाय मॉडल के तहत उत्पाद लाइन के विविधीकरण के लिए आपकी कंपनी द्वारा कदम उठाए जाते हैं। सिविल इंजीनियरिंग और निर्माण परियोजनाएं, मौजूदा उत्पाद मिश्रण के अलावा, वे सभी हैं जो आपकी कंपनी के व्यवसाय मॉडल के भीतर आते हैं और सीमित साधनों और संसाधनों के साथ हमने पहले से ही सड़क, पुल और सिविल निर्माण कार्यों के निर्माण के लिए आदेश निष्पादित किए हैं, जिसमें अनुभव, विशेषज्ञता और दक्षता के स्तर के साथ काम करता है नौकरी की आवश्यकता के साथ मेल खाता है।

5.7.4.3 आदेशों के सफल निष्पादन के बाद, आपकी कंपनी को अब आने वाले दिनों में इसी तरह के और अधिक ऑर्डर मिलने की उम्मीद है, जिससे उत्पादन और लाभप्रदता में महत्वपूर्ण सुधार होगा।

5.7.4.4 हमें आपको यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि आपकी कंपनी, विपणन परिदृश्य में और सुधार लाने के अभियान में, मणिपुर में दो पुलों के निर्माण के लिए नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर (एनएफ) रेलवे से प्राप्त एक ऑर्डर निष्पादित कर रही है। इस कार्य से कंपनी के प्रोफाइल को एक नई गति मिलने की उम्मीद है।

5.7.4.5 उच्च मूल्य वाली निविदाओं के लिए बोली लगाने के लिए निर्माण उद्योग में अन्य प्रमुख निर्माताओं के साथ समझौता ज्ञापन / संघ के रूप में रणनीतिक गठजोड़ आपकी कंपनी के विचाराधीन है। इस नीतिगत पहल का मुख्य उद्देश्य एमओयू प्रक्रिया के माध्यम से कंपनियों के बीच तकनीकी-आर्थिक तालमेल के लाभ का पता लगाना है। तकनीकी रूप से अनुकूल होने के अलावा, प्रक्रिया समय के साथ कंपनियों और संघ के लिए फायदेमंद हो जाएगी और इसके परिणामस्वरूप निवल लाभ या हानि में मूल्यवर्धन होगा।

5.7.4.6 श्रावस्ती (उत्तर प्रदेश) में केन्द्रीय विद्यालय के लिए 'ए' टाइप स्कूल भवन और संबंधित सिविल कार्यों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

5.7.5 बीबीजे की योजना निम्नलिखित तरीके से अपनी मुख्य क्षमता को मजबूत करने और नए व्यावसायिक कार्यक्षेत्रों में उद्यम करने की है:

1) **ईपीसी व्यवसाय में विपणन प्रयासों में वृद्धि**

क) संयुक्त उद्यम के माध्यम से: बीबीजे सरकार में भाग लेने के लिए अन्य एजेंसियों के साथ/संयुक्त उद्यम (जेवी) का समझौता करता है। निविदाएं जहां अकेले बीबीजे भाग लेने के लिए पात्र नहीं हैं।

बीबीजे ने आईटीडी सीमेंटेशन इंडिया लिमिटेड के साथ एक अनिगमित संयुक्त उद्यम बनाकर इलाहाबाद (यूपी) में गंगा पुल के निर्माण के लिए आरवीएनएल द्वारा आमंत्रित एक निविदा में भाग लिया। यह काम पहले से ही इस उद्देश्य के लिए गठित एक संयुक्त उद्यम के हाथों में है और तदनुसार, इस की निर्माण गतिविधियों पुल ने अच्छी प्रगति करना शुरू कर दिया है, जो आने वाले दिनों में परियोजना की गतिविधियों में तेजी आने के बाद निश्चित रूप से न केवल टॉप लाइन बल्कि बॉटम-लाइन में भी सुधार होगा।

ख) बीबीजे राज्य संपर्क परियोजनाओं के तहत इस्पात पुलों के निर्माण, रेलवे के विभिन्न खंडों की नई लाइन/डबलिंग लाइन परियोजनाओं के निर्माण आदि के लिए विभिन्न क्षेत्रीय रेलवे, आरवीएनएल, इरकॉन आदि द्वारा आमंत्रित बोलियों में नियमित आधार पर भाग लेता है।

2) **पीएमसी व्यवसाय में विपणन प्रयासों में वृद्धि:**

बीबीजे, एक सीपीएसई होने के नाते, केंद्र और राज्य सरकारों/विभागों के लिए पीएमसी के रूप में कार्य करने के लिए पात्र है। इस अवसर का पता लगाने के लिए, एक नए पीएमसी बिजनेस वर्टिकल ने हाल ही में पीएमसी अनुबंधों को हासिल करने और निष्पादित करने के लिए अपना संचालन शुरू किया है। प्रतिस्पर्धी अन्य सीपीएसई हैं।

5.8 **आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता**

5.8.1 कंपनी के पास आंतरिक नियंत्रण और आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्त प्रणाली है जो प्रबंधन को वित्तीय और परिचालन नियंत्रणों की प्रभावशीलता की समीक्षा करने में मदद करती है। यह यह भी सुनिश्चित करता है कि सभी लेनदेन अधिकृत, रिकॉर्ड और सही ढंग से रिपोर्ट किए गए हैं।

5.9 **मानव संसाधन, औद्योगिक संबंध मोर्चे में भौतिक विकास, नियोजित लोगों की संख्या सहित:**

5.9.1 निदेशकों की रिपोर्ट में इस खंड पर अलग से चर्चा की गई है।

5.10 **पर्यावरण संरक्षण और संरक्षण, तकनीकी संरक्षण, अक्षय ऊर्जा विकास, विदेशी मुद्रा संरक्षण:**

5.10.1 निदेशकों की रिपोर्ट में इस खंड पर अलग से चर्चा की गई है।

5.11 **नैगम सामाजिक जिम्मेदारी :**

5.11.1 निदेशकों की रिपोर्ट में इस खंड पर अलग से चर्चा की गई है।

5.12 सावधानी विवरण

5.12.1 इस प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में कंपनी के उद्देश्यों, अनुमानों और अपेक्षाओं का वर्णन करने वाले कथन लागू कानूनों और विनियमों के अर्थ के भीतर 'आगे की ओर देखने वाले बयान' हो सकते हैं। वास्तविक परिणाम व्यक्त या निहित परिणामों से काफी हद तक या भौतिक रूप से भिन्न हो सकते हैं। महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो कंपनी के संचालन को प्रभावित कर सकते हैं, उनमें बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में गिरावट, भारत और विदेशों में आर्थिक वातावरण में महत्वपूर्ण बदलाव, विनिमय दर में उतार-चढ़ाव, कर कानून, मुकदमेबाजी और श्रम संबंध शामिल हैं।

5.12.2 **इस खंड के तहत सूचना का सामान्य स्रोत इस प्रकार हैं :**

- आरबीआई मौद्रिक नीति समिति की बैठक का कार्यवृत्त
- इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन (आईबीईएफ) - वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित ट्रस्ट।

6 **समझौता ज्ञापन (एमओयू)**

6.1 समझौता ज्ञापन वित्तीय और गैर-वित्तीय मानकों से संबंधित प्रदर्शन के लिए विभिन्न लक्ष्य निर्धारित करता है, जिनका मूल्यांकन वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद वास्तविक उपलब्धियों के विरुद्ध किया जाता है।

6.2 2021-2022 के लिए समझौता ज्ञापन : आपकी कंपनी ने वर्ष 2021-22 के लिए भारी उद्योग मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। उच्च और बेहतर रैंकिंग प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रदर्शन में सुधार करने के तरीकों और साधनों के साथ समझौता ज्ञापन मानदंडों पर विस्तार से चर्चा और चर्चा की जाती है।

7 **बोर्ड, समितियां और संबंधित सूचना/प्रकटीकरण**

7.1 निदेशक मंडल

7.1.1 बोर्ड और अन्य समिति की बैठकों की संरचना का विवरण, बैठकों की तारीख, अवधि के दौरान बैठकों की संख्या सहित उक्त बैठकों में निदेशकों / सदस्यों की उपस्थिति और अन्य आवश्यक विवरण, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट के तहत अलग से शामिल किए गए हैं, जो संलग्न हैं और इस रिपोर्ट का हिस्सा हैं।

7.1.2 श्रीमती सरला देवी को 15 फरवरी, 2022 से कंपनी के निदेशक मंडल में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। दो स्वीकृत पदों में गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक का एक पद अभी भरा जाना बाकी है और इस संबंध में एमएचआई के आदेश की प्रतीक्षा है।

7.2 प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

7.2.1 31 मार्च 2022 को कार्यकारी निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक निम्नलिखित थे : -

i श्री सुंदर बनर्जी - अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

ii श्री मुकेश कुमार- निदेशक (वित्त)

iii श्री नवीन कुमार मिश्रा - कंपनी सचिव (सीएस)।

7.2.2 श्री अर्नब चटर्जी 31-12-2021 को बीबीजे में निदेशक (तकनीकी) के पद से सेवानिवृत्त हुए।

7.2.3 श्री राजीव कुमार सिंह ने संदर्भ सं. 12 (1)/2020-पीई-3 दिनांक 20-05-2022 के संदर्भ सं. 12(1)/2020-पीई-3 दिनांक 20-05-2022 के तहत 21-05-2022 से बीबीजे (डीआईएन-09614219) के निदेशक (तकनीकी) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

7.3 बोर्ड के सदस्यों का बोर्ड मूल्यांकन और प्रशिक्षण

7.3.1 कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने जीएसआर 463 (ई) वाली अधिसूचना के माध्यम से सरकारी कंपनियों को अपने निदेशकों के वार्षिक मूल्यांकन से छूट दी है।

7.3.2 गैर-कार्यकारी बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति सरकारी आदेश द्वारा की जाती है और वे उद्योग, वाणिज्य और प्रशासन के क्षेत्र में व्यापक अनुभव रखने वाले प्रख्यात व्यक्तित्व हैं। बोर्ड में उनकी उपस्थिति व्यावसायिक निर्णय लेने में फायदेमंद और फलदायी

रही है। निदेशकों को कंपनी के व्यवसाय और अन्य गतिविधियों से परिचित कराने के उद्देश्य से कंपनी के अवलोकन पर प्रस्तुतियां दी जाती हैं। बोर्ड को वित्तीय निष्पादन, चालू परियोजनाओं की स्थिति और अन्य महत्वपूर्ण व्यावसायिक संचालन से संबंधित मामलों के संबंध में एजेंडा पत्रों और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ब्रीफिंग के माध्यम से कंपनी के समग्र मामलों के बारे में अद्यतित रखा जाता है।

7.4 निदेशकों की जिम्मेदारी का बयान

7.4.1 अधिनियम की धारा 134 के अनुसार, निदेशक प्रमाणित करते हैं कि:

(क) वार्षिक खातों की तैयारी में, लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है, साथ ही सामग्री प्रस्थान से संबंधित उचित स्पष्टीकरण, यदि कोई हो;

(ख) उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन किया गया है और लगातार लागू किया गया है और निर्णय और अनुमान लगाए गए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं, ताकि 31 मार्च, 2022 को कंपनी की स्थिति और 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ और हानि का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके;

(ग) कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की गई है;

(घ) वार्षिक लेखे चालू व्यवस्था के आधार पर तैयार किए गए हैं;

(ङ) सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की गई हैं और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं।

7.5 स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

7.5.1 कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित घोषणा सहित धारा 149 के तहत घोषणा स्वतंत्र निदेशक से प्राप्त की गई है।

7.6 लेखा परीक्षा समिति, पारिश्रमिक समिति और सीएसआर समिति:

7.6.1 आपकी कंपनी कॉरपोरेट गवर्नेंस पर निर्धारित डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार पारदर्शिता, जवाबदेही, सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए नियमित अंतराल पर ऑडिट और अन्य बोर्ड स्तर की समितियों की बैठकें करती रहती है। वित्त वर्ष 2021-2022 के दौरान ऑडिट कमेटी की 4 बार बैठक हुई।

7.6.2 बोर्ड द्वारा गठित विभिन्न समितियों से संबंधित संविधान, बैठकों, उपस्थिति और अन्य विवरणों का विवरण कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट के अंतर्गत आता है, जो इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है और इसका हिस्सा है।

7.6.3 बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति का गठन सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देश 2010 (कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देश) के तहत किया गया है।

7.6.4 लेखा परीक्षा समिति के लिए विचारार्थ विषय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के तहत 'लेखा परीक्षा समिति की भूमिका' पर खंड 4.2 के तहत शासित होते हैं।

7.6.5 श्रीमती सरला देवी को 15 फरवरी, 2022 से कंपनी के निदेशक मंडल में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। दो स्वीकृत पदों में गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक का एक पद अभी भरा जाना बाकी है और इस संबंध में एमएचआई के आदेश की प्रतीक्षा है, गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक बोर्ड स्तर की समितियों के अध्यक्ष हैं। अन्य दो सदस्य सरकार द्वारा नामित निदेशक और कार्यकारी निदेशक, बीबीजे हैं।

7.7 संबंधित पार्टी लेनदेन

7.7.1 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने संबंधित पार्टियों के साथ कोई अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन नहीं किया था, जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188(1) में संदर्भित संबंधित पार्टी लेनदेन के प्रावधानों के अनुसार महत्वपूर्ण माना जा सकता है।

7.7.2 संबंधित पक्ष के अंतर्गत आने वाले नियमित लेनदेन, यदि कोई हो, को इस रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग में प्रकट और समझाया गया है।

7.8 कंपनियों के अनुसार प्रकटीकरण (प्रबंधकीय कर्मियों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014

7.8.1 कंपनी, भारत सरकार का उद्यम होने के नाते, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 (12) के तहत निर्धारित पारिश्रमिक

और अन्य विवरणों से संबंधित प्रकटीकरण आवश्यकताओं से छूट प्राप्त है, जिसे कंपनी (प्रबंधकीय कर्मियों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5 (1) के साथ पठित किया गया है।

7.8.2 इसके अलावा, आपकी कंपनी ने कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(2) और 5(3) के प्रावधानों को आकर्षित करने वाले किसी भी पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया है।

8 सूचना और सतर्कता ढाँचा, नीतियाँ, प्रक्रियाएँ:

8.1 गुणवत्ता आश्वासन/गुणवत्ता नियंत्रण और सुरक्षा

8.1.1 आपकी कंपनी वांछित गुणवत्ता बनाए रखने के लिए अनुबंध में निर्दिष्ट गुणवत्ता मानदंडों और मानकीकृत विशिष्ट प्रक्रिया का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। निरंतर जानकारी के भाग के रूप में और कार्यात्मक आवश्यकताओं को सुविधाजनक बनाने के लिए, अभ्यास के रूप में एक गुणवत्ता आश्वासन/गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रिया का पालन किया जाता है। निर्माण में सुरक्षा को हल्के में लेने की बात नहीं है। वास्तव में, निर्माण के हर पहलू में हर समय सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। कंपनी की गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली को गुणवत्ता नीति की आवश्यकताओं के अनुसार आईएसओ 9001:2015 के तहत प्रमाणित किया गया है।

8.1.2 वार्षिक आधार पर, राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह प्रधान कार्यालय में मनाया जाता है, गुणवत्ता प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित किया जाता है और सुरक्षा के लिए सामान्य दिशानिर्देश इस अवसर पर परियोजना स्थलों पर सुरक्षा की आवश्यकताओं को सुविधाजनक बनाने के लिए जागरूकता के लिए पढ़ा जाता है।

8.2 कंपनी के लिए एक जोखिम प्रबंधन नीति के विकास और कार्यान्वयन को इंगित करने वाला विवरण, जिसमें जोखिम के तत्वों की पहचान, यदि कोई हो, जो बोर्ड की राय में कंपनी के अस्तित्व के लिए खतरा हो सकता है।

8.2.1 जोखिम प्रबंधन प्रणाली कॉर्पोरेट और परिचालन उद्देश्यों के साथ एक एकीकृत और संरेखित प्रणाली है। जोखिम प्रबंधन सामान्य व्यावसायिक अभ्यास के हिस्से के रूप में किया जाता है न कि निर्धारित समय पर एक अलग कार्य के रूप में। एक अभिन्न अंग होने के नाते, कार्यकरण की प्रक्रिया में जहां भी आवश्यक और आवश्यक हो, जोखिम प्रबंधन को सुरक्षित करने के लिए नीतिगत पहल की गई थी।

8.3 निगम से संबंधित शासन प्रणाली:

8.3.1 आपकी कंपनी अपने समग्र कामकाज में पारदर्शिता, अखंडता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन की सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने का लगातार प्रयास करती है। कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन पर प्रमाण पत्र के साथ जमा की जाती है, जिसे डीपीई कॉरपोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के अनुसार वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित किया जाता है।

8.3.2 आपकी कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और ऐसे नियंत्रणों का समय-समय पर बोर्ड द्वारा नामित सदस्यों द्वारा गठित लेखा परीक्षा समिति की प्रक्रिया के माध्यम से परीक्षण किया जाता है।

8.4 सतर्कता तंत्र / व्हिसल ब्लोअर नीति

8.4.1 कंपनी ने अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या कंपनी की आचार संहिता के उल्लंघन के बारे में वास्तविक चिंताओं की रिपोर्ट करने के लिए निदेशकों और कर्मचारियों के लिए अच्छी तरह से सतर्कता तंत्र स्थापित किया है जिसमें व्यावसायिकता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और नैतिक व्यवहार के उच्चतम मानकों को अपनाकर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मामलों के संचालन के लिए विधिवत अपनाई गई व्हिसल ब्लोअर नीति शामिल है।

8.4.2 नीति का लक्ष्य एक भयरहित वातावरण बनाना है। व्हिसल ब्लोअर नीति कंपनी की वेबसाइट पर पोस्ट की गई है और https://www.bbjconst.com/rti/bbj-whistle-blower-policy.pdf पर उपलब्ध है ।

.

8.5 सूचना का अधिकार

8.5.1 कंपनी के पास सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत नागरिकों को सूचना प्रदान करने के लिए एक उपयुक्त तंत्र है।

8.5.2 वित्त वर्ष 2021-2022 के दौरान आरटीआई अधिनियम के तहत कुल 28 आवेदन प्राप्त हुए। उक्त अधिनियम के तहत सभी आवेदनों का उत्तर निर्धारित समय सीमा के भीतर दिया गया था और वित्तीय वर्ष 2021-2022 के अंत तक उत्तर के लिए कोई आवेदन लंबित नहीं था।

8.6 सतर्कता

8.6.1 सुश्री चंद्रानी गुप्ता, आईईएस, मुख्य सतर्कता अधिकारी, बीबीजे हैं। वित्तीय वर्ष 2021-2022 के दौरान सतर्कता गतिविधियों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन किया गया।

8.7 लेखा नीति / मानक का पालन

8.7.1 वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए, कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2015 के अनुपालन में भारतीय लेखा मानकों को पहली बार अंगीकार करने के लिए भारतीय लेखा मानक 101 के तहत कंपनी के वित्तीय विवरण तैयार किए गए थे और इसके बाद इनका लगातार पालन किया जाता है।

8.7.2 वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाली टिप्पणियों के तहत महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का विवरण पर्याप्त रूप से समझाया गया है।

8.7.3 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप-धारा (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट लागत रिकॉर्ड का रखरखाव, कंपनी द्वारा आवश्यक है और तदनुसार ऐसे खाते और रिकॉर्ड बनाए और बनाए जाते हैं।

8.8 आंतरिक लेखापरीक्षा और आंतरिक नियंत्रण

8.8.1 कंपनी के पास अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है, जिसमें अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन के लिए कंपनी की नीतियों का पालन करना, अपनी संपत्ति की सुरक्षा और धोखाधड़ी की रोकथाम, सटीक और त्वरित वित्तीय रिपोर्टिंग, अनुपालन के लिए और जोखिम प्रबंधन की प्रभावशीलता में सुधार करना शामिल है।

8.8.2 कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि व्यवसाय कानूनी, वैधानिक और नियामक अनुपालन आवश्यकताओं के अनुसार संचालित हो।

8.8.3 कंपनी में आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य करने और उस पर रिपोर्टिंग करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की फर्म की नियुक्ति की जाती है। आंतरिक लेखा परीक्षा निष्कर्षों की रिपोर्टें आवधिक रूप से कंपनी की प्रबंधन और लेखा परीक्षा समिति को प्रस्तुत की जाती हैं। आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर, जहां कहीं अपेक्षित होता है, संबंधित क्षेत्रों में सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है और इस प्रकार समग्र नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ किया जाता है।

8.8.4 कंपनी के पास प्रबंधन द्वारा जारी की गई स्थापित कार्यालय प्रक्रियाओं के रूप में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण उपाय हैं, जिसमें सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों जैसे, विपणन, खरीद और कार्य, सामग्री, स्टोर, लेखा और व्यक्तिगत मैनुअल आदि शामिल हैं।

8.8.5 भविष्य की सभी प्रकार की चुनौतियों का सामना करने के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा का दायरा, योजना, आंतरिक नियंत्रण तंत्र और वित्तीय और परिचालन प्रणाली के मुद्दों को और अधिक संरचित किया गया है।

8.8.6 प्रबंधन उचित सावधानी बरतता है और परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटि की रोकथाम और पहचान, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सुनिश्चित करता है।

8.8.7 आंतरिक नियंत्रण भी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की स्वतंत्र फर्मों द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है, जो आवधिक आंतरिक लेखापरीक्षा करते हैं। लेखापरीक्षा समिति के साथ-साथ निदेशक मंडल के समक्ष महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियां और उन पर सुधारात्मक कार्रवाइयां प्रस्तुत की जाती हैं।

8.8.8 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की भी समीक्षा की जा रही है।

8.8.9 लेखा पुस्तकें भी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा पूरक लेखा परीक्षा के अधीन हैं।

9 लेखा परीक्षक

9.1 2021-2022 के लेखाओं पर सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

9.1.1 मेसर्स बी मुखर्जी एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (एफआरएन 302096ई), कोलकाता को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के आदेश द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया था।

9.1.2 वित्तीय वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में टिप्पणियों को लेखा पर टिप्पणियों में पर्याप्त रूप से समझाया गया है। इस वार्षिक रिपोर्ट के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण खंड में सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ लेखापरीक्षकों के अवलोकन पर प्रबंधन उत्तर भी रखा गया है। वे वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44 एबी के तहत ऑडिट भी करेंगे।

9.1.3 धोखाधड़ी के संबंध में धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत लेखा परीक्षकों द्वारा कोई प्रतिकूल रिपोर्टिंग नहीं की गई है ।

9.2 भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ (सी एंड एजी)

9.2.1 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की दिनांक 15 सितंबर, 2022 की टिप्पणियों को समीक्षाधीन अवधि के लिए वार्षिक रिपोर्ट के हिस्से के रूप में वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के समक्ष रखा गया है। अनुपूरक लेखा परीक्षा के दौरान उठाई गई कुछ लेखा परीक्षा टिप्पणियों को प्रभावी बनाने के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में किए गए संशोधनों को ध्यान में रखते हुए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पास कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के तहत सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर और कोई टिप्पणी नहीं है।

9.3 सचिवीय लेखा परीक्षक और लेखा परीक्षा रिपोर्ट

9.3.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के प्रावधान सचिवीय लेखा परीक्षा के संबंध में कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

9.3.2 कंपनी ने इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (आईसीएसआई) द्वारा जारी लागू/अनिवार्य सचिवीय मानकों का अनुपालन हासिल किया है।

10 मानव संसाधन, महिला अधिकारिता और कल्याण गतिविधियाँ

10.1 मानव संसाधन

10.1.1 परिचालन उत्कृष्टता प्राप्त करने की दृष्टि से, संगठन की अपेक्षाओं को पूरा करने के साथ-साथ बदलते औद्योगिक परिदृश्य के साथ तालमेल बिठाने के लिए कठोर और निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

10.1.2 कर्मचारी केंद्रित दृष्टिकोण के माध्यम से संगठन में कर्मचारियों को एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में पहचानने पर ध्यान केंद्रित करते हुए पुरानी नीतियों को संशोधित किया गया था। कुशल एचआर सिस्टम के निर्माण की दिशा में कई पहल की गई, जिससे कंपनी में पारदर्शिता और प्रभावी संचार प्रणाली में वृद्धि हुई और उचित प्रणाली के माध्यम से समझौता ज्ञापन मापदंडों को ठीक से संबोधित किया गया।

10.1.3 कर्मचारी से संबंधित किसी भी शिकायत को शिकायत समिति द्वारा समय पर हल करने के लिए लिया जाना है। कर्मचारियों के कार्यात्मक और व्यवहार कौशल को ध्यान में रखते हुए, दक्षता बढ़ाने और कर्मचारियों के बीच स्व-शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर विभिन्न मॉड्यूल के तहत प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई थी।

10.1.4 इसके अलावा, वर्तमान अभिनव और चुनौतीपूर्ण बाजार को देखते हुए, कोविड -19 प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए, आपकी कंपनी ने अधिकारियों / कर्मचारियों को नवीनतम रुझानों / तकनीकों और उनके संबंधित में हो रहे परिवर्तनों से अवगत कराने

के लिए आवश्यकता आधारित ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था की। कार्यात्मक क्षेत्रों और उनके ज्ञान के आधार को बढ़ाने के लिए ताकि वे एक टीम के रूप में समग्र संगठनात्मक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बेहतर क्षमता और उत्साह के साथ काम करें। समीक्षाधीन वर्ष में औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण रहे।

10.2 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व; कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान की गई कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पहल पर विकसित और कार्यान्वित नीति के बारे में विवरण

10.2.1 कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के तहत अपेक्षित सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट को इस रिपोर्ट के अनुलग्नक के रूप में रखा गया है, जिसमें रिपोर्टिंग अवधि के दौरान सीएसआर फंड और इसके उपयोग का विवरण दिया गया है।

10.2.2 कंपनी की सीएसआर नीति कंपनी की वेबसाइट https://www.bbjconst.com/rti/bbj-csr-policy.pdf पर उपलब्ध है।

10.3 महिलाओं का सशक्तिकरण

10.3.1 कंपनी लैंगिक समानता को उचित महत्व देना जारी रखे हुए है। कंपनी द्वारा वेतन भुगतान, काम के घंटे, स्वास्थ्य, सुरक्षा, कल्याण पहलुओं और मातृत्व लाभ आदि जैसे मुद्दों में महिला कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपायों/सांविधिक प्रावधानों का पालन किया जा रहा है।

10.4 समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण

10.4.1 वर्तमान श्रम कानूनों और उसके तहत बनाए गए नियमों में यथा निगमित सांविधिक कल्याण सुविधाएं सरकारी नीतियों और दिशानिर्देशों के अनुरूप क्रमश अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांगों के लिए आरक्षण नीति के प्रति कल्याण और सामाजिक न्याय के प्रावधानों के अलावा कर्मचारियों के कल्याण के लिए कंपनी द्वारा प्रशासित की जाती हैं।

10.5 एमएसएमई को प्रोत्साहन/सहायता:

10.5.1 समीक्षाधीन अवधि के लिए कुल खरीद में से अधिकांश एमएसएमई के माध्यम से की गई थी। वित्तीय वर्ष 2021-2022 के अंत में 45 दिनों से अधिक की अवधि के लिए एमएसएमई आपूर्तिकर्ताओं को कुछ भी बकाया नहीं है।

10.5.2 चरणबद्ध तरीके से जरूरतमंदों से सामग्री और सेवाओं की चयनात्मक सोर्सिंग / खरीद के माध्यम से समाज कल्याण संगठनों को सहायता और सहायता प्रदान की गई।

11 <u>अन्य खुलासे</u>

11.1 कानूनी अनुपालन

11.1.1 बोर्ड को एजेंडा नोट्स के माध्यम से नियमित आधार पर वैधानिक और अन्य अनिवार्य कानूनी अनुपालनों से अवगत कराया जाता है, जिसमें सांविधिक प्राधिकारियों से प्राप्त नोटिस, यदि कोई हो, और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कंपनी द्वारा की गई उपचारात्मक कार्रवाई शामिल है।

11.2 कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के तहत खुलासे

11.2.1 कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत आंतरिक शिकायत समिति के गठन से संबंधित प्रावधान का अनुपालन किया है। आंतरिक शिकायत समिति को यौन उत्पीड़न की सभी शिकायतों को देखने का अधिकार है और स्पष्ट समयसीमा के साथ स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच प्रक्रिया को सुगम बनाना।

11.2.2 कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक मामलों का विवरण नीचे दिया गया है:

(i) वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या : शून्य

(ii)	वित्तीय वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	:	शून्य
(iii)	वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या	:	शून्य

11.3 ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण

11.3.1 समीक्षाधीन अवधि के लिए, कंपनी द्वारा कोई ऋण, गारंटी और निवेश नहीं किया गया था, जिसके लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत अनुमोदन की आवश्यकता होती है। ऋण, गारंटी और निवेश का विवरण वित्तीय विवरणों और नोट्स के तहत शामिल किया जाता है।

11.4 बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए आचार संहिता:

11.4.1 आपकी कंपनी के पास अच्छी तरह से परिभाषित नीतिगत ढाँचा है जो कंपनी के व्यवसाय को नैतिक रूप से और जिम्मेदारी, अखंडता, निष्पक्षता, पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ संचालित करने के उद्देश्य से नैतिक पेशेवर आचरण के लिए सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है। कोड कंपनी की वेबसाइट https://www.bbjconst.com/rti/bbj-code-of-conduct.pdf पर उपलब्ध है। सभी निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने समीक्षाधीन अवधि के लिए आचार संहिता का अनुपालन किया है।

11.4.2 डीपीई द्वारा सीपीएसई के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देशों के अनुरूप आचार संहिता के अनुपालन पर अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक द्वारा घोषणा

आचार संहिता पर घोषणा

डीपीई द्वारा दिनांक 14 मई, 2010 को जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देश 2010 के खंड 3.4.2 के अनुसार, मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए वार्षिक आधार पर उक्त दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

हस्ताक्षर :

(राजेश कुमार सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 09362244

11.5 हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

11.5.1 कंपनी में हिंदी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए किए गए उपाय

11.5.2 समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने भारत सरकार की राजभाषा नीति के उचित कार्यान्वयन के लिए अपना प्रयास जारी रखा। अप्रशिक्षित कर्मचारियों को हिंदी प्रशिक्षण कक्षाओं के लिए नामांकित किया गया। राजभाषा के प्रगामी प्रयोग के संदर्भ में सी एंड एमडी, बीबीजे की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की त्रैमासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। हिन्दी कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। कंपनी में "हिंदी पखवाड़ा" 01-15 सितंबर, 2021 का आयोजन किया गया और पखवाड़े के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल दिशानिर्देशों के साथ कर्मचारियों के बीच ऑनलाइन हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हिंदी पखवाड़ा के अवलोकन के लिए सीएमडी का संदेश जारी किया गया और राजभाषा - हिंदी के प्रचार के एक भाग के रूप में, भारत के विद्वानों और महान लोगों के उद्धरण वाले कुछ बैनर भी कार्यालय परिसर के प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित

किए गए। हिंदी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को समापन समारोह में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिए गए।

11.6 वार्षिक विवरणी का अंश

11.6.1 कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12, उप-नियम (1) में प्रावधान है कि किसी कंपनी को वार्षिक रिटर्न के उद्धरण को फॉर्म संख्या एमजीटी.9 में बोर्ड की रिपोर्ट के साथ संलग्न करने की आवश्यकता नहीं होगी, यदि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 की उप-धारा (3) के अनुसार बोर्ड की रिपोर्ट में इस तरह के वार्षिक रिटर्न के वेब लिंक का खुलासा किया गया है। इस प्रावधान को कंपनियों (प्रबंधन और प्रशासन) संशोधन नियम, 2020 के माध्यम से 28 अगस्त, 2020 को अधिसूचित किया गया है।

11.6.2 तदनुसार, यह सूचित किया जाता है कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के पास विधिवत दाखिल वार्षिक रिटर्न का वेब लिंक निम्नलिखित वेब-लिंक - https://www.bbjconst.com/financials.html पर उपलब्ध है । उपरोक्त प्रथम पैरा में वर्णित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, प्रपत्र संख्या एमजीटी-9 में 'वार्षिक विवरणी का अंश' समीक्षाधीन अवधि के लिए बोर्ड की रिपोर्ट का हिस्सा नहीं है।

11.7 रिपोर्ट के तहत अवधि के दौरान सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यम कंपनियों के प्रदर्शन और कंपनी के समग्र प्रदर्शन में उनके योगदान पर रिपोर्ट

11.7.1 भागीरथी ब्रिज कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (बीबीसीसीपीएल) बीबीजे और गैमन इंडिया लिमिटेड (जीआईएल) द्वारा संयुक्त रूप से प्रवर्तित संयुक्त उद्यम कंपनी है। नामांकित निदेशक की स्थिति 'निष्क्रिय' के रूप में होने के बाद, बीबीजे द्वारा अपने निदेशक के लिए दोष को सुधारने या बीबीसीसीपीएल के गठन के लिए एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन और संयुक्त उद्यम समझौते के संदर्भ में निदेशकों का नया नामांकन करने का अनुरोध किया गया था। कई अनुस्मारक के बावजूद, जीआईएल द्वारा निदेशकों का कोई सुधार या नया नामांकन नहीं किया गया है। इस कारण निदेशकों या शेयरधारकों की बैठकें आयोजित करने में गतिरोध है क्योंकि बोर्ड या शेयरधारकों की उक्त बैठकें आयोजित करने के लिए कोई कोरम नहीं है। इस संबंध में कोई नई प्रगति नहीं हुई है।

11.7.2 फॉर्म संख्या 22ए, उक्त गतिरोध के कारण एक्टिव को दाखिल नहीं किया जा सका और इसलिए, कंपनी की वर्तमान स्थिति निष्क्रिय, गैर-अनुपालन वाली है।

11.7.3 बीबीसीसीपीएल एक वस्तुतः बंद हो चुकी संयुक्त उद्यम कंपनी है, जिसका आधार दूसरे हुगली पुल के निर्माण के उद्देश्य के पूरा होने के बाद समाप्त हो गया, जिसके लिए इसे शामिल किया गया था। वर्तमान में, बीबीसीसीपीएल के रोल में कोई कर्मचारी नहीं है।

11.8 पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी का संरक्षण और विदेशी मुद्रा आय और बहिर्गमन

11.8.1 ऊर्जा, पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण का संरक्षण:

11.8.1.1.1 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण पर विशेष ध्यान देना जारी रहा। आंतरिक तंत्रों के माध्यम से, विभिन्न स्थानों पर इसके परियोजना स्थलों पर उपयोग किए जा रहे संयंत्रों से कार्बन और अन्य गैसों के उत्सर्जन के स्तर की निगरानी के लिए प्रणाली और उसकी नीति की आवधिक जाँच के माध्यम से ऊर्जा के संरक्षण के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

11.8.1.1.2 इसके संसाधनों की सीमित तैनाती, अनुबंधों की प्रकृति और विभिन्न साइटों पर इसकी परियोजनाओं की घटाएँ अवधि के साथ , उक्त स्थलों पर ऊर्जा संरक्षण उपकरणों में पूंजी निवेश के माध्यम से वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग फिलहाल संभव नहीं है। हालांकि, भविष्य में संभव तरीके से ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग के लिए रास्ते तलाशे जा रहे हैं।

11.8.1.1.3 सर्वोत्तम उपलब्ध बिजली बचत तकनीकों को अपनाकर सभी नई निर्माण परियोजनाओं में ऊर्जा की खपत को कम

करने पर जोर दिया जाता है, एलसीडी से एलईडी लाइटिंग पर स्विच करना पहले ही पूरा हो चुका है। इसके अलावा निष्पादित अधिकांश परियोजनाएं ऊर्जा मानदंडों के अनुरूप हैं, उपयोग किए गए उपकरण सभी ऊर्जा कुशल हैं।

11.8.1.1.4 आपकी कंपनी समुदाय और बड़े पैमाने पर इसके लोगों के लिए पर्यावरण के अनुकूल बनी रही। संबंधित कानूनों के किसी भी गैर-अनुपालन के लिए अधिकारियों या नियामकों से कभी कोई नोटिस या कारण बताओ नोटिस प्राप्त नहीं हुआ था।

11.8.2 प्रौद्योगिकी समावेश:

11.8.2.1.1 वित्तीय वर्ष 2021-2022 की शुरुआत से पिछले तीन वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा प्रौद्योगिकी का कोई आयात नहीं किया गया था।

11.8.2.1.2 नई प्रौद्योगिकियों और उत्पादों के बारे में वरिष्ठ प्रबंधन को इसके उपयोग के लिए जागरूकता प्रदान की जा रही है। नई और नवीन प्रौद्योगिकियों पर प्रस्तुतियों का आयोजन किया जा रहा है। विभिन्न कारकों अर्थात् पारंपरिक प्रकार की नौकरी, लागत और आकार की बाधाओं आदि के कारण, कंपनी द्वारा वर्तमान में अनुसंधान और विकास गतिविधियां शुरू नहीं की जाती हैं।

11.8.3 विदेशी मुद्रा आय और व्यय

11.8.3.1 समीक्षाधीन अवधि के दौरान कोई विदेशी मुद्रा अर्जन या व्यय नहीं हुआ।

12 कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निर्धारित अन्य खुलासे:

क्र. सं.	विवरण	टिप्पणियाँ
1)	कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं, यदि कोई हों, जो कंपनी के वित्तीय वर्ष के अंत के बीच हुई हैं, जिससे वित्तीय विवरण और रिपोर्ट की तारीख संबंधित हैं।	शुन्य
2)	बोर्ड द्वारा अपने स्वयं के और अपनी समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों के प्रदर्शन का औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन करने के तरीके को दर्शाने वाला एक बयान।	**लागू नहीं।** बीबीजे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसमें 100% सरकारी शेयरधारिता है। इसके अलावा, निर्दिष्ट सरकारी कंपनियों को दी गई छूट के कारण, ये प्रावधान बीबीजे पर लागू नहीं हैं।
3)	निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक पर कंपनी की नीति	**लागू नहीं।** बीबीजे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसमें 100% सरकारी शेयरधारिता है। इसके अलावा, निर्दिष्ट सरकारी कंपनियों को दी गई छूट के कारण, ये प्रावधान बीबीजे पर लागू नहीं हैं।
4)	वर्ष के दौरान कंपनी की पूंजी संरचना में कोई परिवर्तन	शून्य
5)	शेयर या अन्य परिवर्तनीय प्रतिभूतियां जारी करना	शून्य
6)	कर्मचारी स्टॉक विकल्प या स्वेट इक्विटी शेयर जारी करना	शून्य
7)	डिबेंचर, बांड या कोई गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियां जारी करना	शून्य
8)	वारंट जारी करना	शून्य
9)	जमा का विवरण	शून्य

क्र. सं.	विवरण	टिप्पणियाँ
10)	निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष (आईईपीएफ)	पिछले सात वर्षों के संबंध में कोई अवैतनिक लाभांश नहीं है।
11)	व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन, यदि कोई हो;	शून्य
12)	उन कंपनियों के नाम जो वर्ष के दौरान इसकी सहायक कंपनियां, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनियां बन गई हैं या समाप्त हो गई हैं;	शून्य
13)	अधिनियम के अध्याय V के अंतर्गत आने वाली जमाराशियों से संबंधित विवरण	शून्य
14)	जमाराशियों का विवरण जो अधिनियम के अध्याय V की आवश्यकताओं के अनुपालन में नहीं हैं;	शून्य
15)	नियामकों या अदालतों या न्यायाधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण आदेशों का विवरण जो भविष्य में कंपनी के संचालन की स्थिति और संचालन को प्रभावित करते हैं;	शून्य

स्वीकृति

निदेशक सभी स्तरों पर कर्मचारियों के अथक प्रयासों की सराहना करते हैं, जिन्होंने कोविड महामारी की चुनौतियों और प्रतिबंधों के बावजूद रिपोर्ट की गई अवधि के दौरान कंपनी के विकास में अत्यधिक योगदान दिया है। उनका समर्पण और प्रतिबद्धता भविष्य में चुनौतियों का सामना करने के लिए संगठन को अच्छी स्थिति में लाएगी।

बीबीजे को भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, विशेष रूप से भारी उद्योग मंत्रालय, राज्य सरकारों आदि से भी निरंतर समर्थन और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। सभी हितधारकों, विशेष रूप से आपूर्तिकर्ताओं, ग्राहकों और व्यापार भागीदारों ने संगठन की सफलता के लिए जबरदस्त समर्थन दिया है।

निदेशक आपकी कंपनी की रणनीतिक योजनाओं पर अपने अटूट ध्यान केंद्रित करने का आश्वासन देते हैं ताकि इसे जिम्मेदारी से बुलंदियों तक पहुंचाया जा सके।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से,

द ब्रेथवेट बर्न एंड जेसोप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

(राजेश कुमार सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 09362244

दिनांक: 30 सितंबर, 2022

कोलकाता

कॉर्पोरेट प्रशासन संबंधी रिपोर्ट

यह रिपोर्ट सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देशों के अनुसार है।

कॉर्पोरेट प्रशासन के दिशा-निर्देशों पर कंपनी का दर्शन

कंपनी का दर्शन कॉर्पोरेट प्रशासन पर कंपनी के दर्शन का उद्देश्य लंबी अवधि के शेयरधारकों के मूल्य और कंपनी की क्षमता को बढ़ाना है, जिसके माध्यम से धन उत्पन्न करने के लिए:

- सही व्यापारिक निर्णय लेने में शीर्ष प्रबंधन की सहायता करना और विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन
- सभी निर्णयों में पारदर्शिता और व्यावसायिकता प्राप्त करना और कंपनी की गतिविधियां
- प्रकटीकरण आवश्यकता के अनुपालन का पालन करना
- निम्नलिखित द्वारा कॉर्पोरेट प्रशासन में उत्कृष्टता प्राप्त करना:
  1. कॉर्पोरेट प्रशासन पर प्रचलित दिशा-निर्देशों के अनुरूप और जहां भी संभव हो
  2. कानूनों और विनियमों का पालन करते हुए व्यवसाय के संचालन में उच्च नैतिक मानकों की स्थापना करना,
  3. समय-समय पर मौजूदा प्रणाली की समीक्षा करना और आगे सुधार के लिए नियंत्रण

निदेशक मंडल

कंपनी के बोर्ड के सभी निदेशकों को भारी उद्योग मंत्रालय, सरकार द्वारा भारत के राष्ट्रपति की ओर से नियुक्त किया जाता है। 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशकों का विवरण इस प्रकार है:

बोर्ड का गठन

डीआईएन	नाम	श्रेणी
06862063	श्री सुंदर बनर्जी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक-कार्यकारी निदेशक
9222808	श्री आदित्य कुमार घोष	उप सचिव - (सरकारी नामित निदेशक)
08778135	श्री मुकेश कुमार	निदेशक (वित्त) -कार्यकारी निदेशक
09299169	श्रीमती सरला देवी	गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान निदेशक मंडल में 31 मार्च, 2022 के बाद की अवधि सहित रिपोर्ट की तिथि तक निम्नलिखित परिवर्तन हुए:

1.	दि ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के नामित निदेशक के पद से श्री रमा कांत सिंह (डीआईएन - 08360278) 18-06-2021 को (सरकार के आदेश संदर्भ में (तत्कालीन भारी उद्योग विभाग (डीएचआई) अब भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई)) संदर्भ संख्या 8(15))/2004.PE.III (वॉल्यूम III) दिनांक 18.06.2021।) सेवानिवृत्त हो गए।
2.	श्री आदित्य कुमार घोष (डीआईएन - 09222888) को द ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में 01-07-2021 से सरकार के (तत्कालीन भारी उद्योग विभाग (डीएचआई) अब भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) आदेश संदर्भ संख्या 8(15)/2004.पीई.III (वॉल्यूम III) दिनांक 18.06.2021 द्वारा नियुक्त हुए।
3.	तत्कालीन भारी उद्योग विभाग (डीएचआई) अब भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) आदेश संदर्भ संख्या 12(08)/2017.पीई-III दिनांक 23.04.2019 के संदर्भ में श्री अर्नब चटर्जी (डीआईएन - 08432581) का कार्यकाल निदेशक (तकनीकी) के रूप में, दि ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड से 31-12-2021 को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद समाप्त हो गया।
4.	सरकारी (एमएचआई) आदेश संदर्भ संख्या 8 (15) / 2004.पीई-III (वॉल्यूम III) दिनांक 02/11/2021 द्वारा श्रीमती सरला देवी डीआईएन -09299169 को 15-02-2022 से गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

5.	सरकारी (एमएचआई) आदेश संदर्भ संख्या 12(1)/2020-पीई-III दिनांक 20-05-2022 द्वारा श्री राजीव कुमार सिंह डीआईएन - 09614219 को 21-05-2022 से प्रभावी निदेशक (तकनीकी), बीबीजे के रूप में नियुक्त किया गया था।
6.	श्री सुंदर बनर्जी, डीआईएन - 06862063, दि ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (बीबीजे) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद से 30-07-2022 को सेवानिवृत्त हुए।
7.	एमएचआई आदेश के सं. 12(1) / 2021-पीई-III, दिनांक 09-09-2022 के संदर्भ में श्री राजेश कुमार सिंह, डीआईएन- 09362244, सीएमडी ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (बी एंड आर) को दि ब्रेथवेट बर्न एंड जेसोप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (बीबीजे) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

कंपनी के निदेशक मंडल में गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के लिए स्वीकृत दो पदों के लिए, गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक का एक पद भरा जाना बाकी है और इस संबंध में एमएचआई के आदेश की प्रतीक्षा है।

बैठक संपन्न (बोर्ड एवं लेखा परीक्षा समिति)

	बैठक संख्या और बैठक की तिथि	निदेशकों / सदस्यों की उपस्थिति
वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकें	152वीं बोर्ड बैठक 07-04-2021 को	सभी उपस्थित
	153 वीं बोर्ड बैठक 18-08- 2021 को	सभी उपस्थित
	154 वीं बोर्ड बैठक 28-09-2021 को	सभी उपस्थित
	155वीं बोर्ड बैठक 22-12-2021 को	सभी उपस्थित
	156वीं बोर्ड बैठक 15-03-2022 को	सभी उपस्थित
वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की बैठकें	59वीं बैठक 07-04-2021 को	सभी उपस्थित
	60वीं बैठक में 18-08-2021 को	सभी उपस्थित
	61वीं बैठक 28-09-2021 को	सभी उपस्थित
	62वीं बैठक 22-12-2021 को	सभी उपस्थित
	63वीं बैठक 15-03-2022 को	सभी उपस्थित

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल में 2 स्वतंत्र निदेशकों की स्वीकृत संख्या में से, एक स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति अर्थात श्रीमती सरला देवी, को 15-02-2022 नियुक्त किया गया था। गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के लिए स्वीकृत दो पदों में गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक का एक पद अभी भरा जाना बाकी है और इस संबंध में एमएचआई के आदेश की प्रतीक्षा है।

बोर्ड ने अध्यक्ष के रूप में 1 गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक सहित कुल 3 सदस्यों की लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन किया है। अन्य 2 सदस्य सरकार द्वारा नामित निदेशक और निदेशक (वित्त), बीबीजे हैं। यह पुनर्गठन तब तक जारी रहेगा जब तक एमएचआई से 1 और स्वतंत्र निदेशक का नामांकन प्राप्त नहीं हो जाता।

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, 15.02.2022 तक, जब बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की गई, सरकार नामांकित निदेशक
सभी बोर्ड स्तरीय समितियों के अध्यक्ष थे। अन्य दो सदस्य निदेशक (वित्त) और निदेशक (तकनीकी), बीबीजे थे।

रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्रीमती सरला देवी के शामिल होने के बाद 15-03-2022 को बोर्ड की एक बैठक आयोजित की गई है। ।

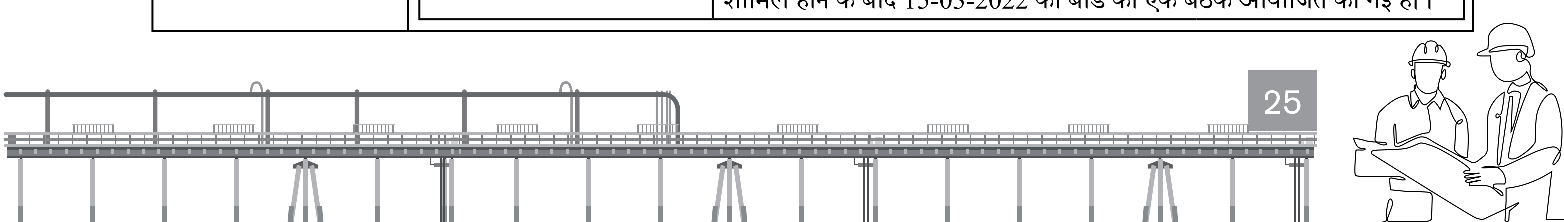

<table>
<tr><td>लेखा परीक्षा समिति</td><td>
<table>
<tr><td rowspan="3">संदर्भ की भूमिका और शर्तें:</td><td>● सार्वजनिक उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देश के पैरा 4.2 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के तहत निर्दिष्ट मामलों में भाग लेने के लिए।</td></tr>
<tr><td>● प्रबंधन, सांविधिक और आंतरिक लेखा परीक्षकों और निदेशक मंडल के बीच लिंक के रूप में कार्य करने के लिए</td></tr>
<tr><td>● वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली और जोखिम संबंधी मामलों का आकलन करने के लिए</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>संरचना, बोर्ड की बैठकें और उपस्थिति</td><td>
<table>
<tr><th>निदेशकों का नाम</th><th colspan="2">वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान बोर्ड</th></tr>
<tr><td>श्री सुंदर बनर्जी</td><td>बैठक आयोजित -05</td><td>उपस्थिति- 05</td></tr>
<tr><td>श्री रमा कांत सिंह</td><td>बैठक आयोजित -01</td><td>उपस्थिति- 01</td></tr>
<tr><td>श्री अर्नब चटर्जी</td><td>बैठक आयोजित -04</td><td>उपस्थिति- 04</td></tr>
<tr><td>श्री आदित्य कुमार घोष</td><td>बैठक आयोजित -04</td><td>उपस्थिति- 04</td></tr>
<tr><td>श्री मुकेश कुमार</td><td>बैठक आयोजित -05</td><td>उपस्थिति- 05</td></tr>
<tr><td>श्रीमती सरला देवी</td><td>बैठक आयोजित -01</td><td>उपस्थिति- 01</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">संरचना, लेखा परीक्षा समिति की बैठकें और उपस्थिति</td><td>
<table>
<tr><th>निदेशकों का नाम</th><th colspan="2">लेखा परीक्षा समिति की बैठक वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान उपस्थिति</th></tr>
<tr><td>श्री रमा कांत सिंह</td><td>बैठक आयोजित -01</td><td>उपस्थिति- 01</td></tr>
<tr><td>श्री अर्नब चटर्जी</td><td>बैठक आयोजित -04</td><td>उपस्थिति- 04</td></tr>
<tr><td>श्री मुकेश कुमार</td><td>बैठक आयोजित -05</td><td>उपस्थिति- 05</td></tr>
<tr><td>श्री आदित्य कुमार घोष</td><td>बैठक आयोजित -04</td><td>उपस्थिति- 04</td></tr>
<tr><td>श्रीमती सरला देवी</td><td>बैठक आयोजित -01</td><td>उपस्थित - 01</td></tr>
</table>
वित्तीय वर्ष 2021-22 में बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई सभी सिफारिशें, जो अनिवार्य रूप से आवश्यक थी, निदेशक मंडल द्वारा स्वीकार कर ली गई।
</td></tr>
<tr><td>वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल में 2 स्वतंत्र निदेशकों की स्वीकृत संख्या में से एक स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति श्रीमती सरला देवी के रूप में 15-02-2022 को हुई। गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के लिए स्वीकृत दो पदों में गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक का एक पद अभी भरा जाना बाकी है और इस संबंध में एमएचआई के आदेश की प्रतीक्षा है।
बोर्ड ने अध्यक्ष के रूप में 1 गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक सहित कुल 3 सदस्यों की लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन किया है। अन्य 2 सदस्य सरकार द्वारा नामित निदेशक और निदेशक (वित्त), बीबीजे हैं। यह पुनर्गठन तब तक जारी रहेगा जब तक एमएचआई से 1 और स्वतंत्र निदेशक का नामांकन प्राप्त नहीं हो जाता।
वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, 15.02.2022 तक जब बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की गई, सरकार द्वारा नामांकित निदेशक
सभी बोर्ड स्तरीय समितियों के अध्यक्ष थे। अन्य दो सदस्य निदेशक (वित्त) और निदेशक (तकनीकी), बीबीजे थे।
रिपोर्टिंग अवधि के दौरान बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्रीमती सरला देवी के शामिल होने के बाद 15-03-2022 को बोर्ड की एक बैठक आयोजित की गई है।</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>स्वतंत्र निदेशक</td><td>अपने संबंधित क्षेत्र/पेशे में विशेषज्ञता/अनुभव रखने वाले स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति सरकारी आदेश द्वारा की जाती है। स्वतंत्र निदेशक न तो जुड़े हुए हैं और न ही प्रमोटरों से संबंधित हैं और उनका कंपनी के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं है और आगे कंपनी की कुल वोटिंग शक्ति का दो प्रतिशत या अधिक नहीं है।

स्वतंत्र निदेशकों से घोषणा प्राप्त हुई है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के तहत आवश्यकता के अनुसार स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करती है।

स्वतंत्र निदेशकों की बैठक शुल्क बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाता है और यह कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित सीमा के भीतर है।</td></tr>
<tr><td>आचार संहिता</td><td>बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए निर्धारित प्रारूप आचार संहिता को लागू किया गया है।

डीपीई द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन 2010 के दिशानिर्देशों के खंड 3.4.2 के अनुसार, सी एंड एमडी द्वारा घोषणा है कि सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक आधार पर कोड के अनुपालन की पुष्टि की है। निदेशकों की रिपोर्ट के प्रासंगिक भाग के तहत दिया गया है।</td></tr>
<tr><td>आम सभा की बैठकें

पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों (एजीएम) का विवरण</td><td>
<table>
<tr><th>वित्त वर्ष</th><th>बैठक संख्या और दिनांक</th><th>समय और स्थान</th><th>विशेष संकल्प</th></tr>
<tr><td>2018-2019</td><td>33वीं एजीएम, 30 सितंबर, 2019</td><td>15.00 एचएचआई, 234/1, एजेसी बोस रोड, कोलकाता-700 020, पश्चिम बंगाल</td><td>शून्य</td></tr>
<tr><td>2019-2020</td><td>34वीं एजीएम, अक्टूबर 17,2020</td><td>12:00 बजे (दोपहर) कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में 27, आरएन मुखर्जी रोड, कोलकाता - 700 001, पश्चिम बंगाल</td><td>शून्य</td></tr>
<tr><td>2020-21</td><td>35वीं एजीएम, 28 सितंबर, 2021</td><td>15:30 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में, आरएन मुखर्जी रोड, कोलकाता - 700 001, पश्चिम बंगाल</td><td>शून्य</td></tr>
</table>
सभी एजीएम कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर आयोजित किए गए थे।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96(1) के अनुसार 31-03-2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए एजीएम की नियत तारीख से सामान्य विस्तार तीन माह की अवधि के लिए दिया गया था। इस प्रकार, 34वीं एजीएम 17-10-2020 को आयोजित करने के लिए समय के विस्तार के लिए आवेदन की आवश्यकता के बिना आयोजित की गई थी।</td></tr>
<tr><td>वार्षिक आम बैठक - 2022</td><td>36वीं वार्षिक आम बैठक कंपनी अधिनियम 2013 की आवश्यकता के अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर यानी सितंबर, 2022 के महीने के भीतर आयोजित होने वाली है।</td></tr>
</table>

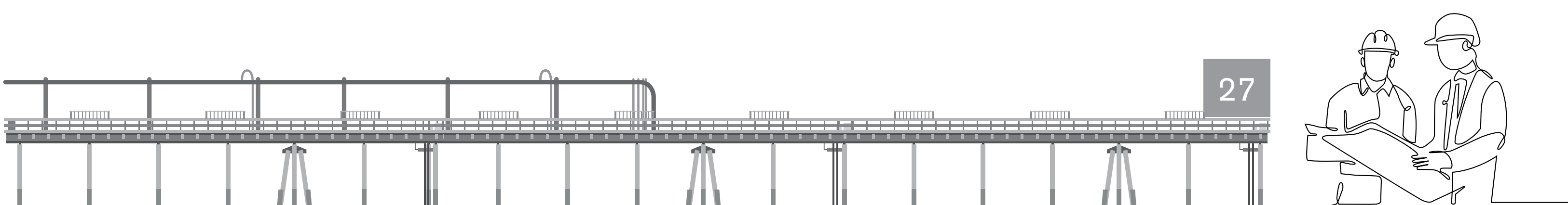

<table>
<tr><td rowspan="8">अन्य खुलासे</td><td>निदेशक या उनके रिश्तेदार के साथ भौतिक प्रकृति के लेनदेन जिनका कंपनी के हित के साथ संभावित टकराव हो सकता है</td><td>शून्य</td></tr>
<tr><td>संबंधित पार्टी लेनदेन</td><td>31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए खातों से जुड़े नोट के तहत प्रकट किए</td></tr>
<tr><td>कंपनी द्वारा गैर-अनुपालन या उस पर लगाई गई सख्ती का विवरण</td><td>शून्य</td></tr>
<tr><td>व्हिसल ब्लोअर नीति और पुष्टि है कि किसी भी कर्मचारी को लेखापरीक्षा समिति तक पहुंच से वंचित नहीं किया गया</td><td>पुष्टि की जाती है कि किसी को भी लेखापरीक्षा समिति तक पहुंच से वंचित नहीं किया गया</td></tr>
<tr><td>इन दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं के अनुपालन के विवरण का अनुपालन किया गया</td><td>संकलित।
कंपनी के निदेशक मंडल में गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के लिए स्वीकृत दो पदों में गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक का एक पद भरा जाना बाकी है और इस संबंध में एमएचआई के आदेश की प्रतीक्षा है।</td></tr>
<tr><td>केंद्र सरकार द्वारा जारी राष्ट्रपति के निर्देशों का विवरण और उनका अनुपालन एवं वर्ष और पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुपालन</td><td>कोई निर्देश लंबित नहीं हैं</td></tr>
<tr><td>खातों से आहरित व्यय की मदें व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नहीं हैं</td><td>शून्य</td></tr>
<tr><td>व्यय जो प्रकृति में व्यक्तिगत हैं और निदेशक मंडल और शीर्ष प्रबंधन के लिए किए गए हैं।</td><td>शून्य</td></tr>
<tr><td>संचार के साधन</td><td colspan="2">एक असूचीबद्ध सरकारी कंपनी होने के नाते, तिमाही परिणामों को समाचार पत्रों में प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
वार्षिक लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम कंपनी की वेबसाइट पर पर प्रदर्शित किए जाते हैं।
पत्राचार के लिए पता: दि ब्रेथवेट बर्न एंड जेसोप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, 27, राजेंद्र नाथ मुखर्जी रोड, कोलकाता - 700001
वेब साइट : www.bbjconst.com
ई-मेल : info@bbjconst.com
टेलीफोन : 91 33 2248 5841-44 (ईपीबीएक्स)
91 33 2210 3961 (फैक्स) फैक्स</td></tr>
<tr><td>ऑडिट योग्यता</td><td colspan="2">कंपनी का प्रयास अयोग्य वित्तीय विवरणों के व्यवस्था की ओर बढ़ना है। तत्संबंधी योग्यता की आवश्यकता के समर्थन में पर्याप्त स्पष्टीकरण दिए गए हैं अन्यथा प्रबंधन उत्तरों के माध्यम से योग्यता के पूरक हैं।
वित्तीय वर्ष 2021-22 के वार्षिक लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण पर सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन में टिप्पणियों को लेखा टिप्पणियों में पर्याप्त रूप से स्पष्ट किया गया है। इस वार्षिक रिपोर्ट के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण खंड में सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ लेखापरीक्षकों के अवलोकन पर प्रबंधन उत्तर भी रखा गया है।</td></tr>
<tr><td>प्रशिक्षण</td><td colspan="2">नीति बोर्ड द्वारा अनुमोदित है और कंपनी द्वारा इसका पालन किया जा रहा है।</td></tr>
<tr><td>कॉर्पोरेट प्रशासन लेखा परीक्षा</td><td colspan="2">कॉर्पोरेट प्रशासन पर सांविधिक लेखा परीक्षकों का कॉर्पोरेट प्रशासन ऑडिट सर्टिफिकेट प्राप्त किया जाता है और निदेशकों की रिपोर्ट के साथ संलग्न किया जाता है।</td></tr>
</table>

निदेशकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक कॉरपोरेट गवर्नेंश पर लेखा परीक्षकों का प्रमाण-पत्र

सेवा में

सदस्यगण,

दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

27, आर.एन. मुखर्जी रोड,

कोलकाता-700001

हमने भारत सरकार, भारी एवं लोक उद्यम मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग एवं उसके अनुलग्नकों (यहां तत्पश्चात "मार्गनिर्देशों" के रूप में संदर्भित) द्वारा जारी किए गए केंद्रीय लोक उद्यमों (सीपीएसई) 2010 के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंश पर दिशानिर्देशों के खंड 8.2.1 के अनुसार 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (इसके बाद "कंपनी " के रूप में संदर्भित) द्वारा कॉरपोरेट गवर्नेंस के अनुपालन की शर्तों की जांच की है।

कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी जांच, कंपनी द्वारा स्वीकृत किए गए दिशा-निर्देशों में बताए कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन सुनिश्चित करने के तरीके की पुनरीक्षा एवं उसके कार्यान्वयन तक ही सीमित थी। यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर विचार की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में एवं हमारी जानकारी एवं हमें दी गई स्पष्टीकरणों के मुताबिक, हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने विहित दिशानिर्देशों का वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कॉरपोरेट गवर्नेंस शर्तों का अनुपालन की है।

हमें आगे यह कहना है कि ऐसा अनुपालन कंपनी की भविष्य की जीवनक्षम के बारे में न कोई आश्वासन है, न ही कंपनी के मामलों में प्रबंधन द्वारा संचालित कार्यक्षमता या प्रभावोत्पादकता है।

कृते **बी.मुखर्जी एंड कं. के लिए**
सनदी लेखाकार
फर्म की पंजीकरण संख्या: 302096ई

सीए तपन कुमार चट्टोपाध्याय
साझेदार
सदस्यता संख्या 053195

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 25-08-2022

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुबंध

1 अप्रैल, 2020 को या उसके बाद शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल की जाने वाली सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रारूप

[कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के तहत निर्धारित अनुबंध-II]

1. कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त रूपरेखा।

कंपनी के दृष्टिकोण के अनुरूप, बीबीजे ने अपनी सीएसआर पहलों के माध्यम से, पहली बार सितंबर, 2012 को आयोजित बोर्ड बैठक में सीएसआर नीति को मंजूरी दी और उसके बाद समय-समय पर किए गए गतिशील परिवर्तनों के साथ तालमेल रखने के लिए बाद में संशोधन किए। कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत सीएसआर से संबंधित मामले, इसके तहत बनाए गए नियमों के साथ, विभिन्न क्षेत्रों को संबोधित करते हुए, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- सीएसआर परियोजना की योजना
- आधारभूत सर्वेक्षण
- कार्यान्वयन की प्रक्रिया
- निष्पादन एजेंसी के लिए वित्त पोषण, निगरानी और योग्यता मानदंड
- कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत अधिसूचित फंड में योगदान सहित स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य आदि के क्षेत्रों में।

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत निर्धारित दिशानिर्देशों के साथ पठित सार्वजनिक उद्यम विभाग के सीएसआर दिशानिर्देशों का अनुपालन किया गया है।

2. सीएसआर समिति की संरचना:

सीएसआर समिति की संरचना इस प्रकार है : -

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम / निदेशक पद की प्रकृति
1.	श्रीमती सरला देवी	स्वतंत्र निदेशक - अध्यक्ष
2.	श्री आदित्य कुमार घोष	सरकार द्वारा नामित निदेशक - सदस्य
3.	श्री मुकेश कुमार	निदेशक (वित्त) - सदस्य

वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या : 3 (तीन) सीएसआर समिति की बैठकें वित्तीय वर्ष 2021-22 में आयोजित की गईं

वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या में भाग लिया: सीएसआर समिति की बैठक में उपस्थिति नीचे दी गई है:

i. 28-09-2021 को आयोजित सीएसआर समिति की बैठक में सभी सदस्यों ने निम्नानुसार भाग लिया:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम / निदेशक पद की प्रकृति
1.	श्री आदित्य कुमार घोष	सरकार द्वारा नामित निदेशक, अध्यक्ष
2.	श्री अर्नब चटर्जी	निदेशक (तकनीकी)– सदस्य
3.	श्री मुकेश कुमार	निदेशक (वित्त) - सदस्य

ii. 22-12-2021 को आयोजित सीएसआर समिति की बैठक में सभी सदस्यों ने निम्नानुसार भाग लिया:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम / निदेशक पद की प्रकृति
1.	श्री आदित्य कुमार घोष	सरकार द्वारा नामित निदेशक, अध्यक्ष
2.	श्री अर्नब चटर्जी	निदेशक (तकनीकी)– सदस्य
3.	श्री मुकेश कुमार	निदेशक (वित्त) - सदस्य

i. सी एस आर समिति की बैठक 15.03.2022 को संपन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित सभी सदस्यों ने भाग लिया :

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम / निदेशक पद की प्रकृति
1.	श्रीमती सरला देवी	स्वतंत्र निदेशक - अध्यक्ष
2.	श्री आदित्य कुमार घोष	सरकार द्वारा नामित निदेशक - सदस्य
3.	श्री मुकेश कुमार	निदेशक (वित्त) - सदस्य

श्रीमती सरला देवी के बतौर स्वतंत्र निदेशक के शामिल होने के बाद, सीएसआर समिति का पुनर्गठन किया गया है। श्रीमती सरला देवी - स्वतंत्र निदेशक अध्यक्ष हैं। अन्य दो सदस्य श्री आदित्य कुमार घोष, सरकार द्वारा नामित निदेशक, सदस्य और श्री मुकेश कुमार, निदेशक (वित्त), सदस्य हैं।

3. वेब-लिंक प्रदान करें जहां कंपनी की वेबसाइट पर सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का खुलासा किया गया है।

- वेबलिंक: https://bbjconst.com/rti.html

4. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014, यदि लागू हो, के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का विवरण प्रदान करें (रिपोर्ट संलग्न करें)।

- लागू नहीं।

5. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप-नियम (3) के अनुसरण में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि का विवरण और वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो

- लागू नहीं

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	पिछले वित्तीय वर्षों से सेट-ऑफ के लिए उपलब्ध राशि (रुपये में)	वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो (रुपये में)
		लागू नहीं	

6. धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ।

धारा 135(5) के अनुसार तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी का औसत शुद्ध लाभ इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष	कर पूर्व लाभ (करोड़ रुपये)
2019-20	2.28
2020-21	15.07
2021-22	4.94
औसत शुद्ध लाभ	**7.43**

7. (क) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत

रु. 0.149 करोड़ (जो वित्त वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के औसत शुद्ध लाभ का 2% है)

(ख) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष।

कोई भी नहीं

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो

कोई भी नहीं

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7 क+7ख +7 ग)।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कुल सीएसआर दायित्व रु.0.149 करोड़ है

8. (क) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च या अव्ययित सीएसआर राशि:

वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (रुपये में)	अव्ययित राशि (रुपये में)				
	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि। (रुपये में)		धारा 135(5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड को हस्तांतरित राशि। (रुपये में)		
	राशि	स्थानांतरण की तिथि	फंड का नाम	राशि	स्थानांतरण की तिथि
12.15 लाख* (वित्त वर्ष 2021-22)	47,936		पीएम केयर्स फंड	47,936	18.05.2022 (वित्त वर्ष 2022-23)

(ख) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अनुसूची VII में अधिनियम की गतिविधियों की सूची से आइटम	स्थानीय क्षेत्र (हां/ नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (रुपये में)	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	धारा 135(6) (रुपये में) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि	कार्यान्वयन का तरीका - प्रत्यक्ष (हां/ नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	ज़िला						नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
रु. 0.149 करोड़ (जो वित्त वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के औसत शुद्ध लाभ का 2% है) वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सीएसआर गतिविधियों के लिए निर्धारित है।												

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण :

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अनुसूची VII में अधिनियम की गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/ नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए खर्च की गई राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन का तरीका - प्रत्यक्ष (हां/ नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	ज़िला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
लागू नहीं									

(घ) प्रशासनिक उपरिव्यय में खर्च की गई राशि- **शून्य**

(ङ) प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो- लागू नहीं

(च) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (8ख+8ग+8घ+8ङ)- **रु. 12.15 लाख**

(छ) समायोजन के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो- **लागू नहीं**

क्र. सं.	**विशिष्ट**	**राशि (रुपये में)**
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	12.63 लाख (वित्त वर्ष 2021-22)
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि *	12.15 लाख (वित्त वर्ष 2021-22)
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	लागू नहीं
(iv)	सीएसआर परियोजनाओं या पिछले वित्तीय वर्षों के कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	लागू नहीं
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	लागू नहीं

9. (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण:

क्र. सं.	**पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष**	**धारा 135 (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (रुपये में)**	**रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)**	**धारा 135(6), यदि कोई हो, के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड में स्थानांतरित राशि**			**आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि। (रुपये में)**
				फंड का नाम	**राशि (रुपये में)**	**स्थानांतरण की तिथि**	
1.	2019-20	0.2887 करोड़	0.1341 करोड़	शून्य			0.2887 करोड़
2.	2020-21	शून्य	0.2887 करोड़	पीएम केयर निधि	0.2887 करोड़	23.09.2020	शून्य
3.	2021-22	47,936	0.1215 करोड़	शून्य			47,936

(ख) पिछले वित्तीय वर्ष (वर्षों) की चल रही परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
क्र. सं.	**परियोजना आईडी**	**परियोजना का नाम**	**वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई थी**	**परियोजना अवधि**	**लिए आवंटित कुल राशि (रुपये में)**	**रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि (रुपये में)**	**वित्तीय वर्ष की रिपोर्टिंग के अंत में खर्च की गई संचयी राशि। (रुपये में)**	**परियोजना की स्थिति - पूर्ण / जारी**
लागू नहीं								

10. पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में खर्च किए गए सीएसआर के माध्यम से इस प्रकार बनाई या अर्जित की गई संपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें (संपत्ति-वार विवरण)- शून्य

(क) पूंजीगत संपत्ति (संपत्तियों) के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि - शून्य

(ख) पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि- शून्य

(ग) इकाई या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिनके नाम पर ऐसी पूंजीगत संपत्ति पंजीकृत है, उनका पता आदि-शून्य

(घ) सृजित या अर्जित (पूंजीगत संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) पूंजीगत संपत्ति (संपत्तियों) का विवरण प्रदान करें - शून्य

11. कारण निर्दिष्ट करें, यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है।

- उपरोक्त बिंदु 6 को देखते हुए लागू नहीं है।

हस्ताक्षरः¬------------ह./................

(अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक)

हस्ताक्षरः¬------------ह./................

(अध्यक्ष, सीएसआर समिति)

दिनांक: : 30 -09-2022

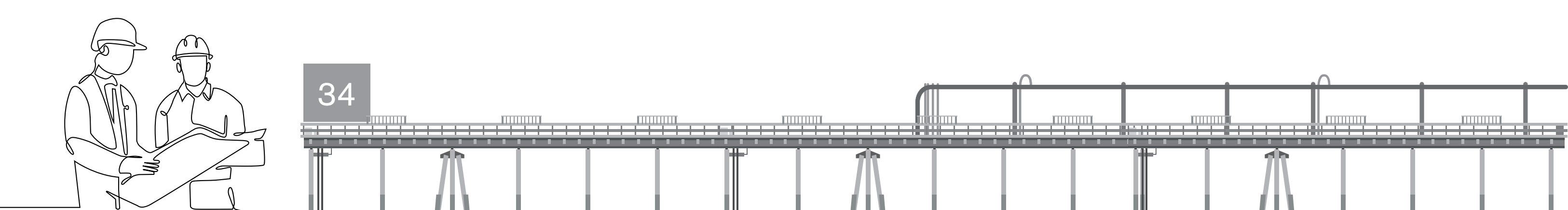

लेखा परीक्षकों के अवलोकन पर प्रबंधन का जवाब

क्रमांक	लेखापरीक्षा अवलोकन	प्रबंधन जवाब
	योग्य राय	
1	वर्तमान परिसंपत्तियों के संबंध में नोट संख्या 7 और वित्तीय विवरण के नोट संख्या 57 में कंपनी द्वारा भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (बीडब्ल्यूईएल) को 207.25 लाख रुपये की राशि का ऋण शामिल है। उक्त राशि से भारत सरकार ने 1989-95 के दौरान कंपनी के माध्यम से 167.39 लाख रुपये का ऋण प्रदान किया और 2008-2009 से 2014-15 के दौरान कंपनी द्वारा सीधे बीडब्ल्यूईएल को 39.86 लाख रुपये प्रदान किए। कंपनी ने नवंबर 2000 में भारत सरकार को 167.39 लाख रुपये के उक्त ऋण का भुगतान किया, लेकिन बीडब्ल्यूईएल ने न तो भारत सरकार से 167.39 लाख रुपये का ऋण चुकाया और न ही बीबीयूएनएल से सीधे 39.86 लाख रुपये का ऋण चुकाया । उक्त ऋण बहुत पुराना है और इसकी वसूली संदेहास्पद है क्योंकि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने अगस्त , 2017 में बीडब्ल्यूईएल को बंद करने की मंजूरी दी थी । इस तरह के ऋण कंपनी द्वारा किए गए आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर लागत पर किए गए हैं और 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण के साथ ऋण के लिए कोई हानि भत्ता नहीं दिया गया है।	योजना और गैर-योजना ऋण उद्देश्य के लिए बीबीयूएनएल (अब बीबीजे) की पूर्ववर्ती सहायक कंपनियों को भारत सरकार के ऋण बीबीयूएनएल (तत्कालीन होल्डिंग कंपनी) के माध्यम से संबंधित सहायक कंपनियों को संवितरण के लिए भेजे गए थे। सहायक कंपनियों की स्थिति पर ध्यान दिए बिना, ऐसे ऋण और उस पर ब्याज की गैर-प्राप्ति की किसी भी घटना के मामले में, उन्हें उनके उचित निर्देशों के साथ भारत सरकार को देय ऋण और ब्याज की तदनुरूपी राशि, यदि कोई हो, के साथ समायोजित किया जाना चाहिए। लागत पर सहायक कंपनियों को ऋण देने के संबंध में कंपनी की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के अनुच्छेद 17 के अनुसार है, जिसका वर्षों से लगातार पालन किया जा रहा है।
2	वर्तमान परिसंपत्तियों के संबंध में नोट संख्या 7 और वित्तीय विवरण के नोट नंबर 57 में कंपनी की सहायक कंपनी भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड (बीपीएमईएल) को 5932.96 लाख रुपये का ऋण और उस पर प्राप्य/उपार्जित ब्याज और 656.03 लाख रुपये का ऋण और वेइबर्ड इंडिया लिमिटेड (डब्ल्यूआईएल) को अर्जित / कंपनी की सहायक कंपनी की सहायक कंपनी। इसी तरह नोट संख्या-16 में उधारी में भारत सरकार से 6588.99 लाख रुपये का ऋण और नोट संख्या 20, अन्य वित्तीय देनदारियों में उक्त ऋणों पर देय ब्याज 34006.55 लाख रुपये शामिल हैं। बीपीएमईएल और डब्ल्यूआईएल की स्थिति के बावजूद, बीपीएमईएल परिसमापन के अधीन है, और कंपनी द्वारा किए गए आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर कलकत्ता उच्च न्यायालय के दिनांक 07 फरवरी, 2020 के आदेश के अनुसार डब्ल्यूआईएल को बंद कर दिया गया है, इस तरह के ऋण और उधार के साथ-साथ अर्जित / प्राप्य और देय ब्याज लागत पर किया गया है और ऐसे निवेशों के मूल्य में हानि और ऋण और प्राप्य / अर्जित ब्याज के लिए हानि के लिए कोई आकलन और परिणामी प्रावधान नहीं है 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण में किया गया है। हमारी राय में निवेश, ऋण और उपार्जित ब्याज सहित अग्रिम दोनों के लिए समय के साथ वहन राशि के खिलाफ बिगड़ा है और चूंकि हानि की राशि का पता नहीं लगाया जा सका है, इसलिए हम 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के खातों में इसके प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।	योजना और गैर-योजना ऋण उद्देश्य के लिए बीबीयूएनएल (अब बीबीजे) की पूर्ववर्ती सहायक कंपनियों को भारत सरकार के ऋण बीबीयूएनएल (तत्कालीन होल्डिंग कंपनी) के माध्यम से संबंधित सहायक कंपनियों को संवितरण के लिए भेजे गए थे। सहायक कंपनियों की स्थिति पर ध्यान दिए बिना, ऐसे ऋण और उस पर ब्याज की गैर-प्राप्ति की किसी भी घटना के मामले में, उन्हें उनके उचित निर्देशों के साथ भारत सरकार को देय ऋण और ब्याज की तदनुरूपी राशि, यदि कोई हो, के साथ समायोजित किया जाना चाहिए। लागत पर सहायक कंपनियों को ऋण देने के संबंध में कंपनी की महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के अनुच्छेद 17 के अनुसार वर्षों से लगातार पालन किया गया है।

क्रमांक	लेखापरीक्षा अवलोकन	प्रबंधन जवाब
3	अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों के संबंध में नोट नंबर 13 और वित्तीय विवरण के नोट नंबर 50 में अप्रैल 2017 से पहले सरकार और वैधानिक प्राधिकरणों के पास अग्रिम के रूप में 47.77 लाख रुपये जमा शामिल हैं। ये अग्रिम और जमाएं बहुत पुरानी हैं और उक्त जमाराशियों/अग्रिमों की वसूली के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदमों के संबंध में आज तक कोई दस्तावेज रिकार्ड में नहीं मिला है।	ऐसे अग्रिमों की एक सूची टिप्पणियों की संख्या 50 में दी गई है जो वित्तीय विवरणों के हिस्सा हैं। कंपनी उपरोक्त जमाराशियों और जहां कहीं भी अनुमेय आवश्यक समायोजन/प्रावधान किए जाने की गहन जांच करेगी।
4	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में नोट नंबर 7- वित्तीय विवरण के वर्तमान और नोट संख्या 49 में विभिन्न प्राधिकरणों / पार्टियों को जारी किए गए 134.79 लाख रुपये के अन्य अग्रिम शामिल हैं जो बहुत पुराने हैं। कंपनी ने उक्त जमा या अग्रिम की वसूली के लिए उठाए गए कदमों के बारे में आज तक कोई रिकॉर्ड या दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए हैं।	ऐसे अग्रिमों की एक सूची वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले नोटों के नोट संख्या 49 में दी गई है। कंपनी उपरोक्त जमाराशियों और जहां कहीं भी अनुमेय आवश्यक समायोजन/प्रावधान किए जाने की गहन जांच करेगी।
5	नोट नंबर 7 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में, लेनदारों को अग्रिम, विभिन्न पक्षों को दिए गए अग्रिमों की 406.30 लाख रुपये की राशि शामिल है जो 10 साल से अधिक समय से पड़े हैं। कंपनी ने आज तक उक्त अग्रिमों की वसूली के लिए कोई रिकॉर्ड या दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए हैं।	परियोजना कार्यों के निष्पादन के लिए विभिन्न पक्षों को इस तरह के अग्रिम दिए गए थे और उनके बिल आज तक कुछ मामलों में समायोजित नहीं किए गए हैं। उन मामलों के लिए जहां क्रेडिट बैलेंस समायोजित की जाने वाली पुस्तकों में समायोजित नहीं है और आराम के लिए, उनकी वसूली के लिए आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई की जानी चाहिए। वसूली न होने अथवा किसी लंबित समायोजन के मामले में मामला-दर-मामला आधार पर समुचित प्रावधान किया जाना चाहिए।
6	कंपनी की सहायक कंपनी भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड (बीपीएमईएल) में 486.30 लाख रुपये, जेसप एंड कंपनी लिमिटेड में 2558.01 लाख रुपये के निवेश के संबंध में नोट नंबर 5 दोनों कंपनी परिसमापन के अधीन हैं, भागीरथी ब्रिज कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड में 0.30 लाख रुपये और लगन जूट मशीनरी कंपनी लिमिटेड में 42.20 लाख रुपये, प्रबंधन द्वारा किए गए आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर, रिपोर्टिंग तिथि 31 मार्च, 2022 को उपरोक्त इकाई की स्थिति के बावजूद लागत पर किया गया है और वर्ष के दौरान कंपनी के वित्तीय विवरण में इस तरह के निवेश के मूल्य में हानि के लिए कोई मूल्यांकन और परिणामी प्रावधान नहीं किया गया है।	सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यम के इक्विटी उपकरणों में निवेश कंपनी की महत्वपूर्ण लेखा नीतियों पैरा 17 के अनुसार लागत पर किया जाता है, जिसका वर्षों से लगातार पालन किया जाता है। पूर्ववर्ती बीबीयूएनएल (अब बीबीजे) ने विशिष्ट सहायक कंपनी में तदनुरूपी निवेश के लिए भारत सरकार द्वारा जारी इक्विटी फंड से ऐसी सहायक कंपनियों में निवेश किया था। ऐसी सहायक कंपनियों की स्थिति के बावजूद, ऐसे निवेशों के जारी करने योग्य मूल्य में किसी भी अंतर के मामले में, उचित निर्देशों के साथ, कंपनी अपने खातों की पुस्तकों में आवश्यक समायोजन करेगी।
	विषय का महत्व	
क	नोट संख्या 61 में कहा गया है कि कंपनी ने भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड (बीपीएमईएल) को दिए गए 6588.99 लाख रुपये के ऋण पर अर्जित ब्याज का हिसाब नहीं दिया है, जो परिसमापन के अधीन है और वेइबर्ड इंडिया लिमिटेड (डब्ल्यूआईएल) एक दूसरी परत सहायक कंपनी ('सहायक'), कलकत्ता उच्च न्यायालय के 07 फरवरी के आदेश के अनुसार बंद हो गई। इसकी वसूली न होने और कंपनी की पूर्व सहायक कंपनी भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (बीडब्ल्यूईएल) को 207.25 लाख रुपये के ऋण पर 2020 की अवधि का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, कंपनी ने भारत सरकार से लिए गए 6588.99 लाख रुपये के ऋण पर देय ब्याज के लिए भी प्रावधान नहीं किया है, जिसका उपयोग कंपनी की उपरोक्त सहायक कंपनियों को ऋण देने के लिए किया गया था।	योजना और गैर-योजना ऋण प्रयोजन के लिए बीबीयूएनएल (अब बीबीजे) की पूर्ववर्ती सहायक कंपनियों को भारत सरकार के ऋण संबंधित सहायक कंपनियों को संवितरण के लिए बीबीयूएनएल (तत्कालीन होल्डिंग कंपनी) के माध्यम से भेजे जाते हैं। सहायक कंपनियों की स्थिति पर ध्यान दिए बिना, ऐसे ऋण और उस पर ब्याज की गैर-प्राप्ति की किसी भी घटना के मामले में, उन्हें उनके उचित निर्देशों के साथ भारत सरकार को देय ऋण और ब्याज की तदनुरूपी राशि (यदि कोई हो) के साथ समायोजित किया जाना चाहिए। चूंकि सहायक कंपनियां परिसमापन के अधीन हैं/बंद हैं, इसलिए ऐसे ऋण और अग्रिमों पर ब्याज बहियों में प्रदान नहीं किया गया है।

क्रमांक	लेखापरीक्षा अवलोकन	प्रबंधन जवाब
ख	नोट संख्या 55 जिसमें कहा गया है कि प्रासंगिक सहायक रिकॉर्ड में दिखाई देने वाली शेष राशियों के अनुसार पुस्तकों में शामिल कुछ व्यापार प्राप्तियों, व्यापार देयों, उधारदाताओं, ऋणों और अग्रिमों आदि की शेष राशि संबंधित पक्षों से पुष्टि और सुलह से उत्पन्न परिणामी समायोजन, यदि कोई हो, के अधीन है। हालांकि कंपनी का मानना है कि इस संबंध में कोई ठोस विसंगति नहीं होगी।	तब से कुछ पुष्टियां प्राप्त हुई हैं और लेखा परीक्षकों को दिखाई गई हैं। हालांकि उक्त अवलोकन आगे अनुपालन के लिए नोट किया गया है।
ग	नोट संख्या 45 जिसमें कहा गया है कि स्क्रैप और/ या अनुपयोगी संयंत्र संपत्ति और उपकरण की गैर-पहचान के संबंध में, जिसके लिए कंपनी के प्रबंधन ने 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए साथ के वित्तीय विवरणों में ऐसी संयंत्र संपत्ति और उपकरण के मूल्य में किसी भी हानि पर विचार नहीं किया है।	अनुपयोगी संपत्ति संयंत्र और उपकरण और स्क्रैप के लिए, कंपनी द्वारा अपनाई जाने वाली प्रथाएं इसकी महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के अनुच्छेद 13 के अनुपालन में हैं।
घ	नोट संख्या 58 जिसमें कहा गया है कि पत्र संख्या 17 (12)/2000-पीई III, दिनांक 26.08.2003 द्वारा भारत सरकार की मंजूरी के परिणामस्वरूप और कंपनी, जेसप एंड कंपनी लिमिटेड (जेसप) और इंडो-वैगन इंजीनियरिंग लिमिटेड द्वारा निष्पादित "शेयर खरीद समझौते" के संदर्भ में, कंपनी ने जेसप (यानी, 72%) के 6,81,34,428 इक्विटी शेयरों को बेचा / अंतरित 1818.00 लाख रुपये की पूरी बिक्री आय को प्रचलित कानूनों के तहत अनुपालन लंबित होने तक भारत सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया था।	अवलोकन प्रकृति में तथ्यात्मक है। इस संबंध में आवश्यक प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले नोटों के नोट संख्या 58 में किया गया है।
ङ	भागीरथी ब्रिज कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के 300 इक्विटी शेयरों में निवेश के लिए 0.30 लाख रुपये (पिछला वर्ष 0.30 लाख रुपये) के शेयर प्रमाण पत्र और ईस्ट इंडिया क्लिनिक लिमिटेड में 5% गैर-भुनाने योग्य पंजीकृत डिबेंचर में निवेश के लिए प्रासंगिक दस्तावेज जो 0.16 लाख रुपये (पिछले वर्ष 0.16 लाख रुपये) थे, हमारे भौतिक सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं कराए गए थे। इसलिए, हम उसी के भौतिक अस्तित्व पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।	भागीरथी ब्रिज कंस्ट्रक्शन कंपनी (पी) लिमिटेड एक निष्क्रिय संयुक्त उद्यम कंपनी है, जिसका सबस्ट्रेटम दूसरे हुगली पुल के निर्माण के उद्देश्य के पूरा होने के बाद खो गया था, जिसके लिए इसे शामिल किया गया था। बीबीसीसीएल में 1.00 लाख रुपये की कुल चुकता पूंजी में से बीबीजे का निवेश कंपनी को पूंजी डालने के रूप में 0.30 लाख रुपये था। ईस्ट इंडिया क्लिनिक लिमिटेड में 5% गैर-भुनाने योग्य पंजीकृत डिबेंचर में निवेश के लिए 0.16 लाख रुपये (वर्तमान में वुडलैंड्स मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल लिमिटेड) को वुडलैंड्स मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल लिमिटेड में समकक्ष इक्विटी शेयरों में परिवर्तित कर दिया गया है।

स्वतंत्र लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन

दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के

सदस्यगण

एकल भारतीय लेखांकन मानकों पर आधारित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर प्रतिवेदन

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के आधार पर यह संशोधित लेखा परीक्षा की रिपोर्ट दिनांक 22 जुलाई, 2022 के हमारे विगत रिपोर्ट को अधिक्रमित करते हुए अनुपालनार्थ जारी किया जाता है।

योग्य राय:

हमने **दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड** ("कंपनी") के संलग्न एकल भारतीय लेखांकन मानकों के आधार पर वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2022 को तुलन-पत्र, लाभ और हानि का विवरण (अन्य विस्तृत आय समेत), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण तथा नकद प्रवाह विवरण उसी तारीख को समाप्त वर्ष हेतु महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ व अन्य व्याख्यात्मक सूचना का सारांश शामिल हैं।

हमारी राय तथा हमारी बेहतर जानकारी एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण यथा संशोधित कंपनी अधिनियम, 2013, ("अधिनियम") द्वारा जिस रूप में अपेक्षित हो, अपेक्षित सूचना प्रदान करते हैं तथा भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप मार्च 31, 2022 को स्थित कंपनी के मामलों की स्थिति तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु इसका लाभ, विस्तृत आय, इक्विटी में परिवर्तन एवं नकद प्रवाह का सच्चा व निष्पक्ष विचार प्रदान करता है ।

योग्य राय हेतु आधार:

1. *वर्तमान परिसंपत्तियों के संबंध में टिप्पणी संख्या 7 और वित्तीय विवरण के टिप्पणी संख्या 57 में कंपनी द्वारा भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (बीडब्ल्यूईएल) को 207.25 लाख रुपये की राशि का ऋण शामिल है। उक्त राशि में से भारत सरकार ने 1989-95 के दौरान कंपनी के माध्यम से 167.39 लाख रुपये का ऋण प्रदान किया और 2008-2009 से 2014-15 के दौरान कंपनी द्वारा सीधे बीडब्ल्यूईएल को 39.86 लाख रुपये प्रदान किए। कंपनी ने नवंबर 2000 में भारत सरकार को 167.39 लाख रुपये के उक्त ऋण का भुगतान किया, लेकिन बीडब्ल्यूईएल ने न तो भारत सरकार को 167.39 लाख रुपये का ऋण चुकाया और न ही बीबीयूएनएल को सीधे 39.86 लाख रुपये का ऋण चुकाया। उक्त ऋण बहुत पुराना है और इसकी वसूली संदिग्ध है क्योंकि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने अगस्त 2017 में बीडब्ल्यूईएल को बंद करने की मंजूरी दी थी। इस तरह के ऋण को कंपनी द्वारा किए गए आंतरिक मूल्यांकन के आधार के लागत पर लिया गया है और 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए संलग्न वित्तीय विवरण में ऋण के लिए कोई हानि भत्ता नहीं है।*

2. *वर्तमान संपत्ति के संबंध में टिप्पणी संख्या 7 और वित्तीय विवरण के टिप्पणी संख्या 57 में कंपनी की एक सहायक कंपनी भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड (बीपीएमईएल) को 5932.96 लाख रुपये का ऋण और तत्संबंधी प्राप्य / अर्जित ब्याज 33656.29 लाख और सहायक कंपनी की सहायक कंपनी वेइबर्ड इंडिया लिमिटेड (डब्लूआईएल) को रु.656.03 लाख का ऋण और तत्संबंधी*

ब्याज अर्जित/प्राप्त करने योग्य राशि रु.350.26 लाख शामिल है। इसी तरह टिप्पणी संख्या - 16 में बतौर ऋण भारत सरकार से 6588.99 लाख रुपये और टिप्पणी संख्या 20 के अन्य वित्तीय देनदारियों में उक्त ऋण पर देय ब्याज 34006.55 लाख शामिल है।

बीपीएमईएल और डब्ल्यूआईएल की स्थिति के बावजूद, बीपीएमईएल परिसमापन के अधीन है, और डब्ल्यूआईएल कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 07 फरवरी, 2020 के अनुसार कंपनी द्वारा किए गए आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर बंद है, ऐसे ऋण और उधार के साथ-साथ अर्जित / प्राप्य ब्याज और उस पर देय लागत पर वहन किया गया है और 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण में इस तरह के निवेश और ऋण के लिए हानि भत्ता और प्राप्य / उपार्जित ब्याज के मूल्य में हानि के लिए कोई मूल्यांकन और परिणामी प्रावधान नहीं किया गया है। निवेश, ऋण और अग्रिम दोनों के लिए हमारी राय में उपार्जित ब्याज सहित वहन राशि के विरुद्ध समय के साथ दुर्बल हुआ है और चूंकि हानि की राशि का पता नहीं लगाया जा सका है, इसलिए हम 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के खातों में इसके प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

3. *अन्य चालू परिसंपत्तियों के संबंध में टिप्पणी संख्या 13 और वित्तीय विवरण के टिप्पणी संख्या 50 में अप्रैल 2017 से पहले सरकार और सांविधिक अधिकारियों के पास अग्रिम के रूप में जमा राशि 47.77 लाख शामिल है। ये अग्रिम और जमा बहुत पुराने हैं और उक्त जमाराशियों/अग्रिमों की वसूली के लिए अब तक कंपनी द्वारा उठाए गए कदमों के संबंध में कोई दस्तावेज रिकॉर्ड में नहीं मिला है।*

4. *अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में टिप्पणी संख्या 7 - वित्तीय विवरण के वर्तमान और टिप्पणी संख्या 49 में विभिन्न प्राधिकरणों/पार्टियों को जारी किए गए रु.134.79 लाख के अन्य अग्रिम शामिल हैं जो बहुत पुराने हैं। उक्त जमा या अग्रिम की वसूली के लिए उनके द्वारा उठाए गए कदमों के संबंध में कंपनी ने आज तक कोई रिकॉर्ड या दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए हैं।*

5. *अन्य वित्तीय आस्तियों के संबंध में टिप्पणी संख्या 7, लेनदारों को अग्रिम, विभिन्न पार्टियों को दिए गए 406.30 लाख रुपये की राशि शामिल है जो 10 वर्षों से अधिक समय से पड़े हैं। कंपनी ने उक्त अग्रिमों की वसूली के लिए आज तक कोई अभिलेख या दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए हैं।*

6. *भारत प्रोसेस और मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड (बीपीएमईएल), कंपनी की एक सहायक कंपनी में 486.30 लाख रुपये, जेसप एंड कंपनी लिमिटेड में 2558.01 लाख रुपये के निवेश के संबंध में टिप्पणी संख्या 5 है। दोनों कंपनियाँ परिसमापन के अधीन हैं। एक संयुक्त उद्यम कंपनी भागीरथी ब्रिज कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड में 0.30 लाख रुपये और लगन जूट मशीनरी कंपनी लिमिटेड में 42.20 लाख रुपये, प्रबंधन द्वारा किए गए आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर, रिपोर्टिंग के अनुसार उपरोक्त इकाई की स्थिति के बावजूद दिनांक 31 मार्च, 2022 को लागत पर किया गया है और वर्ष के दौरान कंपनी के वित्तीय विवरण में इस तरह के निवेश के मूल्य में हानि के लिए कोई मूल्यांकन और परिणामी प्रावधान नहीं किया गया है।*

हमने अपना ऑडिट अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट ऑडिटिंग के मानक (एसए) के अनुसार किया। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को आगे हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा अनुभाग के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियों में वर्णित किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, साथ ही उन नैतिक आवश्यकताओं के साथ जो अधिनियम के प्रावधानों और नियमों के तहत वित्तीय विवरण की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं। इसके तहत, और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है वह वित्तीय विवरण पर हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

विषय का महत्त्व:

हम वित्तीय विवरण की टिप्पणियों में निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो परिणाम की अनिश्चितता का वर्णन करते हैं:

क) टिप्पणी संख्या 61 में कहा गया है कि परिसमापन के अधीन एक सहायक कंपनी भारत प्रोसेस और मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड (बीपीएमईएल) को दिए गए 6588.99 लाख रुपये के ऋण पर अर्जित ब्याज का हिसाब नहीं दिया है, और एक दूसरे श्रेणी की सहायक ('सहायक'), वेइबर्ड इंडिया लिमिटेड (डब्लूआईएल) की पूर्ववर्ती सहायक कंपनी भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (बीडब्ल्यूईएल) को 207.25 लाख रुपये ऋण की गैर-वसूली को देखते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 07 फरवरी, 2020 के अनुसार बंद कर दिया गया।

साथ ही, कंपनी ने रुपये के ऋण पर देय ब्याज के लिए प्रदान नहीं किया है। भारत सरकार से लिए गए 6588.99 लाख, जिसका उपयोग कंपनी की उपरोक्त सहायक कंपनियों को ऋण देने के लिए किया गया था।

ख) टिप्पणी संख्या 55 जिसमें कहा गया है कि संबंधित सहायक रिकॉर्ड में प्रदर्शित शेष राशि के अनुसार पुस्तकों में शामिल कुछ व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, उधारदाताओं, ऋण और अग्रिम आदि की शेष राशि संबंधित पार्टियों से पुष्टि और सुलह से उत्पन्न परिणामी समायोजन, यदि कोई हो, के अधीन है। हालांकि कंपनी का मानना है कि इस संबंध में कोई भौतिक विसंगतियां नहीं होंगी।

ग) टिप्पणी संख्या 45 जिसमें कहा गया है कि स्क्रैप और/या अनुपयोगी संयंत्र संपत्ति और उपकरण की गैर-पहचान के संबंध में, जिसके लिए कंपनी के प्रबंधन ने 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों में ऐसी संयंत्र संपत्ति और उपकरण के मूल्य में किसी भी हानि पर विचार नहीं किया है।

घ) टिप्पणी संख्या 58 जिसमें कहा गया है कि पत्र संख्या 17 (12)/2000 पीई III दिनांक 26.08.2003 द्वारा भारत सरकार की मंजूरी के परिणामस्वरूप और निष्पादित "शेयर खरीद समझौते" के संदर्भ में कंपनी, जेसप एंड कंपनी लिमिटेड (जेसोप) और इंडो-वैगन इंजीनियरिंग लिमिटेड के बीच, कंपनी ने जेसोप (यानी, 72%) के 6,81,34,428 इक्विटी शेयरों को रुपये के विचार के लिए बेचा / स्थानांतरित किया। 29.08.2003 को इंडो-वैगन इंजीनियरिंग लिमिटेड को 1818.00 लाख। 1818.00 लाख रुपये की पूरी बिक्री आय, जैसा कि मौजूदा कानूनों के तहत अनुपालन लंबित है, भारत सरकार को हस्तांतरित कर दी गई है।

ङ) भागीरथी ब्रिज कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के 300 इक्विटी शेयरों में निवेश के लिए शेयर प्रमाण पत्र रु.0.30 लाख (पिछले वर्ष 0.30 लाख) और ईस्ट इंडिया क्लिनिक लिमिटेड में 5% गैर-रिडीमेबल पंजीकृत डिबेंचर में निवेश के लिए प्रासंगिक दस्तावेज हमारे भौतिक सत्यापन के लिए रु.0.16 लाख (पिछले वर्ष रु.0.16 लाख) उपलब्ध नहीं कराए गए थे। इसलिए, हम इसके भौतिक अस्तित्व पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

"अन्य सूचना"

कंपनी के निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

हमारी राय स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण पर अन्य जानकारी को शामिल नहीं करता है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं।

हम कहते हैं कि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा किए गए अवलोकन के आधार पर, हमने वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 5,7 और 13 में मदों के लिए अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में अर्हता प्राप्त की है।

स्टैंडअलोन इंड एएस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हमारे ऑडिट के संबंध में, हमारी ज़िम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना है और ऐसा करने में, इस बात पर विचार करना है कि क्या ऐसी अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है, या ऑडिट में प्राप्त हमारा ज्ञान या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होता है। यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी का एक भौतिक गलत बयान है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। इस बारे में हमें कुछ नहीं बताना है।

वित्तीय विवरणों हेतु प्रबंधन का उत्तरदायित्व :

इन एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित अधिनियम की धारा 134(5) में उल्लिखित विषयों हेतु कंपनी के निदेशक मंडल जिम्मेवार हैं जो अधिनियम की धारा 133 के अधीन विनिर्धारित लेखांकन मानकों समेत भारत में आमतौर पर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप कंपनी की एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य-प्रदर्शन, इक्विटी परिवर्तन तथा नकद प्रवाह का सच्चा व स्वच्छ विचार प्रदान करता है । इस उत्तरदायित्व में, अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा हेतु एवं धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं पता लगाने के लिए पर्याप्त लेखांकन अभिलेख अनुरक्षित करना; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन व लागू करना; निर्णयों तथा अनुमानों को तैयार करना जो युक्तिसंगत एवं विवेकपूर्ण हों; तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का कार्यान्वयन तथा अनुरक्षण; जो लेखा अभिलेखों की शुद्धता व पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से परिचालनरत थे, वित्तीय विवरणों की तैयारी व प्रस्तुतीकरण के अनुरूप धोखाधड़ी या त्रुटि से होनेवाली वस्तुपरक गलतबयानी से मुक्त एवं सत्य व उचित दृष्टि प्रदान करता हो, भी शामिल है ।

प्रबंधन एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए चालू कारबार के तौर पर जारी रखने, खुलासा करने, यथा प्रयोज्य, चालू कारबार से संबंधित मामले एवं लेखांकन की चालू कारबार के आधार पर उपयोग करने, जब तक प्रबंधन कंपनी को बंद करने या प्रचालन समाप्त करने का इरादा रखती हो, या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प न रहने पर कंपनी की योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए जिम्मेदार है ।

वे निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रकिया की देखरेख हेतु भी जिम्मेदार हैं ।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उद्धेश्य एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के बारे में यह उचित आश्वासन हासिल करना है कि ये पूर्ण रूप से वस्तुपरक गलतबयानी से मुक्त हो, चाहे व धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक ऐसा लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी करना, जिसमें हमारी राय शामिल हो । उचित आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, परंतु यह गारंटी नहीं देता है कि लेखांकन मानकों के अनुरूप संचालित लेखा परीक्षा हमेशा वस्तुपरक गलतबयानी, जहां मौजूद होने पर, का पता लगाये । गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण पैदा हो सकती है और भौतिक समझा जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समष्टि रूप से, वे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक फैसलों को प्रभावित करने के लिए उचित रूप से उम्मीद कर सके ।

हम मानक लेखा के अनुसार लेखा परीक्षा के एक अंश के रूप में पेशेवर निर्णय लेते हैं तथा समूचे लेखा परीक्षा में पेशेवर संदेह को बनाए रखते हैं। हम आगे भीः

- हम एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के जोखिमों की पहचान एवं मूल्यांकन भी करते हैं चाहे धोखाधड़ी, या त्रुटि, अभिकल्पना के कारण हो एवं उन जोखिमों के उत्तरकारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया निष्पादन करते हैं, और लेखा परीक्षा साक्ष्य हासिल करते हैं, जो हमारी राय के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त आधार प्रदान करता है। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली वस्तुपरक गलतबयानी का पता नहीं लगाने की जोखिम धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना के तौर पर त्रुटि से होने वाली धोखाधड़ी से अधिक है।

- हम लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को परिस्थितियों के उपयुक्त बनाने के लिए लेखा परीक्षा के अनुरूप आंतरिक नियंत्रण की समझ भी हासिल करते हैं। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अधीन क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पद्धति है एवं इन नियंत्रणों के प्रचालन प्रभावोत्पादकता पर अपनी हम राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं।

- हम उपयोग में आने वाली लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमान के औचित्य तथा प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित खुलासों का भी मूल्यांकन करते हैं।

- हम लेखांकन के चालू कारबार के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर भी निष्कर्ष निकालते हैं, और हासिल किये गये लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या उन घटनाओं या स्थितियों से संबंधित वस्तुपरक अनिश्चितता विद्यमान हैं जो कंपनी की चालू कारबार की योग्यता पर महत्वपूर्ण संदेह कर सकते हैं। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि वस्तुपरक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासे के लिए अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की ओर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है या, यदि ऐसे खुलासे अपर्याप्त हैं, अपना विचार संशोधन हेतु। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। फिर भी, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों से कंपनी को चालू कारबार के रूप में जारी रखना बंद करना पड़ सकता है।

- हम संपूर्ण प्रस्तुति, संरचना और एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की सामग्री का मूल्यांकन करते हैं , जिसमें खुलासे भी शामिल हैं, और चाहे एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं, जो स्वच्छ प्रस्सतुति करता है।

हम अन्य मामलों में, अभिशासन पर आरोप लगाने वाले से संप्रेषण करते हैं, लेखा परीक्षा की योजनाबद्ध गुंजाइश और समय और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा उपलब्धियों, जिनमें आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमी शामिल है, जिसे हम अपने लेखा परीक्षा के दौरान पहचान करते हैं।

हम उन लोगों को भी अभिशासन के साथ एक बयान देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उनसे सभी संबंधों और अन्य मामलों के साथ संप्रेषण करने के लिए जो हमारी स्वतंत्रता वहन करने हेतु उचित रूप से सोची जा सके, और संबंधित सुरक्षा उपाय के साथ, जहां लागू हो।

अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन –

1. अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (11) के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनियों (लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन) का आदेश 2020 (‘आदेश’) द्वारा अपेक्षित, हम “अनुलग्नक-क” में आदेश के 3 और 4 अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट विषयों पर एक विवरण, जहां तक प्रयोज्य है, प्रदान करते हैं।

2. अधिनियम की धारा 143(5) के संदर्भ में हम अपनी रिपोर्ट, कंपनी की बहियों और अभिलेखों की ऐसी जांच के आधार पर जैसा कि उपयुक्त विचार किया तथा हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों, उप निर्देशों पर “अनुलग्नक-ख” में संलग्न कर रहे हैं।

3. अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा यथापेक्षित, हमारी लेखा परीक्षा पर आधारित हम प्रतिवेदन करते हैं कि :

क) हमने जांच की और सभी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त किए जो हमारे बेहतर ज्ञान और विश्वास में हमारी लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे ;

ख) हमारी राय में, विधि द्वारा यथापेक्षित लेखे की उचित बही कंपनी द्वारा रखी गयी है जहां तक कि उन बहियों की हमारी जांच से यह प्रतीत होता है ;

ग) तुलन-पत्र, लाभ और हानि का विवरण, नकद प्रवाह का विवरण एवं इस प्रतिवेदन द्वारा निपटायी गयी इक्विटी में परिवर्तनों के विवरण लेखा बहियों से मेल खाते हैं ;

घ) हमारी राय में, उपर्युक्त एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अधीन विनिर्धारित, कंपनी नियम, 2015 (भारतीय लेखांकन मानकों) के साथ पठित यथासंशोधित लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं ;

ड) निदेशक मंडल द्वारा 31 मार्च, 2022 को निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यादनों के आधार पर यह रिकार्ड किया गया कि अधिनियम की धारा 164 (2) की शर्तों के मुताबिक निदेशकों में से कोई भी 31 मार्च, 2022 को निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं हैं।

च) कंपनी की वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता एवं इन नियंत्रणों की प्रचालनगत प्रभावशीलता के बारे में, हमारे पृथक प्रतिवेदन अनुलग्नक – ग का संदर्भ लें।

छ) कंपनियों (लेखा परीक्षा व लेखा परीक्षक) के नियमों, 2014 यथा संशोधित, के नियम 11 के अनुरूप लेखा परीक्षक रिपोर्ट में शामिल किये जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय तथा हमारी बेहतर सूचना में एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार:--

i. कंपनी ने अपनी एकल वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमेबाजी के प्रभाव का खुलासा किया है – एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 31 और टिप्पणी 43 का संदर्भ लें।

ii. कंपनी ने दीर्घकालिक निर्माण ठेकों में प्रवेश किया है। कंपनी ने दीर्घकालिक ठेकों के अनिष्पादित हिस्से पर वित्तीय वर्ष के अतं में शून्य लाख रु. (विगत वर्ष 321.84 लाख रु.) की अनुमान्य हानि हेतु जिम्मेदार है। कंपनी ने किसी व्युत्पन्न ठेके में प्रवेश नहीं किया है।

iii. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने के लिए कोई ऐसी अपेक्षित राशि नहीं है।

कृते बी मुखर्जी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफ.आर. सं.: 302096ई

सी ए तपन कुमार चट्टोपाध्याय
साझेदार
सदस्यता संख्या (053195)

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 06/9/2022

लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक - "क"

अनुलग्नक - "क" 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरणों पर **दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड** के सदस्यों के दिए हमारे स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन के संदर्भ में है।

इस तरह की जॉच जिसे हम उचित मानते हैं के आधार पर एवं हमारी लेखा परीक्षा के दौरान हमें दी गई सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार हम प्रतिवेदन देते हैं कि :

i. (क) कंपनी स्थायी परिसंपत्तियों का परिमाणात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण ब्यौरा प्रदर्शित करते हुए यथोचित अभिलेख रखी है।

(ख) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा स्थायी परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है एवं टिप्पणी संख्या 42 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जो स्वत: स्पष्ट है।

(ग) भवन में कोलकाता पत्तन न्यास से लाइसेंस करारनामे के तहत सर्कुलर गार्डेन रीच रोड, कोलकाता में जमीन पर स्थायी संरचना 131.46 लाख रु. विगत वर्ष (131.46 लाख रु. राशि) शामिल है। कंपनी नियमित रूप से पट्टे का किराया दे रही है परंतु हमें बैनामा / करारनामे की प्रतियॉं नहीं प्रस्तुत की गयी है।

(घ) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किसी परिसंपत्ति संयंत्र एवं उपकरण अथवा अमूर्त संपत्ति या दोनों का मूल्यांकन नहीं हुआ है।

(ङ) रिपोर्ट वर्ष के दौरान कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है।

ii. .(क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, प्रबंधन ने नियमित अंतरालों पर सूची का भौतिक सत्यापन किया है और ऐसे भौतिक सत्यापन में कोई भौतिक विसंगतियां नहीं पाई गई हैं।

(ख) कंपनी के लिए एक कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत है और वर्ष के दौरान दाखिल तिमाही विवरणी या विवरण बही-खातों के अनुरूप होता है।

iii. हमें दी गई सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अपनी सहायक कंपनी एवं वर्तमान में समापन के अधीन द्वि-स्तरीय सहायक कंपनी को अप्रतिभूत ऋण मंजूर नहीं की है। इसलिए हम, उक्त आदेश की धारा-3(iii)[(क), (ख) और (ग)] के प्रावधानों पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

iv. कंपनी ने सहायक कंपनी को दिए अग्रिम ऋणों एवं सहायक कंपनी एवं संयुक्त उपक्रम कंपनियों में किए निवेश के बारे में अधिनियम की धारा 185 एवं 186 के प्रावधानों का अनुपालन की है। कंपनी ने अधिनियम की धारा 185 और 186 के अधीन आने वाली किसी पार्टी को कोई गारंटी या जमापत्र नहीं दी है।

v. कंपनी ने धारा 73 से 76 या अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए नियमों के अधीन किसी अन्य अनुरूप प्रावधानों के अर्थ से कोई सार्वजनिक जमा स्वीकृत नहीं की है।

vi. केन्द्र सरकार ने अधिनियम की धारा 148(1) के अधीन कंपनी द्वारा दी गई किसी सेवाओं के लिए लागत अभिलेख रखने को नहीं कहा है।

vii. (क) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार एवं हमारे द्वारा बहियों एवं अभिलेखों की जांच के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान कुछ मामलों में विलंब को छोड़कर भविष्य-निधि, कर्मचारी राज्य-बीमा, आय-कर, विक्रय-कर, संपत्ति-कर, सेवा-शुल्क, उत्पादन-शुल्क, मूल्य वर्द्धित कर, माल एवं सेवा-कर, उपकर से संबंधित बकायों एवं इस पर प्रयोज्य अन्य अविवादित सांविधिक बकायों को यथोचित प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा करती रही है।

हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च, 2022 को स्थित देय तारीख से छह माह से अधिक तक बकाये वाले निम्नलिखित को छोड़कर आय-कर, सेवा-कर, माल एवं सेवा- कर, उपकर और अन्य भौतिक सांविधिक बकाये के बारे में कोई अविवादित देय राशि बकाया नहीं थी।

क्रम सं.	बकाये की प्रकृति	राशि (लाख रु. में)	संबंधित अवधि
1	कर्मचारी भविष्य निधि	17.13	पुराना बकाया
2	पेशाकर	0.66	पुराना बकाया
3	स्रोत से संग्रहीत कर	0.16	पुराना बकाया
4	देय सेवाकर (पूर्ववती बीबीयूएनएल से संबंधित)	1.94	पुराना बकाया(विवरण उपलब्ध नहीं है)
5	स्रोत से कर की कटौती	1.45	पुराना बकाया
6	विक्रय-कर	1.54	पुराना बकाया
7	आय-कर मांग	1.16	2005-06
8	आय-कर मांग	4.57	2006-07
9	आय-कर मांग	2.35	2008-09
10	आय-कर मांग	0.08	2012-13
11	आय-कर मांग	1.17	2015-16

(ख) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार एवं हमारे द्वारा बहियों एवं अभिलेखों की जांच के आधार पर, यथाप्रयोज्य, आय-कर, विक्रय-कर, भविष्य निधि के बकाये का ब्यौरा नीचे दे रहें हैं, जिसे किसी विवाद के कारण जमा नहीं किया गया एवं पीठ जहां विवाद लंबित है :

क्रम सं.	संविधि का नाम	बकाये की प्रकृति	संबंधितअवधि	जिस मंच पर विवादलंबित/ खारिज हो गया है	राशि(लाख रु. में)
	पं. बं. मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003	कार्य ठेका कर	2011-12	संयुक्त आयुक्त –वाणिज्यिक कर	4.30
2	बिहार मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003	कार्य ठेका कर	2010-11	संयुक्त आयुक्त – वाणिज्यिक कर	33.25
3	बिहार वित्त अधिनियम, 1994	कार्य ठेका कर	2011-12	संयुक्त आयुक्त – वाणिज्यिक कर	30.98
4	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा-कर मांग, धारा-75 के अधीन उस पर ब्याज (राशि निर्धारित नहीं) समेत और अधिरोपित दण्ड	2007-08 to 2011-12	सीमाशुल्क, उत्पाद-शुल्क एवं सेवा-कर अपीलीय ट्राइब्यूनल	154.45
5	कर्मचारी भविष्य-निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952	हरजाना/ ब्याज देय	03/2000 से 04/2008	भविष्य निधि आयुक्त, क्षे.का., कोलकाता, पं. बंगाल ने मांग की है। कंपनी ने कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय ट्राईब्यूनल, नई दिल्ली एवं माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता के समक्ष अपील की है। मांग की राशि 96.10 लाख रुपये है एवं बीबीयूएनल भविष्य निधि ट्रस्ट संगठन के पास 41.96 लाख रुपये है।	54.14
6	दिल्ली मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2004	कार्य ठेका कर	2004-05	वाणिज्य-कर विभाग	19.36

क्रम सं.	संविधि का नाम	बकाये की प्रकृति	संबंधितअवधि	जिस मंच पर विवादलंबित/ खारिज हो गया है	राशि(लाख रु. में)
7	बिहार जीएसटी	ट्रान 1 ब्याज	2017-18	अपीलीय अधिकारी	12.55
8	पं.बं. मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003	कार्य ठेका कर	2016-17	अपीलीय अधिकारी	0.21
9	झारखण्ड मूल्य वर्धित कर	अधिक आईटीसी दावा किया गया	01/07/ 2017 to 30/11/ 2018	उप आयुक्त (चाईबासा क्षेत्राधिकार)	11.55
10	आय-कर,1961	आय-कर मांग	2009-10	आयकर आयुक्त (अपील)	10.65
11	आय-कर,1961	आय-कर मांग	2010-11	क्षेत्राधिकार मूल्यांकन अधिकारी	0.96
12	आय-कर,1961	आय-कर मांग	2011-12	आयकर आयुक्त (अपील)	69.95
13	आय-कर,1961	आय-कर मांग	2012-13	क्षेत्राधिकार मूल्यांकन अधिकारी	285.31
14	आय-कर,1961	आय-कर मांग	2013-14	क्षेत्राधिकार मूल्यांकन अधिकारी	66.80
15	आय-कर,1961	आय-कर मांग	2013-14	आयकर अपीलीय ट्राईब्यूनल	58.67
16	आय-कर,1961	आय-कर मांग	2014-15	क्षेत्राधिकार मूल्यांकन अधिकारी	4.94
17	आय-कर,1961	आय-कर मांग	2015-16	क्षेत्राधिकार मूल्यांकन अधिकारी	1.16
18	आय-कर,1961	आय-कर मांग	2017-18	क्षेत्राधिकार मूल्यांकन अधिकारी	6.23

viii. वर्ष के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर आकलन में पहले से दर्ज नहीं की गई आय से संबंधित कोई लेनदेन नहीं था या आय के रूप में प्रकट किया गया था।

ix. (क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने ऋणों या अन्य उधारों के पुनर्भुगतान में या किसी भी ऋणदाता को उस पर ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है।

(ख) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(ग) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई मीयादी ऋण नहीं लिया है और वर्ष के प्रारंभ में कोई अप्रयुक्त मीयादी ऋण नहीं है और इसलिए आदेश के खंड (ix)(ग) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(घ) कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच करने पर, अल्पावधि आधार पर जुटाई गई निधियों का प्रथम दृष्ट्या कंपनी द्वारा दीर्घकालिक प्रयोजनों के लिए उपयोग नहीं किया गया है।

(ङ) कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच करने पर, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनी या संयुक्त उद्यम के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी इकाई या व्यक्ति से कोई निधि नहीं ली है।

(च) कंपनी ने अपनी सहायक कंपनी अथवा संयुक्त उद्यम में रखी गई प्रतिभूतियों के गिरवी रखने पर वर्ष के दौरान ऋण नहीं उठाया है।

x. (क) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे सार्वजनिक पेशकश या सावधि ऋण के माध्यम से धन नहीं जुटाया है। तदनुसार, कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 का पैराग्राफ 3 (ix) लागू नहीं है।

ख) वर्ष के दौरान कंपनी ने शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूर्ण या आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से) का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी नियोजन नहीं किया है और इसलिए आदेश के खंड (x) (b) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

xi. (क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी लेखा परीक्षा के दौरान कंपनी पर या उसके द्वारा कोई भौतिक धोखाधड़ी देखी या रिपोर्ट नहीं की गई है।

(ख) जहां तक हमारी जानकारी है, कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (12) के अंतर्गत वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार के पास कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 13 के अंतर्गत यथा निर्धारित प्रपत्र एडीटी-4 में कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है।

(ग) जैसा कि प्रबंधन द्वारा हमें बताया गया है, वर्ष के दौरान कंपनी को व्हिसल ब्लोअर की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी।

xii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश का पैरा 3(xii) लागू नहीं है।

xiii. कंपनी में आयोजित संबंधित पक्षों के साथ सभी लेनदेन धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 और विवरणों का खुलासा वित्तीय विवरणों आदि में किया गया है, जैसा कि लागू भारतीय लेखा मानकों द्वारा आवश्यक है।

xiv. (क) कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है।

(ख) हमने वर्ष के दौरान कंपनी को जारी की गई आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्टों पर विचार किया है और 31 मार्च, 2022 तक की अवधि को कवर किया है।

xv. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों या उससे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3 (xv) लागू नहीं है।

xvi. सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-Iए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड (xvi)(क), (ख), (ग) और (घ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

xvii. कंपनी ने हमारे ऑडिट द्वारा कवर किए गए वित्तीय वर्ष और तुरंत पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान नकद घाटा नहीं उठाया है।

xviii. वर्ष के दौरान कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों का कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है।

xix. वित्तीय अनुपातों, वित्तीय परिसंपत्तियों की प्राप्ति और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की उम्र बढ़ने और अपेक्षित तिथियों, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी और निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारे ज्ञान और मान्यताओं का समर्थन करने वाले सबूतों की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में कुछ भी नहीं आया है, जो हमें यह विश्वास करने का कारण बनता है कि ऑडिट रिपोर्ट की तारीख को कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो दर्शाता है कि कंपनी बैलेंस शीट की तारीख पर मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है जब वे बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होते हैं। तथापि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भावी व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय सभी देनदारियों को कंपनी द्वारा निर्वहन किया जाएगा।

xx (क) वर्तमान चालू परियोजनाओं के अलावा, अधिनियम की धारा 135 की उप धारा 5 के दूसरे प्रावधान के अनुपालन में, अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित करने के लिए कोई अव्ययित राशि नहीं है।

(ख) कंपनी अधिनियम की धारा 135 की उप धारा (6) के प्रावधान के अनुपालन में कंपनी में चल रही किसी भी परियोजना के लिए कोई अव्ययित राशि नहीं है, जिसे एक विशेष खाते में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है।

समेकित वित्तीय विवरण सहित सीएआरओ में संबंधित लेखा परीक्षक द्वारा कोई योग्यता या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है, इसलिए आदेश के खंड (xxi) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

कृते बी मुखर्जी एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजी. सं.: 302096ई

सीए तपन कुमार चट्टोपाध्याय
साझेदार
सदस्यता संख्या 053195
यूडीआईएनः 22053195AREMAT2546

स्थान: **कोलकाता**
दिनांक: 06/9/2022

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन का अनुलग्नक -"ख"

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अधीन सामान्य दिशानिर्देश

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अधीन सामान्य दिशानिर्देश	दिशानिर्देशों पर की गई कार्रवाई पर लेखापरीक्षकों का उत्तर	वित्तीय विवरणों पर प्रभाव
(I) एकाउंटिंग सॉफटवेयर क्या कंपनी के पास सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन की प्रक्रिया चलाने के लिए सिस्टम है ? यदि हाँ, तो वित्तीय आशय, यदि कोई हो, के साथ-साथ खातों की अक्षतता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन की कार्यवाही का आशय बतायें।	कंपनी टैली ईआरपी 9 नामक एकाउंटिग सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रही है एवं और स्टॉक को छोड़कर सभी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करती है, जिसे मैन्युअल रूप से एकाउंट किया जा रहा है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त लेखांकन सॉफ्टवेयर के बाहर कोई भी लेखांकन लेनदेन संसाधित नहीं किया जाता है, जो वर्तमान में कंपनी द्वारा उपयोग में है।	लागू नहीं।
(II) कर्ज़ पुनर्गठन क्या कंपनी के ऋण की वापसी में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी के वर्तमान ऋणों का कोई पुनर्गठन या कर्ज / ऋण / ब्याज आदि के परित्याग / बट्टे खाते लिखे गये हैं ? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव को बताया जाये।	कंपनी के पास भारत सरकार, जो कि कंपनी का प्रवर्तक है से प्राप्त ऋण के अलावा कोई उधार नहीं है, इसलिए यह खंड लागू नहीं होता है।	शून्य
(III)सरकारी निधि / अनुदान का उपयोग क्या केन्द्रीय / राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजना के लिए प्राप्त / प्राप्य निधियों के शर्तों के मुताबिक समुचित रूप से लेखांकन/ उपयोग होता है ? व्यतिक्रम वाले मामले की सूची दें।	हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान केन्द्रीय / राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजना के लिए कोई निधि प्राप्त नहीं हुई / प्राप्य नहीं है।	शून्य

कृते बी मुखर्जी एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजी. सं.: 302096ई

सीए तपन कुमार चट्टोपाध्याय
साझेदार
सदस्यता संख्या 053195
यूडीआईएनः 22053195AREMAT2546

स्थान: **कोलकाता**
दिनांक: 06/9/2022

लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक-''ग''

कंपनी अधिनियम 2013 (''अधिनियम'') की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अधीन आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर प्रतिवेदन।

हमने मार्च 31, 2022 को समाप्त **दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड** (''कंपनी'') की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा के संयोजन में उसी तारीख को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी के एकल भारतीय लेखांकन मानकों वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु प्रबंधन का उत्तरदायित्व:

कंपनी का प्रबंधन 'इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक नियंत्रण की लेखा परीक्षा पर दिशानिर्देश टिप्पणी में बताये गये आंतरिक नियंत्रण की आवश्यक संघटकों को विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड के ऊपर आंतरिक नियंत्रण'' पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की स्थापना एवं अनुरक्षण हेतु जिम्मेदार है। इस उत्तरदायित्व में, कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन यथापेक्षित पर्याप्त आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी की नीतियों के पालन, अपनी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने सहित अपने व्यवसाय के क्रमिक और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम करना, लेखांकन अभिलेखों की शुद्धता और पूर्णता, और समय पर विश्वसनीय वित्तीय जानकारी तैयार करना है।

लेखा-परीक्षकों का उत्तरदायित्व:

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखा-परीक्षा पर आधारित वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अपनी राय व्यक्त करना है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी लेखा परीक्षा पर मानकों तथा वित्तीय रिपोर्टिंग (''दिशानिर्देश टिप्पणी'') के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर दिशानिर्देश टिप्पणी तथा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के अधीन विनिर्धारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परीक्षा के लिए एक हद तक लागू समझी जाती है। दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हो कि लेखा परीक्षा पर परियोजना दोनो इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी के अनुरूप लेखा परीक्षा संचालित की है।

उन मानकों और मार्गदर्शन टिप्पणी की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और योजना बनाएं और ऑडिट करें ताकि इन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा जा सके और यदि इस तरह के नियंत्रण में प्रभावी ढंग से संचालित हों।

हमारी लेखापरीक्षा में इन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में इन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि एक भौतिक कमजोरी मौजूद है, और चयनित के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन इस पर निर्भर करता है लेखापरीक्षक का निर्णय, वित्तीय विवरण के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिम के मूल्यांकन सहित, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी ऑडिट राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रणों का मतलब

वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर किसी कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो आमतौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप बाह्य उद्धेश्यों हेतु वित्तीय विवरण तैयार करने तथा वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता संबंधी उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए बनायी गयी है। वित्तीय

रिपोर्टिंग के ऊपर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में शामिल नीतियाँ एवं प्रक्रियाएँ जो

(1) अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित हैं जो कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन-देन एवं स्वभाव का उचित विवरण, शुद्धता व सही प्रतिबिम्ब प्रदान करती है;

(2) यह उचित आश्वासन प्रदान करती है कि आमतौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति के लिए यथा आवश्यक लेन-देन का रिकार्ड किया जाता हो तथा कंपनी की प्राप्तियाँ तथा व्यय कंपनी के प्रबंधन तथा निदेशकों के सिर्फ प्राधिकार के अनुरूप किये जा रहे हों; तथा

(3) कंपनी की परिसंपत्तियों का अनधिकृत अधिग्रहण, व्यवहार या स्वभाव की रोकथाम या समय पर पता लगाने से संबंधित उचित आश्वासन प्रदान करना जो कि वित्तीय विवरणों पर वस्तुपरक प्रभाव पड़ सकता हो।

इन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं।

इन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सामग्री गलत विवरण हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की अवधि के लिए इन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि इन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं का अनुपालन बिगड़ सकता है।

राय

हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी के पास इन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं। भारत की चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन टिप्पणी में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च, 2022 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे। ।

कृते बी मुखर्जी एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजी. सं.: 302096ई

सीए तपन कुमार चट्टोपाध्याय
साझेदार
सदस्यता संख्या 053195
यूडीआईएनः 22053195AREMAT2546

स्थान: **कोलकाता**
दिनांक: 06/9/2022

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा पर मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। ऐसा उनके द्वारा 6 सितंबर 2022 की अपनी संशोधित ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से किया गया है, जो 22 जुलाई 2022 की उनकी पिछली ऑडिट रिपोर्ट का स्थान लेती है।

1, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143 (6) (ए) के तहत 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए दि ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का पूरक ऑडिट किया है। यह पूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षक के कार्य पत्रों तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और मुख्य रूप से सांविधिक लेखा परीक्षक और कंपनी कर्मियों की जांच और कुछ लेखांकन अभिलेखों की चयनात्मक जांच तक सीमित है।

सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में किए गए संशोधनों को ध्यान में रखते हुए, अनुपूरक लेखा परीक्षा के दौरान उठाई गई मेरी कुछ लेखा परीक्षा टिप्पणियों को प्रभावी बनाने के लिए, मेरे पास अधिनियम की धारा 143 (6) (ख) के तहत सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर और कोई टिप्पणी नहीं है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए
तथा उनके तरफ से

(सुपर्णा देव)
महानिदेशक लेखा परीक्षा (खदान)

स्थान: कोलकाता
दिनांकः 5 सितंबर 2022

लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण

तुलन-पत्र

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

	Note	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
परिसंपत्तियाँ			
गैर वर्तमान परिसंपत्तियाँ			
जायदाद, संयंत्र एवं उपकरण	2	**449.87**	**470.83**
पूंजीगत कार्य प्रगतिधीन	4	**29.43**	**-**
अमूर्त परिसंपत्तियाँ	3	**4.64**	**6.34**
वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
निवेश	5	**3,166.07**	**3,162.05**
व्यापार प्राप्य	6	**-**	**-**
अन्य	7	**5,535.73**	**5,134.02**
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ, शुद्ध	8	**647.15**	**666.44**
		9,832.89	**9,439.68**
वर्तमान परिसंपत्तियाँ			
मालसूची	9	**4,963.48**	**4,394.04**
वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
व्यापार प्राप्य	6	**2,345.59**	**1,301.72**
नकद और नकदी के समतुल्य	10	**3,218.58**	**4,228.83**
अन्य बैंक बैलेंस	11	**5,112.28**	**5,525.05**
अन्य	7	**45,521.36**	**45,480.95**
वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ	12	**325.05**	**265.27**
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ	13	**1,689.78**	**1,468.00**
		63,176.13	**62,663.84**
कुल परिसंपत्तियाँ		**73,009.02**	**72,103.52**
इक्विटी एवं देयताएँ			
इक्विटी			
इक्विटी शेयर पूंजी	14	**12,086.05**	**12,086.05**
अन्य इक्विटी	15	**8,967.43**	**8,702.01**
कुल इक्विटी		**21,053.48**	**20,788.06**
गैर वर्तमान देयताएँ			
वित्तीय देयताएँ			
उधारी	16	**262.06**	**262.06**
पट्टा देयताएँ		**-**	**-**
अन्य वित्तीय देयताएँ	20	**163.05**	**163.05**
व्यापार देयताएँ	19		

	Note	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
- सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि		702.61	702.61
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि (नोट 36 देखें)		-	-
प्रावधान	17	507.05	514.88
अन्य गैर-वर्तमान देयताएँ	18	2,985.54	3,066.72
		4,620.32	4,709.33
वर्तमान देयताएँ			
वित्तीय देयताएँ			
उधारी	16	6,589.00	6,589.00
पट्टा देयताएँ		-	-
व्यापार देयताएँ	19		
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि		4,387.69	3,020.33
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि (नोट 36 देखें)		-	-
अन्य वित्तीय देयताएँ	20	34,559.22	34,600.19
अन्य वर्तमान देयताएँ	18	1,732.59	2,352.23
वर्तमान कर देयताएँ	21	-	-
प्रावधान	17	66.72	44.38
		47,335.22	46,606.13
कुल देयताएँ		51,955.54	51,315.46
कुल इक्विटी और देयताएँ		73,009.02	72,103.52
महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश	1		

संलग्न टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

उसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते बी.मुखर्जी एंड कं. के लिए

सनदी लेखाकार

फर्म की पंजीकरण संख्या: 302096E

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

सीआईएन: U70100WB1986GOI041286

सीए तपन कुमार चट्टोपाध्याय
साझेदार
सदस्यता संख्या 053195
यूडीआईएन:22053195AREMAT2546

सुंदर बनर्जी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन:06862063

मुकेश कुमार
निदेशक (वित्त)
डीआईएन:08778135

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 22-07-2022

एसके घोष
उप महाप्रबंधक (वित्त)
पैन:AMTPG 9199H

एनके मिश्रा
कंपनी सचिव
पैन: AIQPM 3388P

लाभ और हानि का विवरण

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

	टिप्पणी	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2022 के लिए	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2021 के लिए
संचालन से राजस्व	22	13,701.36	7,053.86
अन्य आय	23	482.74	3,307.19
कुल आय		**14,184.10**	**10,361.05**
व्यय :			
उपभोग की गई सामग्री की लागत	24	6,437.64	1,145.98
मालसूची में बदलाव और प्रगतिधीन कार्य	25	(789.10)	1,087.07
कर्मचारी हित खर्च	26	2,249.64	2,195.49
वित्त लागत	27	18.28	128.68
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	28	97.51	93.37
अन्य खर्चे	29	5,675.99	4,203.40
कुल खर्च		**13,689.97**	**8,853.99**
कर देने से पूर्व लाभ		494.13	1,507.05
कर व्यय			
वर्तमान कर	30	159.42	442.68
आस्थगित कर	30	19.29	(103.64)
कुल कर व्यय		178.71	339.04
वर्ष के लिए लाभ		**315.42**	**1,168.01**
अन्य व्यापक आय			
वे मद जिन्हें लाभ या हानि में पुन: वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-	-
वे मद जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
आयकर प्रभाव	30	-	-
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय, कर के निवल		-	-
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय		**315.42**	**1,168.01**
प्रति इक्विटी शेयर आय (1,000 भा.रु. का सांकेतिक मूल्य)भा.रु. में	37		
मूल		26.10	96.64
तनुकृत		26.10	96.64
महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश	1		

संलग्न टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

उसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते बी.मुखर्जी एंड कं. के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म की पंजीकरण संख्या: 302096E

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से
दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
सीआईएन: U70100WB1986GOI041286

सीए तपन कुमार चट्टोपाध्याय
साझेदार
सदस्यता संख्या 053195
यूडीआईएनः22053195AREMAT2546

सुंदर बनर्जी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः06862063

मुकेश कुमार
निदेशक (वित्त)
डीआईएनः08778135

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 22-07-2022

एसके घोष
उप महाप्रबंधक (वित्त)
पैनःAMTPG 9199H

एनके मिश्रा
कंपनी सचिव
पैनः AIQPM 3388P

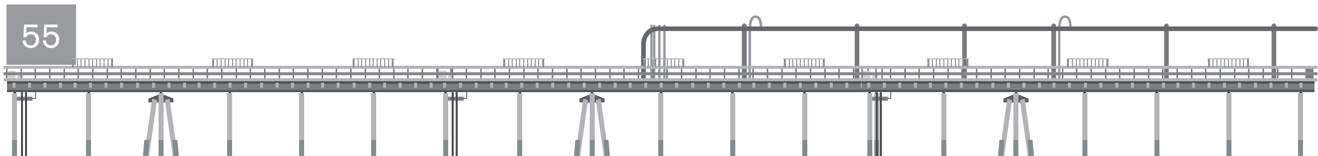

नकद प्रवाह का विवरण

	31 मार्च, 2022को समाप्त	31 मार्च, 2021 को समाप्त
I. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
कर देने से पूर्व लाभ	494.13	1,507.05
शुद्ध नकद प्रवाह से करपूर्व लाभ के मिलान के लिए समायोजन:		
मूर्त संपत्ति का मूल्यह्रास	92.79	89.07
अमूर्त संपत्ति का परिशोधन	4.71	4.30
जायदाद, संयंत्र एवं उपकरण की विक्री पर लाभ (शुद्ध)	-	-
बैंक और सुरक्षा जमा पर ब्याज आय	(463.50)	(568.06)
वित्त लागत	18.28	128.68
सरकारी अनुदान से विभाजित आय	-	(32.52)
ब्याज आय	(4.02)	(3.81)
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ	**142.40**	**1,124.71**
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन:		
परिचालन परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी के लिए समायोजन		
व्यापार प्राप्य	(1,043.87)	1,963.31
मालसूची	(569.45)	998.64
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां - वर्तमान	(40.41)	313.37
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	(221.79)	(58.13)
परिचालन देनदारियों में (वृद्धि)/कमी के लिए समायोजन		
व्यापार देनदारियाँ	1,367.35	(1,362.77)
अन्य वित्तीय देनदारियाँ	(40.97)	77.25
अन्य वर्तमान देनदारियाँ	(619.65)	(659.60)
प्रावधान	14.52	(1.55)
संचालन से उत्पन्न नकदी	**(1,011.86)**	**2,395.22**
आयकर का भुगतान	(219.20)	(310.20)
प्रचालन क्रियाकलाप से/(में) उत्पन्न शुद्ध नकदी	**(1,231.07)**	**2,085.02**
II. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
जायदाद, संयंत्र और उपकरण एवं अमूर्त (पूंजीगत कार्य प्रगतिधीन समेत) की खरीद	(104.28)	(72.23)
जायदाद, संयंत्र और उपकरण एवं अमूर्त (पूंजीगत कार्य प्रगतिधीन समेत) का निपटान	-	0.07
बैंकों में 3 महीने से ज्यादा की मूल परिपक्वता वाली सावधि जमा का (निवेश) / विमोचन	412.76	(3,523.76)
प्राप्त ब्याज	463.50	568.06
तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष से अधिक परिपक्वता वाले बैंक में जमाराशियां	(401.71)	2,310.18
निवेश गतिविधियों में उपयोग किया गया कुल नकद	**370.27**	**(717.69)**
III. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
लम्बी अवधि के उधार / (चुकौती) से प्राप्त शुद्ध आय	(81.18)	(17.48)
अल्प अवधि के उधार / (चुकौती) से प्राप्त शुद्ध आय	-	-
ब्याज का भुगतान किया	(18.28)	(96.16)
अंतिम लाभांश	(50.00)	(1,032.15)
अंतिम लाभांश पर कर	-	-
वित्तीय गतिविधियों द्वारा प्रदान की गई शुद्ध नकदी	**(149.46)**	**(1,145.79)**
नकद और नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि (I+II+III)	(1,010.25)	221.55
वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समकक्ष	4,228.83	4,007.29
वर्ष के अंत में नकद और नकद समकक्ष (नीचे टिप्पणी देखें)	**3,218.58**	**4,228.83**

	31 मार्च, 2022को समाप्त	31 मार्च, 2021 को समाप्त
टिप्पणी:		
नकद और नकद समकक्ष में शामिल हैं:		
हाथ में नकद	4.51	2.74
बैंकों में नकद:		
- चालू खातों में	271.64	152.36
- तीन महीने से कम मूल परिपक्वता वाली रकम जमा खाते में	2,942.43	4,073.73
केनरा बैंक से ओवरड्राफ्ट	-	-
	3,218.58	**4,228.83**

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश 1

संलग्न टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

उसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते बी.मुखर्जी एंड कं. के लिए

सनदी लेखाकार

फर्म की पंजीकरण संख्या: 302096E

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

सीआईएन: U70100WB1986GOI041286

सीए तपन कुमार चट्टोपाध्याय
साझेदार
सदस्यता संख्या 053195
यूडीआईएनः22053195AREMAT2546

सुंदर बनर्जी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः06862063

मुकेश कुमार
निदेशक (वित्त)
डीआईएनः08778135

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 22-07-2022

एसके घोष
उप महाप्रबंधक (वित्त)
पैनःAMTPG 9199H

एनके मिश्रा
कंपनी सचिव
पैनः AIQPM 3388P

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

(शेयर डेटा को छोड़कर और जहां अन्यथा कहा गया हो, सभी राशि भारतीय रुपये में लाख)

क. इक्विटी शेयर पूंजी

	शेयरों की संख्या	**राशि**
1 अप्रैल, 2020 को शेष	1,208,605	12,086.05
31 मार्च, 2021 को शेष	1,208,605	12,086.05
जोड़ें: वर्ष के दौरान जारी किया गया	-	-
31 मार्च 2022 को शेष	1,208,605	12,086.05

ख. अन्य इक्विटी

विवरण	शेयर आवेदन राशि का आबंटन लंबित	पुनर्संरचना इक्विटी शेयर जमा	प्रारक्षित एवं अधिशेष				कुल
			प्रारक्षित पूंजी	सामान्य प्रारक्षित	प्रतिधारित आय	ऋणपत्र रिडेम्पशन रिजर्व	
31 मार्च 2020 को	-	-	0.06	1,473.65	6,788.78	303.66	8,566.15
वर्ष का लाभ	-	-	-	-	1,168.01	-	1,168.01
वर्ष के दौरान जारी			-	-	-	-	-
प्रतिधारित आय से स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	(1,032.15)	-	(1,032.15)
अंतिम लाभांश पर कर	-	-	-	-	-	-	-
अन्य व्यापक आय							
परिभाषित लाभ योजनाओं पर पुन: माप	-	-	-	-	-	-	-
लाभ/(हानि)							
आयकर प्रभाव	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2021 को	**-**	**-**	**0.06**	**1,473.65**	**6,924.64**	**303.66**	**8,702.01**
वर्ष का लाभ	-	-	-	-	315.42	-	315.42
वर्ष के दौरान जारी किया गया			-	-	-	-	-
अंतिम लाभांश 21-22	-	-	-	-	(50.00)	-	(50.00)
अंतिम लाभांश पर कर	-	-	-	-	-	-	-
प्रतिधारित आय में स्थानांतरण					187.50	(187.50)	-
अन्य व्यापक आय							-
परिभाषित लाभ योजनाओं पर पुनर्माप	-	-	-	-	-	-	-
लाभ/(हानि), कर का निवल							
आयकर प्रभाव	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2022 को शेष राशि	**-**	**-**	**0.06**	**1,473.65**	**7,377.57**	**116.16**	**8,967.43**

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश 1

संलग्न टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

उसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते बी.मुखर्जी एंड कं. के लिए

सनदी लेखाकार

फर्म की पंजीकरण संख्या: 302096E

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

सीआईएन: U70100WB1986GOI041286

सीए तपन कुमार चट्टोपाध्याय
साझेदार
सदस्यता संख्या 053195
यूडीआईएनः22053195AREMAT2546

सुंदर बनर्जी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः06862063

मुकेश कुमार
निदेशक (वित्त)
डीआईएनः08778135

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 22-07-2022

एसके घोष
उप महाप्रबंधक (वित्त)
पैनःAMTPG 9199H

एनके मिश्रा
कंपनी सचिव
पैन: AIQPM 3388P

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

1. कंपनी सूचना एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

क. रिपोर्टिंग इकाई :

दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") भारत में अवस्थित एक कंपनी है एवं शेयरों (सीआईएन: यू70100डब्ल्यूबी1986 जीओआई 041286) द्वारा सीमित है। कंपनी की पंजीकृत कार्यालय का पता 27, आर.एन. मुखर्जी रोड, मोदी बिल्डिंग, कोलकाता-700001 है। कंपनी फैब्रिकेशन समेत मुख्य रूप से निर्माण के व्यापार में युक्त है।

ख. वित्तीय विवरण की तैयारी का आधार :

1. अनुपालन का विवरण

ये वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रयोज्य प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिसूचित एवं प्रयोज्य के विस्तार तक), कंपनी (भारतीय लेखांकन मानकों) नियम 2015 व तदन्तर उनमें संशोधन के अधीन अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक (भार ले मा) के अनुपालन तथा लेखांकन के प्रोद्भवन आधार पर तैयार किये गये हैं।

2. माप का आधार

ये वित्तीय विवरण, निम्नलिखित मदों को छोड़कर ऐतिहासिक लागत परंपरा तथा प्रोद्भवन आधार पर तैयार किये गये हैं।

- कुछ वित्तीय परिसंपत्तियां तथा देयताएँ उचित मूल्य पर मापे गये हैं।
- कर्मचारी परिभाषित लाभ परिसंपत्तियां / (देयताएँ) योजना परिसंपत्तियों, जोड़ बीमांकित हानियों, कम बीमांकित लाभों तथा परिभाषित लाभ बाध्यता के वर्तमान मूल्य के उचित मूल्य के कुल निवल जोड़ के रूप में पहचाने जाते हैं।

3. वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतीकरण

तुलन-पत्र और लाभ व हानि का विवरण कंपनी अधिनियम 2013 ('अधिनियम') की अनुसूची III में विनिर्धारित फार्मेट में तैयार और प्रस्तुत किये जाते हैं। नकद प्रवाह का विवरण भारतीय लेखांकन मानक 7 के "नकद प्रवाह का विवरण" की आवश्यक्ताओं के अनुसार तैयार और प्रस्तुत किया है। तुलन-पत्र और लाभ व हानि विवरण, अधिनियम, की अनुसूची III में यथा विनिर्धारित, में मदों से संबंधित आवश्यक्ताओं को वित्तीय विवरणों के अंश स्वरूप के माध्यम से प्रस्तुत किये जाते हैं।

4. कार्यमूलक मुद्रा

वित्तीय विवरण भारतीय रुपयों में प्रस्तुत किये जाते हैं, जो कंपनी की कार्यमूलक मुद्रा होती है। यह प्राथमिक आर्थिक वातावरण की मुद्रा है जिसमें इकाई संचालित होती है।

5. प्रचालन चक्र

सभी परिसंपत्तियां और देयताएँ कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में स्थापित कंपनी की सामान्य प्रचालन चक्र एवं अन्य मानदंड के अनुसार चालू या अप्रचलित के रूप में वर्गीकृत किये गये हैं।

परिसंपत्तियां :

एक परिसंपत्ति को चालू के रूप में वर्गीकृत की जाती है जब वह निम्नलिखित मानदंडों में से किसी एक को पूरा करती हो :

क. कंपनी के सामान्य प्रचालन चक्र में विक्रय या खपत का इरादा या उगाही की आशा की जाती हो ;

ख. इसे प्राथमिक तौर पर व्यापार करने के उद्धेश्य से रखा जाता है ;

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

ग. रिपोर्टिंग तिथि के बाद बारह महीने के अंदर उगाही का आशा की जाती है ; या

घ. यह नकद या नकद समतुल्य है जब तक इसे रिपोर्टिंग तिथि के बाद कम-से-कम बारह महीनों के लिए देयता समाधान के लिए विनिमय या उपयोग के रूप में प्रतिबंधित नहीं किया जाता हो।

देयताएँ

एक देयता को चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब वह निम्नलिखित मानदंडों में से किसी एक को पूरा करती हो :

क) कंपनी के सामान्य प्रचालन चक्र में समाधान किये जाने की प्रत्याशा हो ;

ख) इसे प्राथमिक तौर पर व्यापार करने के उद्धेश्य से समझा जाता हो ;

ग) इसे रिपोर्टिंग तिथि के बाद बारह महीने के अंदर समाधान किया जाता हो ; या

घ) कंपनी के पास रिपोर्टिंग तिथि के बाद कम-से-कम बारह महीनों के लिए देयता के समाधान को आस्थगित करने का कोई बिना शर्तिया अधिकार नहीं है। देयता की शर्ते, जो प्रतिरूपी की राय पर, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के जारी द्वारा इसके समाधान का परिणामी हो सका, इसके वर्गीकरण को प्रभावित नहीं करता है।

चालू परिसंपत्तियों / देयताओं में क्रम से अप्रचलित परिसंपत्तियों/ देयताओं के चालू अंश शामिल हैं। सभी अन्य परिसंपत्तियों / देयताओं को अप्रचलित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों/ देयताओं को अप्रचलित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

6. महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णय तथा अनुमान अनिश्चितता स्रोत

भारतीय लेखांकन मानक के अनुरूप वित्तीय विवरण की तैयारी में प्रबंधन की ओर से रिपोर्टिंग अवधि के दौरान प्रचालन के परिणाम तथा वित्तीय समायोजन की तिथि को आकस्मिक परिसंपत्तियों व आकस्मिक देयताओं की प्रकटीकरण तथा परिसंपत्तियों, देयताओं, आय व व्यय की प्रतिवेदित राशि एवं लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग को प्रभावित करती हैं पर न्याय, आकलन व मान्यता देना आवश्यक है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। अनुमान और निहित मान्यताओं की एक चालू आधार पर समीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमानों के पुनरीक्षण को किसी भावी प्रभावित अवधि तथा अवधि जिसमें अनुमानों का पुनरीक्षण किया जाता है में प्रतिचिह्नित किये जाते हैं। लेखांकन नीतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण निर्णयों पर सूचना जिसका वित्तीय विवरणों में मान्य राशि पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता हो लेखांकन नीतियों और / या वित्तीय विवरणों की टिप्पणी में शामिल है।

वित्तीय विवरणों की समझ को बढ़ाने के लिए, लेखांकन नीतियों को लागू करने में अनुमान के महत्वपूर्ण क्षेत्रों, अनिश्चितता और महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में जानकारी जो वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है लेखांकन नीतियों तथा/ या वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां निम्नानुसार हैं:

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की पहचान – एक सीमा जहां तक आस्थगित कर परिसंपत्तियां प्रतिचिह्नित की जा सकती है भावी करयोग्य आय की संभावना के आकलन पर आधारित है जिसके प्रति आस्थगित कर संपत्तियों का व्यवाहार किया जा सकता है।

परिसंपत्तियों के हानि हेतु सूचकों का मूल्यांकन – परिसंपत्तियों के ह्रास के सूचकों की प्रयोज्यता के मूल्यांकन में भिन्न आंतरिक एवं बाह्य घटक अपेक्षित हैं जो परिसंत्तियों की उगाही योग्य राशि की हानि का कारण हो।

वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि – प्रत्येक तुलन-पत्र में, प्रत्याशित जीवन पर परिलक्षित ऐतिहासिक डिफॉल्ट दरों पर आधारित, प्रबंधन बकाया वित्तीय परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित साख की हानि का मूल्यांकन करता है।

प्रावधान – प्रत्येक तुलन-पत्र पर आंकड़ा आधारित प्रबंधन न्याय, तथ्यों व विधिक पक्षों में परिवर्तन, कंपनी बकाया आकस्मिक देयताओं के प्रति प्रावधानों की आवश्यकता का मूल्यांकन करती है। तथापि, वास्तविक भावी परिणाम अनुमान से भिन्न हो सकता है।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

मूल्यह्रास / ह्रसित परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन – प्रबंधन प्रत्येक रिपोर्टिंग आंकड़ों पर मूल्यह्रास/ ह्रसित परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन के इसके अनुमान की समीक्षा करता है जो परिसंपत्तियों के अपेक्षित उपयोगिता पर आधारित है। तकनीकी और आर्थिक अड़चन से संबंधित इन अनुमानों की अनिश्चितता जो परिसंपत्तियों की उपयोगिता को बदल सकती है।

परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ) – डीबीओ का प्रबंधन अंतर्निहित मान्यताओं यथा, मुद्रास्फीति की मानक दरें, क्षयन, छूट दर एवं भावी वेतन वृद्धि की प्रत्याशा पर आधारित है, इन मान्यताओं में उतार-चढ़ाव डीबीओ राशि तथा वार्षिक परिभाषित लाभ व्यय में पर्याप्त रूप से प्रभाव डाल सकते हैं।

उचित मूल्य मापन – प्रबंधन वित्तीय साधनों (जहां सक्रिय बाजार बोलियां उपलब्ध नहीं हैं) के उचित मूल्य का निर्धारण करने के लिए मूल्यांकन तकनीकों क प्रयोग करना है, इसमें बाजार प्रतिभागी साधन की लागत कैसे लगाएंगे संबंधी सुसंगत विकासात्मक अनुमान एवं धारणा शामिल है।

7. उचित मूल्य का मापन

कतिपय कंपनी की लेखांकन नीतियों तथा प्रकटीकरण में उचित मूल्यों का मापन, वित्तीय और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों व देयताओं दोनों हेतु आवश्यक है।

उचित मूल्य निम्नलिखित मूल्यांकन तकनीकों में व्यवहृत निवेशों पर आधारित उचित मूल्य पदानुक्रम में विभिन्न स्तरों में संवर्गीकृत किए जाते हैं।

- स्तर 1 : समान परिसंपत्तियों या देयताओं हेतु सक्रिय बाजारों में उद्धृत कीमत (असमायोजित)
- स्तर 2 : स्तर 1 में शामिल उद्धृत कीमत के अलावा निवेश जो परिसंपत्तियों या देयताओं, प्रत्येक (यानी मूल्य) या अप्रत्यक्ष (यथा, कीमत से व्युत्पन्न), हेतु ध्यान देने योग्य हैं।
- स्तर 3 : परिसंपत्ति या देयता हेतु निवेश जो ध्यान देने योग्य बाजार आंकड़ों पर आधारित नहीं हैं (ध्यान न देने योग्य निवेश)

परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य के मापन के समय, कंपनी जहां तक संभव हो, ध्यान देने योग्य बाजार आंकड़ों का व्यवहार करती है। अगर निवेशकों का उचित मूल्य पदानुक्रम के विभिन्न स्तरों में गिरी परिसंपत्ति या देयता की उचित कीमत के मापन हेतु व्यवहार किया गया, तब उचित मूल्य मापन को निम्नतम स्तर निवेश के रूप में उचित मूल्य पदानुक्रम के उसी स्तर में उसे पूरी तरह मापने के लिए संवर्गित किया जाता है।

कंपनी रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्य पदानुक्रम के स्तरों के बीच स्थानांतरणों की पहचान करता है जिसके दौरान परिवर्तन हुए हैं।

ग. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

1. राजस्व प्रतिचिह्नित

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

क) निर्माण क्रियाकलापों से राजस्व निम्नानुसार प्रतिचिह्नित किये जाते हैं :

निर्माण अनुबंध से प्राप्त राजस्व को निम्नानुसार मान्यता दी गई है:

इंडएएस 115 ''ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व'' के अनुसार,निर्माण से राजस्व की पहचान की जाती है और सेवा गतिविधियाँ ''ओवर टाइम'' पद्धति पर आधारित होती हैं और कंपनी डिलीवरी की प्रगति को मापने के लिए आउटपुट पद्धति का उपयोग करती है।

जब अलग-अलग अनुबंधों के परिणाम का अनुमान विश्वसनीय रूप से लगाया जा सकता है, तो अनुबंध राजस्व और अनुबंध लागत को रिपोर्टिंग तिथि पर पूरा होने के चरण के संदर्भ में क्रमशः राजस्व और व्यय के रूप में पहचाना जाता है। लागतों को व्यय के रूप में पहचाना जाता है और राजस्व को अनुबंध की अनुमानित कुल लागत के लिए रिपोर्टिंग तिथि पर कुल लागत के अनुपात के आधार पर पहचाना जाता है।

एक अनुबंध के अनुमानित परिणाम को विश्वसनीय माना जाता है जब निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी होती हैं:

i. राजस्व की मात्रा को मज़बूती से मापा जा सकता है;

ii. यह संभावना है कि अनुबंध से जुड़े आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे;

iii. रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुबंध के पूरा होने के चरण को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है; और

iv. अनुबंध के संबंध में होने वाली या खर्च की जाने वाली लागतों को मज़बूती से मापा जा सकता है।

अनुबंध पर अपेक्षित हानि, यदि कोई हो, को उस अवधि में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसमें अनुबंध पूरा होने के चरण की परवाह किए बिना, यह अनुमान लगाया गया है।

प्रदर्शन किए गए कार्य के लिए बिल की गई राशि लेकिन अभी तक ग्राहक द्वारा भुगतान किया जाना है, बैलेंस शीट में व्यापार प्राप्य के रूप में खुलासा किया गया है। ग्राहकों द्वारा रखे गए प्रतिधारण धन की राशि को अन्य मौजूदा परिसंपत्तियों के हिस्से के रूप में प्रकट किया जाता है और भुगतान के लिए देय होने पर व्यापार प्राप्तियों के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है।

ख. माल की बिक्री : माल की बिक्री से राजस्व को प्रतिचिह्नित किया जाता है जब कंपनी ने माल के स्वामित्व के महत्वपूर्ण जोखिम और पुरस्कार को क्रेता को स्थानांतरित कर दिया है, यह अब बेचे गये माल पर नियंत्रण बनाये नहीं रख सकता है, यह संभव है कि लेनदेन से जुड़े आर्थिक लाभ कंपनी के लिए प्रवाहित होंगे तथा लेन-देन के संबंध में उपगत लागत या उपगत होनेवाली लागत विश्वसनीय रूप में निरूपित की जा सकती है।

ग सेवा प्रदान : सेवा प्रदान से राजस्व प्रतिचिह्नित किया जाता है जब लेन-देन का परिणाम लेन-देन के संपूरण चरण के संदर्भ द्वारा विश्वसनीय रूप में अनुमानित किया जा सकता है। लेन-देन का परिणाम विश्वसनीय रूप में अनुमानित किया जा सकता है जब निम्नलिखित सभी शर्तें संतुष्ट करती हों :

1. राजस्व की राशि विश्वसनीय रूप में मापी जा सकती है,

2. यह संभव है कि लेन-देन से जुड़े आर्थिक लाभ कंपनी की ओर प्रवाहित होंगे,

3. रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लेन-देन संपूरण चरण विश्वसनीय रूप से मापे जा सकते हैं, तथा

4. लेन-देन के संबंध में उपगत या उपगत होने वाली लागत विश्वसनीय रूप से मापी जा सकती है।

संपूर्ण चरण लेन-देन की अनुमानित कुल लागत के लिए आज तक उपगत वास्तविक लागत के समानुपात द्वारा निर्धारित किया जाता है, गैर बिलकृत राजस्व ठेका शर्तों के अनुरूप की गयी सेवा लेकिन विकृत नहीं के मूल्य को दर्शाती है।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

घ **ब्याज से आय :** वित्तीय परिसम्पत्तियों से ब्याज आय की पहचान की जाती है जब यह संभव हो कि आर्थिक लाभ कंपनी को प्रवाहित हो तथा आय की राशि विश्वसनीय रूप से मापी जा सकती है। ब्याज आय मूल बकाया संदर्भ तथा प्रयोज्य प्रभावी ब्याज दर द्वारा, समय समानुपात के आधार पर प्रोद्भूत किया जाता है, यह वह दर है जो प्रारंभिक पहचान पर परिसम्पत्तियों की निवल वाहक राशि को वित्तीय परिसम्पत्तियों के, प्रत्याशित जीवन के माध्यम अनुमानित भावी नकद प्राप्तियों को वास्तव मे कम करता है।

ङ **लाभांश आय :** लाभांश आय की पहचान तभी की जाती है जब कंपनी का लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो।

2 पट्टे

पट्टों का हिसाब भारतीय लेखा मानक 116 के अनुसार है जो 1 अप्रैल, 2019 से अनिवार्य हो गया है।

पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों का संपत्ति के उपयोग का अधिकार के रूप में किया जाता है और पट्टे पर सदृश देयता को पट्टा शुरू होने की तारीख पर लेखांकन किया जाता है

प्रारंभ में संपत्ति के उपयोग का अधिकार को लागत पर मापा जाता है, जिसमें प्रारंभ तिथि पर या उससे पहले किए गए किसी भी पट्टे के भुगतान के लिए समायोजित पट्टे देयता की प्रारंभिक राशि शामिल होती है, इसके अलावा किसी भी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत और अंतर्निहित परिसंपत्ति का विखण्डित करने और अंतर्निहित परिसंपत्ति को हटाने या अंतर्निहित परिसंपत्ति या उस साइट को पुनर्स्थापित करने के लिए जिस पर वह किसी भी पट्टे पर प्राप्त प्रोत्साहन से कम स्थित है।

शुरू में पट्टे देयता को पट्टे भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है, कंपनी की वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करके रियायत दी जाती है। यह फिर मापा जाता है जब किसी सूचकांक या दर में बदलाव, या गारंटीकृत अवशिष्ट मूल्य के अनुमान में बदलाव, या खरीद, विस्तार या समाप्ति के विकल्प में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले भविष्य के पट्टे के भुगतान में बदलाव होता है। जब पट्टे देयता के इस तरह से मापा जाता है, तो परिसंपत्ति के उपयोग के अधिकार की वहन राशि के लिए एक संगत समायोजन किया जाता है, या यदि संपत्ति के उपयोग के अधिकार की वहन राशि शून्य कर दी गई है तो लाभ और हानि के विवरण में दर्ज किया जाता है।

लागत मॉडल के प्रयोग करके संपत्ति के उपयोग का अधिकार मापा जाता है यानी लागत पर सम्पति के उपयोग के अधिकार में से मूल्यहास और संचयी हानि घटाकर किया जाता है।

सीधी-रेखा विधि के प्रयोग से सम्पत्ति के उपयोग के अधिकार का मूल्यहास पट्टे की प्रारंभ की तारीख से पट्टे की समाप्त अवधि तक या अंतर्निहित परिसम्पत्ति की उपयोग की अवधि जो भी पहले हो, निकाला जाता है। पट्टे की देयता की वहन राशि पट्टे की देयता पर ब्याज द्वारा वृद्धि होती है और पट्टे की भुगतान से कम होती है।

निम्नलिखित पट्टों के साथ जुड़े पट्टे के भुगतान को सीधी-रेखा के आधार पर व्यय के रूप में पहचान की जाती है : (i) कम मूल्य के पट्टे, और (ii) पट्टे जो अल्पकालिक हैं।

पट्टे पर दी गई संपत्तियों को या तो परिचालन पट्टे या वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। किसी पट्टे को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि यह अंतर्निहित स्वामित्व के लिए सभी आनुषंगिक जोखिमों और प्रतिफलों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित करता है। शुरूआत में वित्त पट्टे के अधीन रखी सम्पत्तियां तुलन-पत्र में पहचान की जाती है और और पट्टे में शुद्ध निवेश के बराबर राशि के तौर पर प्राप्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। पट्टे की अवधि में वित्त आय की पहचान की जाती है, यह एक पैटर्न के आधार पर होता है जो पट्टे में कंपनी के शुद्ध निवेश पर निरंतर आवधिक दर को दर्शाता है। पट्टा जिसे वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया हो वह एक परिचालन पट्टा है।

कंपनी प्रचालन पट्टे पर दी गयी परिसंपत्तियों के मामले में सीधी रेखा आधार पर पट्टे से प्राप्तियों को आय के रूप में मानती है। कंपनी संपत्ति से संबंधित वर्ग के तहत अपनी तुलन-पत्र में परिचालन पट्टे के साथ अंतर्निहित परिसंपत्तियां प्रस्तुत करती है।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

3. विदेशी मुद्रा :

कंपनी का वित्तीय विवरण तैयार करने में, कंपनी को कार्यकारी मुद्रा विदेशी मुद्रा के अलावा मुद्रा में लेनदेन, लेनदेन की तिथियों पर प्रचलित मुद्रा दरों पर प्रतिचिह्नित किये जाते हैं। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, विदेशी मुद्रा में अंकित मौद्रिक मदों को उस तारीख पर प्रचलित दरों पर पुनर्अनुवादित किया जाता है। गैर-मौद्रिक मद जिनका मापन विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत की शर्तों में किया जाता है का पुनर्अनुवाद नहीं किया जाता है। मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतर उस अवधि में लाभ या हानि में प्रतिचिह्नित किये जाते हैं, जिनमें वे उत्पन्न होते हैं।

4. उधारी लागतः

विशिष्ट उधारी लागत जो अर्हा परिसंपत्ति के उत्पादन या अधिग्रहण, निर्माण में आरोप्य है, ऐसी संपत्ति की लागत के रूप में पंजीकृत किये जाते हैं। ऐसे समय तक परिसंपत्ति अपने इच्छित व्यवहार हेतु तैयार रहती है। एक अर्हा संपन्न परिसंपत्ति एक ऐसी परिसंपत्ति है, जो इच्छित उपयोग हेतु तैयार होने में एक पर्याप्त आवधिक समय आवश्यक रूप से लेती हैं। सभी अन्य उधारी लागत एक अवधि में एक व्यय के रूप में प्रतिचिह्नित होते हैं जिसमें वे उपगत होते हैं।

उधारी लागत में ब्याज व्यय, छूट में कमी धन उधार लेने के संबंध में होने वाली सहायक लागत और विदेशी मुद्रा उधार से उत्पन्न होनेवाले विनिमय अंतर को ब्याज लागत में समायोजन के रूप में माना जाता है।

5 आयकर :

आयकर व्यय चालू और आस्थगित कर मिलकर बनता है। आयकर व्यय इक्विटी में जो प्रत्यक्ष रूप से प्रतिचिह्नित मदों से संबंधित है के विस्तार को छोड़कर आयकर विवरण में प्रतिचिह्नित है, जिसमें मामला इक्विटी में प्रतिचिह्नित है।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

चालू कर

चालू कर वर्ष के लिए रिपोर्टिंग तिथि पर पर्याप्त रूप से अधिनियमित या अधिनियमित कर दरों का व्यवहार कर तथा विगत वर्षों के संबंध में देय कर में कोई समायोजन के उपरांत कर योग्य आय पर अपेक्षित देय कर है ।

आस्थगित कर

आस्थगित कर तुलन-पत्र पद्धति का व्यवहार कर, वित्तीय रिपोर्टिंग उद्धेश्यों हेतु परिसंपत्तियों और देयताओं की संवाहक राशि तथा कराधान उद्धेश्यों हेतु व्यहृत राशि के बीच अस्थायी अंतर प्रावधानित कर प्रतिचिह्नित किया जाता है। आस्थगित कर निम्नलिखित अस्थायी अंतरों हेतु प्रतिचिह्नित नहीं किया जाता है : लेनदेन में परिसंपत्तियों या देयताओं की प्रारंभिक प्रतिचिह्नित जो एक व्यापार संयोजन नहीं है और वह न तो लेखांकन न ही कर योग्य लाभ को प्रभावित करता है, सहायक कंपनियों एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों में निवेश से संबंधित अंतर एक विस्तार तक कि यह संभव है कि वे निकट भविष्य और सदइच्छा की प्रारंभिक मान्यता पर उत्पन्न कर योग्य अस्थायी अंतरों में विपरीत नहीं होंगे। आस्थगित कर उन कर दरों पर मापा जाता है जिन्हें, अस्थायी अंतरों पर लागू किया जाता है, जो कि कानूनों के आधार पर लागू किये गये या पर्याप्त रूप से अधिनियमित किये गये कानूनों के आधार पर होते हैं। आस्थगित कर और देयताएँ ऑफसेट हैं अगर वहां ऑफसेट चालू कर देयताओं और परिसंपत्तियों पर विधिक प्रवर्तन योग्य अधिकार हो, और वे उसी कर योग्य इकाई या भिन्न कर इकाइयों पर उसी कर प्राधिकारी द्वारा लगाये गये आयकरों से संबंधित हो, लेकिन वे निवल आधार पर चालू कर देयताओं और परिसंपत्तियों के समाधान की इच्छा रखते हों या उनकी कर परिसंपत्तियां और देयताएँ साथ-साथ उगाही जाएंगी।

एक आस्थगित कर संपत्ति इस हद तक मान्यता प्राप्त करता है कि यह संभव है कि भावी कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके प्रति अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सके। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है तथा इस हद तक कम कर दी जाती है कि अब यह संभव नहीं है कि संबंधित कर लाभ उगाहा जाएगा।

6 प्रति शेयर अर्जन

कंपनी अपने सामान्य शेयरों के लिए मूल और तनुकृत अर्जन प्रति शेयर (“ईपीएस”) प्रस्तुत करता है। प्रति शेयर बुनियादी शेयर वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या द्वारा अवधि हेतु इक्विटी शेयर धारकों को अधिरोप्य निवल लाभ को विभाजित कर परिगणित किया जाता है।

प्रति शेयर तनुकृत अर्जन तनुकृत संभावित इक्विटी शेयरों के संबंध में वर्ष हेतु इक्विटी शेयर धारकों पर अधिरोप्य निवल लाभ विभाजित कर, प्रति शेयर बुनियादी अर्जन प्राप्त हेतु विचारित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा तथा इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा संगणित किया जाता है जो सभी तनुकृत संभाव्यता इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी किया जा सकता था। संभावित इक्विटी शेयर तभी तनुकृत माना जाता है जब इक्विटी शेयरों में उनके रूपांतरण के प्रति शेयर निवल लाभ हो जाएगा।

7 संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर

पीपीई की प्रारंभिक लागत में इसकी क्रय कीमत, आयात शुल्क व गैर-वापसी योग्य क्रय कर सहित, तथा एक संपत्ति को चालू स्थिति व अवस्थान में लाने, इसके इच्छित उपयोग हेतु, लाने की किसी प्रत्यक्ष अधिरोपित लागत प्रासंगिक उधारी लागत तथा बंद करने की किसी प्रत्याशित लागत समेत न्यून संचित ह्रास हानि, अगर कोई, शामिल है। पीपीई के बाद उपगत व्यय को प्रचालन व्यय को प्रचालन में रखे गये हैं, जैसा कि मरम्मती और अनुरक्षण की अवधि जिसमें लागत उपगत किये जाते हैं, में लाभ और हानि के विवरण में प्रभावित किये जाते हैं।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

पीपीई मद का अगर कोई हिस्सा अलग उपयोगी जीवन का है तब उसे पीपीई के अलग मदों (प्रमुख घटक) के रूप में गिना जाता है।

सामग्री मदें, यथा, अतिरिक्त पुर्जे, स्टैंडबाई उपस्कर तथा सेवा उपकरण को पीपीई के रूप में वर्गीकृत किये जाते हैं जब वे भारतीय लेखांकन मानक 16 – संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर में यथा विनिर्दिष्ट पीपीई की परिभाषा को पूरा करते हों।

7.1 निर्माण अवधि के दौरान व्यय

निर्माण अवधि के दौरान व्यय में (अर्हा प्राप्त पीपीई के अधिग्रहण या निर्माण हेतु उधारकृत निधियों से संबंधित वित्तीय लागत समेत) पूंजीगत कार्य प्रगति के अधीन शामिल है, तथा उसे उनके निर्माण के पूरा हो जाने पर संबंधित पीपीई में आबंटित किया जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर पीपीई बकाया अधिग्रहण या निर्माण बाबत दिये गये अग्रिम को 'अन्य प्रचलित परिसंपत्ति' के अधीन पूंजीगत अग्रिम के रूप में प्रकट किया जाता है।

7.2 मूल्यह्रास

मूल्यह्रास उपयोगी जीवन पर पीपीई की मूल्यह्रास योग्य राशि के क्रमबद्ध आबंटन है तथा जो अधिनियम की अनुसूची-II में यथा विनिर्धारित उपयोगी जीवन पर रिटेन डाउन मूल्य पद्धति के अनुसार प्रावधान है।

पीपीई हेतु मूल्यह्रास योग्य राशि पीपीई की लागत है जो अनुमानित अवशिष्ट मूल्य को कम करती है। पीपीई का उपयोगी जीवन एक अवधि है जिस पर कंपनी, या उत्पादन संख्या या समरूप इकाइयों, कंपनी द्वारा परिसंपत्ति से प्राप्त की आशा, द्वारा व्यवहार हेतु उपलब्ध होने की आशा है।

अतिरिक्त पर मूल्यह्रास स्थापना या अधिग्रहण के माह से समानुपातिक आधार पर प्रावधान किया जाता है। कटौती/निस्तारण पर मूल्यह्रास कटौती/निस्तारण की तिथि तक समानुपातिक आधार पर प्रावधानित किया जाता है।

निस्तारण पर लाभ और हानि धारण राशि सहित प्राप्ति को तुलना करते हुए निर्धारित किये जाते हैं। लाभ व हानि के विवरण में यह शामिल है।

8 अमूर्त परिसंपत्तियां और परिशोधन

अमूर्त परिसंपत्तियां न्यून संचित परिशोधन तथा ह्रास लागत पर उल्लिखित किये जाते हैं। अमूर्त परिसंपत्तियां जिस तिथि से व्यवहार के लिए उपलब्ध हैं की तिथि से सीधी-रेखा आधार पर उनके संबंधित अनुमानित व्यवहार पर परिशोधित की जाती हैं।

परिशोधन

एक अमूर्त परिसंपत्ति का अनुमानित उपयोगी जीवन कतिपय घटकों, प्रचलन प्रभाव, मांग, संपूरण और अन्य आर्थिक घटक (यथा– उद्योग का स्थायित्व व ज्ञात तकनीक अग्रिम) तथा परिसंपत्ति से प्रत्याशित भावी नकद प्रवाह प्राप्त करने के लिए अपेक्षित अनुरक्षण व्ययों के स्तर पर आधारित होता है।

कंपनी 3 वर्षों की अवधि से सीधी-रेखा पद्धति का व्यवहार करते हुए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का परिशोधन करता है।

9 सामान-सूची

सामान-सूची अप्रचलन हेतु प्रावधानित करने के बाद मूल्यांकित की जाती है, जो निम्नानुसार है :

(i) निवल वसूली योग्य कीमत या भारित औसत लागत के निम्नतर पर कच्चा सामान, घटक, निर्माण सामग्री, भंडार, पुर्जे व खुले यंत्र। तथापि, इन मदों को लागत पर उगाही के विचार किये जाते हैं, अगर तैयार उत्पाद जिसमें उन्हें व्यवहार किया जाएगा उसी या अधिक लागत पर बेचे जाने की आशा की जाती है।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

(ii) विशेष रूप से पहचानी जाने योग्य लागत या निवल वसूली योग्य कीमत निम्नतर पर निर्माण क्रियाकलापों के संबंध में संपूरित संपत्ति/कार्य प्रगति पर।

निवल वसूली योग्य मूल्य का मूल्यांकन प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किया जाता है तथा जब परिसंपत्तियों ने पहले नीचे ह्रासित सामान सूची बनाई थी अब मौजूद नहीं है या जब वहां परिवर्तित आर्धिक परिस्थितियों के कारण निवल वसूलीयोग्य मूल्य में वृद्धि का स्पष्ट साक्ष्य है, विगत अवधि में, यदि कोई हो, ह्रासित मूल राशि को एक विस्तार तक पुनरीक्षित कर दिया जाता है। परिणामस्वरूप धारित राशि लागत तथा पुनरीक्षित निवल वसूलीयोग्य मूल्य से कमतर है।

10 नकद और नकद समतुल्य

तुलन-पत्र में नकद और नकद समतुल्य बैंक, हाथ में नकद तथा बैंक में लघु-अवधि जमा राशियों से मिलकर निर्मित जो तत्काल नकद में परिवर्तनीय जो मूल्य में परिवर्तन कम जोखिम के अधीन है और लघुकालिक नकद वचनबद्धता के उद्धेश्य से रखा जाता है।

11 नकद प्रवाह का विवरण

नकद प्रवाह का विवरण प्रचालन, निवेश और वित्तीय क्रियाकलापों में नकद प्रवाह को अलग कर तैयार किया जाता है। प्रचालन क्रियाकलानों से नकद प्रवाह को निम्नलिखित प्रभाव हेतु अपवाद वाले मदों को छोड़कर कर के पूर्व लाभ समायोजित कर और अप्रत्यक्ष पद्धति का व्यवाहार कर प्रतिवेदित किया जाता है :

(i) गैर-नकद प्रकृति के भुगतेय लेनदेन एवं प्राप्य प्रचालन और समान सूची में अवधि के दौरान परिवर्तन

(ii) गैर-नकद मद, यथा : मूल्यह्रास, प्रावधान, बिला उगाही वाली विदेशी मुद्रा लाभ व हानि, तथा

(iii) अन्य सभी मद जिसके लिए नकदी प्रभाव का निवेश या वित्तपोषण कर रहे हैं।

नकद प्रवाह के विवरण में दर्शित नकद और नकद समतुल्य (बैंक शेष सहित) को मदों से अलग रखा गया है जो तुलन-पत्र की तिथि को आम व्यवहार हेतु उपलब्ध नहीं है।

12 सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदान वहीं प्रतिचिह्नित होता है जहां पर यह तर्कसंगत आश्वासन हो कि अनुदान प्राप्त किया जाएगा तथा सभी संलग्न शर्तें पूरी की जाएंगी।

जहां कंपनी गैर-नकदी अनुदान प्राप्त करती है, परिसंपत्ति और अनुदान उचित मूल्य पर गिने जाते हैं तथा परिसंपत्ति के प्रत्याशित उपयोगी जीवन में लाभ और हानि के विवरण में प्रतिचिह्नित किया जाता है।

13 गैर वित्तीय परिसंपत्तियों का ह्रास

कंपनी गैर वित्तीय परिसंपत्तियों, सामानसूची और आस्थगित कर संपत्तियोंकी प्रत्येक रिर्पोटिंग तिथि को समीक्षा की जाती है वह पता करने के लिए कि वहां क्या कोई ह्रास की सूचना है। अगर इस तरह की कोई सूचना है तो परिसंपत्तियों की उगाही योग्य राशि का आकलन किया जाता है। परिसंपत्ति की वसूलीयोग्य राशि य नकदी निर्माण इकाई (जैसा नीचे परिभाषित है) उपयोग में अपने मूल्य से बड़ी है तथा इसका उचित मूल्य विक्रय से कम लागत का है। उपयोग में मूल्य निर्धारण अनुमानित भावी नकद प्रवाह एक पूर्व कर छूट का व्यवहार करते हुए उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जो समय मूल्य राशि के चालू बाजार आकलन को तथा परिसंपत्ति या नकदी निर्माण इकाई को प्रतिदर्शित कराता है। ह्रास परीक्षण के उद्धेश्य हेतु, परिसंपत्तियों को परिसंपत्तियों के सबसे छोटे समूह में एक साथ समूहीकृत किया जाता है जो निरंतर उपयोग से नकद प्रवाह उत्पन्न करता है जो परिसंपत्तियों (नकदी उत्पादन इकाई) के समूह या अन्य परिसंपत्तियों के नकद प्रभाव से काफी हद तक स्वतंत्र होता है।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

ह्रासित हानि को आय विवरण में प्रतिचिह्नित किया जाता है अगर इसकी नकदी-उत्पादन इकाई या परिसंपत्ति की अनुमानित वसूलीयोग्य राशि इसकी धारणीय राशि की तुलना में कमतर हो पूर्व अवधियों में प्रतिचिह्नित ह्रासित हानियां किसी सूचना हेतु प्रत्येक रिर्पोटिंग तिथि में इसलिए मूल्यांकित की जाती हैं कि हानियां कम हो गयी हैं या अब अस्तित्व में नहीं हैं। एक ह्रासित हानि को तभी पुनरीक्षित किया जाता है अगर वसूलीयोग्य राशि को निर्धारित करने के लिए व्यहृत अनुमानों में परिवर्तन हुआ है। एक ह्रासित हानि को एक विस्तार तक तभी उलटा जाता है जबकि परिसंपत्ति धारणीय राशि को अतिक्रम न करें जो कि निर्धारित किया गया होगा, मूल्यह्रास या ह्रासित का निवल, अगर कोई ह्रासित हानि प्रतिचिह्नित नहीं की गयी थी। सद्इच्छा जो एक एसोसिएट में निवेश की धारणीय राशि का हिस्सा पैदा करती है को अलग से मान्यता नहीं दी जाती है एवं अतएवं अलग से ह्रास हेतु परीक्षण नहीं किया जाता है। इसके बजाय, एक एसोसिएट में निवेश की समग्र राशि एक एकल संपत्ति के रूप में ह्रास हेतु परीक्षण किया जाता है, जबकि वहां एक वस्तुनिष्ठ साक्ष्य हो कि एक एसोसिएट में निवेश ह्रासित किया जा सके।

इक्विटी लेखित निवेशी के संबंध में ह्रास इसकी धारणीय राशि में निवेश की वसूलीयोग्य राशि की तुलना कर पहचानी जाती है। एक ह्रासित आय विवरण में प्रतिचिह्नित की जाती है, तथा उलट दी जाती है अगर वसूलीयोग्य राशि निर्धारित करने के लिए व्यवहृत अनुमान में अनुकूल परिवर्तन किया गया है।

14 कर्मचारी लाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ खर्च किया जाता है जैसे ही संबंधित सेवा प्रावधानित की जाती है। देयता को प्रदान की जाने वाली अपेक्षित राशि हेतु प्रतिचिह्नित की जाती है अगर कंपनी के पास कर्मचारी द्वारा प्रावधानित विगत सेवा के परिणाम स्वरूप इस राशि को भुगतान करने के लिए विद्यमान विधिक या रचनात्मक दायित्व हो तथा दायित्व को विश्वसनीय ढंग से अनुमानित किया जा सकता है।

परिभाषित अंशदान योजनाएं

अवदान योजनाओं को परिभाषित करने के लिए कंपनी अवदान को आय विवरण में, जैसा और जब कर्मचारी से सेवाएँ प्राप्त की जाती हैं, प्रभारित की जाती हैं।

परिभाषित लाभ योजनाएँ

परिभाषित लाभ योजनाओं और अन्य रोजगार के बाद के लाभों के संबंध में देयता की गणना योग्य बीमांकिकों की सलाह के अनुरूप अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके की जाती है। परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य उच्च-गुणवत्ता वाले कॉरपोरेट बॉन्ड की ब्याज दरों का उपयोग करके अनुमानित भविष्य के नकदी बहिर्वाह को छूट देकर निर्धारित किया जाता है, जो उस मुद्रा में मूल्यांकित होते हैं जिसमें लाभ का भुगतान किया जाएगा, और जिनकी शर्तों के अनुसार परिपक्वता की शर्तें हैं संबंधित परिभाषित लाभ दायित्व की। कर्मचारी लाभ व्यय में आय विवरण में मान्यता प्राप्त परिभाषित लाभ योजना की वर्तमान सेवा लागत, चालू वर्ष में कर्मचारी सेवा, लाभ परिवर्तन, कटौती और निपटान के परिणामस्वरूप परिभाषित लाभ दायित्व में वृद्धि को दर्शाती है। पिछली सेवा लागतों को तुरंत आय में पहचाना जाता है। शुद्ध ब्याज लागत की गणना परिभाषित लाभ दायित्व के शुद्ध शेष और योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य पर छूट दर को लागू करके की जाती है। यह लागत आय विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय में शामिल है। बीमांकिक लाभ और हानि अनुभव समायोजन और बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली अवधि में अन्य व्यापक आय में इक्विटी के लिए चार्ज या क्रेडिट किया जाता है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

समाप्ति लाभ

समाप्ति लाभों को एक व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जब कंपनी, आहरण की बिना यथार्थवादी संभावना के, या तो सामान्य सेवानिवृत्ति की तिथि के पूर्व नियोजन समाप्त करने की एक औपचारिक विस्तृत योजना के लिए या स्वैच्छिक बारम्बारता प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रस्ताव के परिणाम स्वरूप समाप्ति लाभ प्रावधानित करने के लिए एक निदर्शन रूप में समर्पित है। स्वैच्छिक बारम्बारता हेतु समाप्ति लाभों को एक व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है अगर कंपनी ने स्वैच्छिक बारम्बारता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रस्ताव की है, तो यह संभव है कि प्रस्ताव स्वीकार किया जाएगा, तथा स्वीकृतियों की संख्या को विश्वसनीय रूप से अनुमानित किया जा सकता है।

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ के संबंध में कंपनी का निवल बाध्यता भावी लाभ की राशि है जिसे कर्मचारी ने चालू और पूर्व अवधि में अपनी सेवा हेतु अर्जित की है। उस लाभ को इसके अपने वर्तमान मूल्य में निर्धारण के लिए छूट दी जाती है।

पुनर्माप को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

15 प्रावधान

एक प्रावधान को मान्यता दी जाती है अगर, एक विगत घटना के परिणाम स्वरूप, कंपनी के पास विद्यमान विधिक या निर्माणात्मक बाध्यता हो जिसे विश्वसनीय रूप से अनुमानित किया जा सके, और या संभव है कि आर्थिक लाभ का एक बर्हिप्रभाव की आवश्यकता पड़ेगी बाध्यता को निपटाने के लिए। अगर मुद्रा की समय लागत का प्रभाव सामग्री है, तो प्रावधान पूर्व-कर पर प्रत्याशित भावी नकदी प्रवाह में छूट देते हुए निर्धारित किये जाते हैं जो विशेषकर देयता पर जोखिम तथा मुद्रा समय मूल्य का चालू बाजार आकलन को प्रदर्शित करता है। जहां छूट का व्यवहार किया जाता है, वहां समय के कारण प्रावधान में वृद्धि को एक वित्तीय लागत के रूप में मान्यता दी जाती है।

16 आकस्मिक देयताएँ व आकस्मिक परिसंपत्यिॉं

आकस्मिक देयता के लिए एक प्रकटीकरण बनाया जाता है जब एक संभाव्य बाध्यता या विद्यमान बाध्यता हो जिसे, लेकिन संभवत: नहीं होगा, संसाधन बर्हिप्रवाह की आवश्यकता हो सकती है, जब एक संभाव्य बाध्यता या एक वर्तमान बाध्यता हो जिसके संबंध में संसाधनों के बर्हिप्रवाह की संभावना दूरस्थ हो, तब कोई प्रावधान या प्रकटीकरण नहीं बनाया जाता है।

वित्तीय विवरणों में आकस्मिक संपत्ति को मान्यता नहीं दी जाती है। हालांकि, आकस्मिक संपति का आकलन निरंतर किया जाता है और अगर यह वास्तव में निश्चित है कि आर्थिक लाभ का अंतर्प्रवाह पैदा होगा, तो परिसंपत्ति और संबंधित आय को उसमें मान्यता दी जाती है जिस अवधि में परिवर्तन होता है।

17 वित्तीय उपकरण

वित्तीय परिसंपति और / या वित्तीय देयताएँ प्रतिचिह्नित की जाती है जब कंपनी संबंधित वित्तीय उपकरण को सन्निविष्ट करते हुए ठेके की पार्टी बन जाती है। सभी वित्तीय परिसंपत्तियां, वित्तीय देयताएँ तथा वित्तीय गारंटी ठेकों को प्रारंभिक तौर पर लेनदेन मूल्यों पर मापित किया जाता है। जहां इस प्रकार के मूल्य उचित मूल्य से भिन्न हो, उचित मूल्य पर किया जाता है। लेनदेन लागत जो अधिग्रहण या वित्तीय परिसंपत्ति मद और वित्तीय देयताओं (लाभ या हानि के माध्यम उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं, के अन्यथा) पर अधिरोप्य होते हैं को ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों या देयताओं के उचित मूल्य द्वारा, प्रारंभिक मान्यता पर, जैसी स्थिति हो, जोड़ी या काटी जाती है। जो लाभ या हानि के माध्यम उचित मूल्पर पर वित्तय परिसंपत्तियों या वित्तीय देयताओं के अधिग्रहण पर लेनदेन लागत सीधे अधिरोपित होती है, उन्हें तत्काल लाभ य हानि में प्रतिचिह्नित होती है।

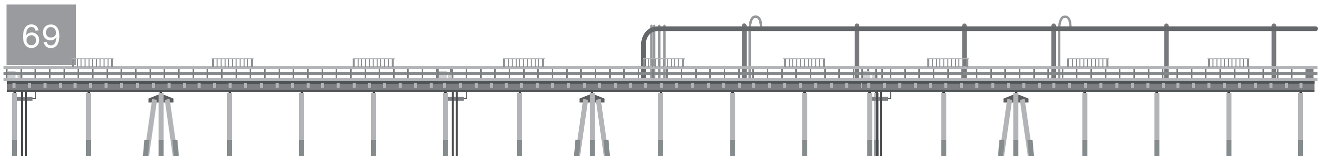

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

ब्याज मुक्त या छूट ऋणों और अधिमान्य शेयरों के रूप में सहायक कंपनियों के रूप में वित्त पोषण के मामले में, प्रारंभिक तौर पर मापित उचित मूल्य पर वित्त पोषण की वास्तविक के आधिक्य को एक इक्विटी निवेश के रूप में गिना जाता है।

एक वित्तीय परिसंपत्ति और एक वित्तीय देयता ऑफसेट है तथा तुलन-पत्र में निवल आधार पर प्रदर्शित किये जाते हैं जब वहां प्रतिचिह्नित राशियों को ऑफसेट करने के लिए चालू विधिक प्रवर्तनीय अधिकार होता तथा यह या तो निवल आधार पर समायोजन या परिसंपत्ति की वसूली और साथ-साथ देयताओं को समायोजित करने के लिए आशायित होता है।

(i) वित्तीय परिसंपत्तियां:

सभी मान्यताप्राप्त वित्तीय परिसंपत्तियां पर्याप्त रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के वर्गीकरण पर निर्भर उचित मूल्य पर या ह्रासित लागत पर समग्र रूप से मापित की जाती है जो निम्नानुसार है :

1. ऋण उपकरों में निवेश जो लाभ या हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम उचित मूल्य के रूप में अभिहित किये जाते हैं – उचित मूल्य पर।
2. ऋण उपकरणों में निवेश जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं पर्याप्त रूप से मापित किये जाते हैं – ह्रासित मूल्य पर (जब तक कि वह लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में अभिहित न हो)
   i. परिसंपत्ति को व्यापार प्रतिमान के अंदर रखा जाता है जिसका उद्धेश्य ठेकागत नकदी प्रवाहों में संग्रहण करने के क्रम में परिसंपत्तियों को रखा जाता है, और
   ii. उपकरण की ठेकागत शर्तें प्रवाहों को विशिष्ट तिथि पर उत्थान प्रदान करते हैं जो मूल धन राशि बकाये पर केवल ब्याज और मूल का भुगतान है।
3. ऋण यंत्र में निवेश जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं उनका अन्य व्यापक आय के माध्यम उचित मूल्य पर साथ-साथ मापे जाते हैं (एफवीटीओसीआई) (जब तक कि वह लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में अभिहित न हो)
   i. परिसंपत्ति को व्यापार प्रतिमान के अंतर्गत रखा जाता है जिसका उद्धेश्य ठेकागत नकदी प्रवाह का संग्रहण और वित्तीय परिसंपत्तियों का विक्रय कर दोनों द्वारा प्राप्त किया जाता है; और
   ii. यंत्र की ठेकागत शर्तें नकदी प्रवाहों में विशिष्ट तिथियों पर उत्थापन प्रदान करता है जो मूल धन राशि बकाये पर केवल ब्याज और मूल का भुगतान है,
4. एफवीटीपीएल पर ऋण यंत्र, ऋण यंत्रों हेतु एक अपशिष्ट संवर्ग है, अगर कोई, तथा सभी परिवर्तन लाभ या हानि पर प्रतिचिह्नित होते हैं।
5. सहायक कंपनी एसोसिएट तथा संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा जारी इक्विटी यंत्र में निवेश लागत से ह्रास घटा मापे जाते हैं।
6. सहायक कंपनियों के अधिमान्य शेयरों में निवेश इक्विटी यंत्र के रूप में व्यवहार किये जाते हैं अगर वे ऐसे निवेशों के प्रतिदान के उद्धेश्य हेतु जारी इक्विटी शेयर यंत्रों की प्राप्तियां प्रतिदान योग्य होती हैं या इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय होती है। उपर्युक्त शर्तों को पूरा न करने वाले अधिमान्य शेयरों में निवेश एफवीटीपीएल पर ऋण यंत्रों के रूप में वर्गीकृत किये जाते हैं।
7. इक्विटी यंत्रों में निवेश एफवीटीपीएल पर वर्गीकृत किये जाते हैं जब तक कि संबंधित यंत्र व्यापक आय में उचित मूल्य में तदन्तर परिवर्तनों को रोकने के लिए प्रारंभिक मान्यता पर कंपनी अपिरिवर्तनीय रूप से नहीं चुनती है तथा व्यापार के लिए धारित नहीं करती।
8. वित्तीय परिसंपत्तियों हेतु जो एफवीटीओसीआई पर मापी जाती है, ब्याज और लाभांश के द्वारा आय, ह्रास हेतु प्रावधान और परिवर्तन अंतर, अगर कोई हो (ऋण यंत्र पर) लाभ या हानि पर प्रतिचिह्नित किये जाते हैं तथा उचित मूल्य में परिवर्तन (उपर्युक्त आय या व्यय लेखे पर अन्यथा) अन्य व्यापक आय तथा अन्य इक्विटी में संचित में प्रतिचिह्नित किये जाते हैं। एफवीटीओसीआई पर ऋण यंत्रों के निस्तारण पर, अन्य इक्विटी में पहले संचित लाभ या हानि को लाभ है या हानि में वर्गीकृत

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

किया जाता है। एफवीटीओसीआई पर इक्विटी यंत्रों के मामले में, ऐसे संचित लाभ या हानि को निवेशों के निस्तारण पर लाभ हानि के लिए वर्गीकृत नहीं किया जाता है।

9. एक वित्तीय संपत्ति बुनियादी तौर पर गैर मान्यता प्राप्त समझी जाती है जब :

    i. परिसंपत्ति से नकद प्रवाह प्राप्त करने का अधिकार खत्म हो गया हो, या

    ii. कंपनी ने व्यवस्था से गुजरते हुए, के अधीन तृतीय पहल को बिना सामग्री विलम्ब के पूर्ण रूप में प्राप्त नकद प्रवाह को भुगतान करने के लिए बाध्यता धारण की है या परिसंपत्ति में से नकद प्रवाह प्राप्त करने के लिए अपने अधिकार स्थानांतरित किये; हों तथा

        क) कंपनी में परिसंपत्ति के सभी जोखिम और पुरस्कार पर्याप्त रूप से स्थानान्तरित कर दिये हैं ; या

        ख) कंपनी में परिसंपत्ति के सभी जोखिम और पुरस्कार पर्याप्त रूप से न तो स्थानान्तरित न ही पास रखें हैं, लेकिन परिसंपत्ति का नियंत्रण स्थानांतरित कर दिया है।

    अपनी इकाई की वित्तीय परिसंपत्ति की गैर मान्यता पर मान्यता प्राप्त होने की तिथि पर मापित धारणीय राशि तथा प्राप्त विचार को लाभ या हानि में विचार किया जाता है।

10) वित्तीय संपत्तियों का ह्रास : कंपनी प्रत्याशित क्रेडिट हानि नमूने का व्यवहार कर प्राप्य व्यापार पर ह्रास हानि प्रतिचिह्नित करता है, जिसमें भारतीय लेखांकन मानक 109 के अधीन यथा अनुज्ञा प्राप्त ऐतिहासिक क्रेडिट हानि अनुभव के आधार पर निर्मित एक प्रावधान मैट्रिक्स का उपयोग शामिल है। निवेशों पर ह्रास हानि प्रतिचिह्नित की जाती है जब धारणीय राशि की वसूली योग्य राशि का पार कर जाती है।

(ii) वित्तीय देयताएँ:

1. वित्तीय देयताएँ, व्युत्पन्न जड़ित व्युत्पन्न समेत, जो एफवीटीपीएल पर मापन हेतु पदनामित किये जाते हैं जो पर्याप्त रूप से उचित मूल्य पर मापे जाते हैं। वित्तीय गारंटी ठेके पर्याप्त रूप से ह्रास हानि भत्ता की राशि या संचयी क्रमिक अपाकरण के प्रारंभिक निवल पर प्रतिचिह्नित राशि पर मापे जाते हैं, जो भी उच्चतर हो।

    ऋण और उधारों सहित सभी वित्तीय देयताएँ प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करते हुए क्रमिक अपाकरण लागत पर मापे जाते हैं।

2. एक वित्तीय देयता को गैर-मान्यता प्राप्त किया जाता है जब संबंधित बाध्यता समाप्त हो जाती है या प्रभारित या निरस्त की जाती है।

    एक वित्तीय परिसंपत्ति और एक वित्तीय दायित्व को बैलेंस शीट में शुद्ध आधार पर ऑफसेट और प्रस्तुत किया जाता है जब मान्यता प्राप्त राशियों को सेट-ऑफ करने के लिए कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार होता है और इसका उद्देश्य एक साथ दायित्व। या तो शुद्ध आधार पर निपटान करना या परिसंपत्ति और दायित्व निपटान करना है।

18 लाभांश

कंपनी के शेयरधारकों को भुगतेय लाभांश अंतरिम लाभांश उस अवधि में इक्विटी में परिवर्तित रूप में चिह्नित किये जाते हैं जिसमें वे क्रम से शेयरधारकों की बैठक और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किये जाते हैं।

19 महत्वपूर्ण पूर्व अवधि त्रुटियां

महत्वपूर्ण पूर्व अवधि त्रुटियां पूर्व अवधियों हेतु तुलनात्मक राशि को पुन: उल्लेखन द्वारा पूर्वव्यापी रूप में संशोधित की जाती है जिसमें त्रुटि घटित होती है। अगर त्रुटि प्रदर्शित पूर्व अवधि के पहले घटित हुई तो प्रदर्शन पूर्व अवधि हेतु परिसंपत्तियों, देयताओं और इक्विटी के अथशेष पुन उल्लिखित किये जाते हैं।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

20 परिचालन खंड

भारतीय लेखा प्रणाली 108 के अनुरूप, विद्यमान खंड सूचना के लिए व्यवहृत परिचालन खंड, खंडों में संसाधन आवंटन के लिए एवं उनके कार्य-प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए कंपनी प्रबंधन द्वारा व्यवहृत आंतरिक प्रतिवेदनों के आधार पर प्रतिचिह्नित किये जाते हैं। निदेशक मंडल भारतीय लेखांकन प्रणाली के अर्थ के अंतर्गत कंपनी संयुक्त रूप से, के 'मुख्य परिचालनकर्ता' या 'सीओडीएम' हैं। आंतरिक रिपोर्टिंग उद्धेश्यों हेतु व्यवहृत सूचक स्थल पर रखे गये कार्य-प्रदर्शन मूल्यांकन उपायों के संबंध में विकसित हो सकता है।

खंडों के परिणाम जो सीओडीएम को प्रतिवेदित किये जाते हैं, में खंड को सीधे अधिरोप्य मद तथा जिन्हें तर्कसंगत आधार पर आबंटित किया जा सकता है, शामिल है। गैर-आबंटित मद मुख्य रूप से नैगम व्यय, वित्तीय व्यय और आयकर व्यय में मिलकर बनते हैं।

खंड में सीधे अधिरोप्य राजस्व खण्ड राजस्व के रूप में विचारित होता है। खंडों में सीधी अधिरोप्य तथा तर्कसंगत आधार पर आबंटित आम व्ययों को खंड व्ययों के रूप में विचार किये जाते हैं।

खंड वित्त व्यय संपत्ति, संयंत्र व उपस्कर, तथा सद्इच्छा के अलावा अमूर्त संपत्तियों को अधिग्रहण करने की अवधि के दौरान उपगत कुल लागत है।

संपत्ति, संयंत्र व उपस्कर अमूर्त परिसंपत्तियों, व्यापार और अन्य प्राप्य सामान सूची व अन्य परिसंपत्तियों से मिलकर गठित खंड परिसंपत्तियां सीधे या तर्कसंगत ढंग से खंडों में आबंटित की जा सकती है। वर्ष हेतु रिपोर्टिंग खंड के उद्धेश्य हेतु, संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर को संबंधित खंडों में अधिरोप्य परिचालनों हेतु परिसंपत्तियों के व्यवहार के विस्तार पर आधारित खंडों को आबंटित किया जाता है। खंड परिसंपत्तियों में निवेश, आयकर परिसंपत्तियां, प्रगति पर कार्यचालक पूंजी, पूंजी अग्रिम, नैगम परिसंपत्तियां तथा अन्य चालू परिसंपत्तियां शामिल नहीं हैं उन्हें यथोचित रूप में खंडों में आबंटित नहीं किया जा सकता है।

खंड देयताओं में खंड से संबंधित सभी परिचालन देयताएँ शामिल हैं तथा मुख्य रूप से व्यापार और अन्य भुगतान, कर्मचारी लाभ एवं प्रावधान मिलकर हैं। खंड देयताओं में, इक्विटी, आयकर देयताएँ, ॠण व उधारी तथा अन्य देयताएँ तथा प्रावधान शामिल नहीं हैं, जिन्हें खंडों में तर्कसंगत ढंग से आबंटित नहीं किया सकता है।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

2 सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण

विवरण	भवन	संयंत्र एवं मशीनरी	जलयान (स्पीड वोट)	कंप्यूटर	फर्निचर एवं फिक्चर्स	वाहन	कुल
लागत या मानित लागत (सकल वहन राशि)							
31 मार्च, 2020 तक	132.63	1,948.03	2.32	74.68	59.88	3.72	2,221.25
परिवर्धन	-	57.21	-	4.25	7.85	-	69.31
घटा: निपटान / समायोजन	-	-	-	-	(0.28)	-	(0.28)
31 मार्च, 2021 तक	132.63	2,005.23	2.32	78.93	67.44	3.72	2,290.28
परिवर्धन	-	68.02	-	2.24	1.58	-	71.84
घटा: निपटान / समायोजन	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2022 तक	132.63	2,073.25	2.32	81.18	69.03	3.72	2,362.11
संचित मूल्यह्रास							
31 मार्च, 2020 तक	72.53	1,533.82	2.29	66.50	51.77	3.67	1,730.60
परिवर्धन	6.23	74.12	-	5.45	3.27	-	89.07
घटा: निपटान / समायोजन	-	-	-	-	(0.22)	-	(0.22)
31 मार्च, 2021 तक	78.76	1,607.94	2.29	71.95	54.83	3.67	1,819.45
परिवर्धन	5.58	77.94	-	3.85	5.42	-	92.79
घटा: निपटान / समायोजन							-
31 मार्च, 2022 तक	84.34	1,685.87	2.29	75.81	60.25	3.68	1,912.24
कुल पुस्तक मूल्य							
31 मार्च, 2022 तक	48.29	387.38	0.02	5.37	8.77	0.04	449.87
31 मार्च, 2021 तक	53.87	397.30	0.02	6.98	12.61	0.04	470.83

टिप्पणी:

क) सर्कुलर गार्डन रीच रोड, कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट से पट्टा/किराए की जमीन पर स्थायी स्ट्रक्चर के संबंध में भवन में 131.46 लाख (पिछले वर्ष - 131.46 लाख रुपये) रुपये शामिल हैं।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

3 अमूर्त संपत्ति

विवरण	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर
लागत या मानित लागत (सकल वहन राशि)	
31 मार्च, 2020 तक	24.62
परिवर्धन	2.92
31 मार्च, 2021 तक	27.54
	27.54
परिवर्धन	3.02
31 मार्च, 2022 तक	30.56
संचित परिशोधन	
31 मार्च, 2020 तक	16.90
वर्ष का प्रभार	4.30
31 मार्च, 2021 तक	21.20
	21.20
वर्ष का प्रभार	4.71
31 मार्च, 2022 तक	25.91
कुल पुस्तक मूल्य	
31 मार्च, 2022 तक	4.64
31 मार्च, 2021 तक	6.34

4 क. पूंजीगत कार्य प्रगति पर (सीडब्ल्यूआईपी)

विवरण	सीडब्ल्यूआईपी
31 मार्च, 2021 तक	-
परिवर्धन	29.43
31, 2022 मार्च तक	29.43

ख. पूंजीगत वृद्धि संबंधी (सीडब्ल्यूआईपी) काल प्रभावन अनुसूची

सीडब्ल्यूआईपी	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	एक वर्ष से कम	1-2 साल	2-3 साल	3 साल से अधिक	
31.03.2022 तक					
चालू परियोजनाएं	29.43	-	-	-	29.43
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	-	-	-	-	-
कुल	29.43	-	-	-	29.43
31.03.2021 तक					
चालू परियोजनाएं	-	-	-	-	-
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

5 **निवेश**	**31 मार्च, 2022 को**	**31 मार्च, 2021 को**
गैर-वर्तमान निवेश		
(क) इक्विटी दस्तावेजों में निवेश		
(अ) सहायक कंपनियां (उद्धृत, लागत पर मूल्यवान)		
भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड*	**486.30**	**486.30**
48,630 रुपये 1000/- के इक्विटी शेयर प्रत्येक पूरी तरह से चुकता		
(ख) संयुक्त उद्यम कंपनियां		
भागीरथी ब्रिज कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (उद्धृत, मूल्य पर मूल्यवान)	**0.30**	**0.30**
रु. 100/- के 300 इक्विटी शेयर प्रत्येक पूर्णतः चुकता		
(ग) अन्य कंपनियां		
लगन जूट मशीनरी कंपनी लिमिटेड (अनउद्धृत, एफवीटीपीएल में मूल्यवान)	**42.20**	**42.20**
4,22,000 रुपये 10/- के इक्विटी शेयर प्रत्येक पूरी तरह से चुकता		
जेसोप एंड कंपनी लिमिटेड (अनउद्धृत, एफवीटीपीएल में मूल्यवान)*	**2,558.01**	**2,558.01**
10/- रुपये के 2,55,80,122 इक्विटी शेयर प्रत्येक पूरी तरह से चुकता		
(ब) ऋणपत्र या बांड में निवेश		
(उद्धृत, परिशोधन लागत पर मूल्यवान)		
ईस्ट इंडिया क्लिनिक लिमिटेड का 5% गैर-प्रतिदेय पंजीकृत ऋणपत्र स्टॉक	**0.16**	**0.16**
99 नंबर आईसीआईसीआई रिडीमेबल मनी मल्टीप्लायर बॉन्ड-2026	**79.09**	**75.07**
कुल निवेश	**3,166.07**	**3,162.05**
कुल खाता मूल्य		
- उद्धृत निवेश	**-**	**-**
- गैर-उद्धृत निवेश	**3,166.07**	**3,162.05**
उद्धृत निवेशों का कुल बाजार मूल्य	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**

*संभावित उचित मूल्य माप की एक विस्तृत श्रृंखला के कारण इक्विटी उपकरणों की लागत को उचित मूल्य का उचित अनुमान माना गया है और लागत उस सीमा के भीतर उचित मूल्य के सर्वोत्तम अनुमान का प्रतिनिधित्व करती है।

*भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड (बीपीएमईएल) और जेसोप एंड कंपनी लिमिटेड परिसमापन के अधीन हैं।

6 **व्यापार प्राप्य (असुरक्षित)**	**31 मार्च, 2022 को**	**31 मार्च, 2021 को**
गैर वर्तमान		
दीर्घकालिक व्यापार प्राप्य, शोध्य माना गया	**1,108.42**	**1,108.42**
कम: संदिग्ध प्राप्तियों के लिए भत्ते	**(1,108.42)**	**(1,108.42)**
	-	**-**
वर्तमान		
शोध्य माना गया	**3,025.80**	**1,955.46**
संदिग्ध माना गया	**-**	**-**
	3,025.80	**1,955.46**
कम: संदिग्ध प्राप्तियों के लिए भत्ता	**(680.21)**	**(653.74)**
कुल व्यापार प्राप्य	**2,345.59**	**1,301.72**

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

6 व्यापार प्राप्य (जारी)

	व्यापार प्राप्य काल प्रभावन अनुसूची	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया							
क्र. सं.	विवरण	देय नहीं	बकाया राशि	<6 महीने	6माह-1 वर्ष	1-2 साल	2-3 साल	> 3 साल	कुल
	मार्च 31, 2022 तक								
i)	निर्विवाद व्यापार प्राप्य – शोध्य माना गया	2,105.08	-	-	101.91	100.60	197.57	1,629.06	**4,134.22**
ii)	अविवादित व्यापार प्राप्य - जिनके ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-	**-**
iii)	अविवादित व्यापार प्राप्य – खराब हुआ ऋण	-	-	-	2.99	30.40	126.18	1,629.06	**1,788.63**
iv)	विवादित व्यापार प्राप्य – शोध्य माना गया	-	-	-	-	-	-	-	**-**
v)	विवादित व्यापार प्राप्य - जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-	**-**
vi)	विवादित व्यापार प्राप्य – खराब ऋण	-	-	-	-	-	-	-	**-**
	31 मार्च 2021 तक								
i)	निर्विवाद व्यापार प्राप्य – शोध्य माना गया	928.69	-	-	142.59	476.59	18.66	1,497.35	**3,063.88**
ii)	अविवादित व्यापार प्राप्य - जिनके ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-	**-**
iii)	अविवादित व्यापार प्राप्य – खराब ऋण	3.10	-	-	23.82	219.23	18.66	1,497.35	**1,762.16**
iv)	विवादित व्यापार प्राप्य – शोध्य माना गया	-	-	-	-	-	-	-	**-**
v)	विवादित व्यापार प्राप्य - जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-	**-**
vi)	विवादित व्यापार प्राप्य – खराब ऋण	-	-	-	-	-	-	-	**-**

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

7 अन्य वित्तीय संपत्ति

	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
गैर वर्तमान		
तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष से अधिक की परिपक्वता वाली बैंक में जमाराशियां	2,191.10	1,983.30
अन्य		
ईएमडी	10.22	-
सुरक्षा जमा राशि	3,387.56	2,480.80
सुरक्षा जमा/ईएमडी	-	723.07
कम: संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	(53.15)	(53.15)
	5,535.73	5,134.02
वर्तमान		
ऋण और अग्रिम		
सहायक कंपनी और अन्य को ऋण पर भारत सरकार प्राप्त करने योग्य ऋण	6,796.31	6,796.31
लेनदारों को अग्रिम	1,835.34	1,576.06
अन्य अग्रिम	698.90	679.13
प्राप्य/उपार्जित ब्याज		
सहायक कंपनी को ऋण पर	34,006.55	34,006.55
निवेश, जमा और सावधि जमा पर अर्जित ब्याज	189.48	404.19
अन्य		
विविध जमा	2.82	2.83
जमा-सीपीडब्ल्यूडी	0.61	0.61
सीपीटी . के साथ जमा	0.14	0.14
ईएमडी	419.00	205.53
सुरक्षा जमा राशि	1,415.82	1,425.91
सुरक्षा जमा/ईएमडी	-	226.01
सुरक्षा जमा / ईएमडी / प्रतिधारण - बीबीयूएनएल	121.76	121.76
कम: संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	(0.71)	(0.71)
	1,959.43	1,982.06
प्राप्य - अन्य	35.35	36.64
	45,521.36	45,480.95

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

8 आस्थगित कर परिसंपत्ति, शुद्ध

	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
आस्थगित कर परिसंपत्ति		
- वित्तीय आस्तियों पर अपेक्षित ऋण हानि	515.70	526.44
- कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	136.80	147.16
कुल	**652.50**	**673.60**
विलम्बित कर देयता		
- मूर्त और अमूर्त संपत्ति	0.39	(2.04)
- परिशोधन लागत पर वित्तीय संपत्ति	(5.74)	(5.13)
आस्थगित कर परिसंपत्ति, शुद्ध	**647.15**	**666.44**

9 माल सूची

	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
कच्चे माल	720.15	927.15
स्टोर, स्पेयर पार्ट्स और कंपोनेंट्स (नेट)	-	2.78
फुटकर औजार	4.09	13.97
प्रगतिधीन कार्य	4,239.24	3,450.14
कुल माल सूची	**4,963.48**	**4,394.04**

10 नकद और नकदी के समतुल्य

	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
बैंकों के साथ शेष राशि:		
- चालू खातों में	271.64	152.36
- तीन महीने से कम की मूल परिपक्वता वाले जमा खातों में*	2,942.43	4,073.73
नकद हाथ में	4.51	2.74
कुल नकद और नकद समकक्ष	**3,218.58**	**4,228.83**

* बैंक के पक्ष में चिह्नित ग्रहणाधिकार जमा रुपये शून्य शामिल हैं। (पिछले वर्ष - 439.15 लाख रुपये)।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

11 अन्य बैंक बैलेंस

	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
3 महीने से अधिक की मूल परिपक्वता वाले बैंकों में सावधि जमा*	7,303.38	7,508.35
घटाएं: 12 महीने से अधिक की परिपक्वता वाली 'अन्य वित्तीय आस्तियों' के अंतर्गत प्रकट बैंक में जमाराशियां	(2,191.10)	(1,983.30)
कुल अन्य बैंक शेष	**5,112.28**	**5,525.05**

* बैंक के पक्ष में चिह्नित ग्रहणाधिकार जमा रु.5352.54 लाख (पिछले वर्ष -रु. 5044.29 लाख) शामिल हैं।

12 वर्तमान कर संपत्ति

	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
वर्तमान कर परिसंपत्तियां (प्रावधान का शुद्ध)	325.05	265.27
	325.05	**265.27**

13 अन्य मौजूदा परिसंपत्तियाँ

	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
जीएसटी ए / सी - (इनपुट) - परिसंपत्तियाँ	1,642.02	1,420.16
अन्य सरकार और सांविधिक प्राधिकारियों के साथ संतुलन	47.77	47.84
	1,689.78	**1,468.00**

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

14 शेयर पूंजी

	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
अधिकृत शेयर पूंजी		
इक्विटी शेयर पूंजी		
34,81,000 (31 मार्च, 2021: 34,81,000) 1000/- रुपये के इक्विटी शेयर प्रत्येक	**34,810.00**	**34,810.00**
जारी किए गए,		
इक्विटी शेयर पूंजी		
12,08,605 (31 मार्च, 2021: 12,08,605) इक्विटी शेयर 1000/- रुपये प्रत्येक	**12,086.05**	**12,086.05**
सब्स्क्राइब्ड और पूरी तरह से चुकता शेयर पूंजी		
इक्विटी शेयर पूंजी		
12,08,605 (31 मार्च, 2021: 12,08,605) इक्विटी शेयर 1000/- रुपये प्रत्येक	**12,086.05**	**12,086.05**
	12,086.05	**12,086.05**

(क) रिपोर्टिंग वर्ष की शुरुआत और अंत में बकाया शेयरों का समाधान

विवरण	31 मार्च, 2022 को इक्विटी शेयरों की संख्या	31 मार्च, 2021 को इक्विटी शेयरों की संख्या
साल की शुरुआत में बकाया	1,208,605	1,208,605
वर्ष के दौरान जारी	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	**1,208,605**	**1,208,605**

(ख) इक्विटी शेयरों से जुड़ी शर्तें / अधिकार

कंपनी के इक्विटी शेयरों का मूल्य ₹ 1000 प्रति शेयर है। इक्विटी शेयरों का प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार है। कंपनी भारतीय रुपये में लाभांश की घोषणा और भुगतान करती है। निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश (अंतरिम लाभांश को छोड़कर) वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है। कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरों के धारक सभी अधिमान्य राशियों के वितरण के बाद कंपनी की शेष संपत्ति प्राप्त करने के हकदार होंगे। वितरण शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

(ग) होल्डिंग या अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी के संबंध में शेयरहोल्डिंग पैटर्न

कंपनी की कोई होल्डिंग कंपनी या अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी नहीं है।

(घ) कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों का विवरण

विवरण	31 मार्च, 2022 को इक्विटी शेयरों की संख्या	31 मार्च, 2021 को इक्विटी शेयरों की संख्या
भारत के राष्ट्रपति और उसके नामांकित व्यक्ति	1,208,605	1,208,605
	1,208,605	**1,208,605**

(ङ) बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार शेयरों की बिक्री/विनिवेश के लिए विकल्प और अनुबंधों/प्रतिबद्धताओं के तहत जारी करने के लिए कोई सामान्य शेयर आरक्षित नहीं किया गया है।

(च) ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड ('बीसीएल'), बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड ('बीएससीएल'), भारत ब्रेक्स एंड वाल्व के संबंध में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) द्वारा स्वीकृत पूंजी पुनर्गठन योजनाओं के परिणामस्वरूप लिमिटेड ('बीबीवीएल') और आरबीएल लिमिटेड ('आरबीएल') और बीएससीएल, बीसीएल और बीबीजे के संबंध में ऋण और ब्याज को इक्विटी शेयर पूंजी और जीरो रेटेड ऋणपत्र में बदलने की अनुमति देने के लिए वित्तीय पुनर्गठन के लिए भारत सरकार के अनुमोदन के अनुसार उक्त राशि के लिए निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग के निर्देश को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ने 28 अप्रैल, 2017 को भारत के राष्ट्रपति को इक्विटी शेयर जारी किए हैं।

(छ) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा इक्विटी/वरीयता शेयरों में परिवर्तनीय कोई प्रतिभूति जारी नहीं की गई है।

(ज) वर्ष के दौरान कंपनी के किसी निदेशक या अधिकारी द्वारा किसी भी कॉल का भुगतान नहीं किया जाता है।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

15 अन्य इक्विटी

	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
प्रारक्षित पूँजी	0.06	0.06
शेयर आवेदन धन आवंटन लंबित	-	-
पुनर्संरचना इक्विटी शेयर जमा	-	-
सामान्य रिजर्व	1,473.65	1,473.65
ऋणपत्र मोचन रिजर्व	116.16	303.66
प्रतिधारित आय	7,377.57	6,924.64
	8,967.43	**8,702.01**

(क) प्रारक्षित पूँजी

प्रारंभिक जमा	0.06	0.06
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
अंत शेष	**0.06**	**0.06**

पूँजी रिजर्व कंपनी द्वारा पूंजीगत प्राप्तियों का प्रतिनिधित्व करता है।

(ख) शेयर आवेदन का पैसा लंबित आवंटन

प्रारंभिक जमा	-	-
वर्ष के दौरान जारी	-	-
अंत शेष	-	-

(ग) इक्विटी शेयर जमा का पुनर्गठन

प्रारंभिक जमा	-	-
वर्ष के दौरान जारी	-	-
अंत शेष	-	-

(घ) सामान्य आरक्षित

प्रारंभिक जमा	1,473.65	1,473.65
जोड़ें: वर्ष के दौरान अंतरण	-	-
अंत शेष	**1,473.65**	**1,473.65**

सामान्य आरक्षित कंपनी के फ्री रिजर्व होते हैं जिन्हें भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए कंपनी के मुनाफे से अलग रखा जाता है।

(ङ) ऋणपत्र मोचन रिजर्व*

प्रारंभिक जमा	303.66	303.66
जोड़ें: वर्ष के दौरान स्थानान्तरण	(187.50)	-
अंत शेष	**116.16**	**303.66**

* कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 के तहत लागू प्रावधान के अनुसार ऋणपत्र की बकाया राशि के आधार पर ऋणपत्र रिडेम्पशन रिजर्व (डीआरआर) बनाया था।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

(f) प्रतिधारित आय

	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
प्रारंभिक जमा	6,924.64	6,788.78
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	315.42	1,168.01
अन्य व्यापक आय	-	-
अंतिम लाभांश	(50.00)	(1,032.15)
अंतिम लाभांश पर कर	-	-
जोड़ें: ऋणपत्र मोचन रिजर्व से अंतरित	187.50	-
घटाएं: सामान्य रिजर्व में अंतरण	-	-
अंत शेष	**7,377.57**	**6,924.64**
कुल अन्य इक्विटी	**8,967.43**	**8,702.01**

16 उधारी

गैर-वर्तमान उधार		
असुरक्षित ऋण		
पुनर्रचना ऋणपत्र जमा:		
ऋण को शून्य दर ऋणपत्र में परिवर्तित आवंटन लंबित*	**262.06**	**262.06**
कुल गैर-वर्तमान उधार	**262.06**	**262.06**
वर्तमान उधार		
मांग पर चुकाने योग्य सुरक्षित ऋण		
- केनरा बैंक से ओवरड्राफ्ट **	**-**	**-**
भारत सरकार से अन्य ऋण और अग्रिम***	**6,589.00**	**6,589.00**
कुल वर्तमान उधारी	**6,589.00**	**6,589.00**

***आवंटन के लिए ऋण को शून्य दर ऋणपत्र में परिवर्तित किया गया:**
2005 में भारत सरकार द्वारा द ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (बीबीजे) के वित्तीय पुनर्गठन की अनुमोदित योजना के अनुसार, भारत सरकार के 3.88 करोड़ रुपये के ऋण को इक्विटी में बदलने की अनुमति दी गई, भारत सरकार के ऋण पर बकाया ब्याज को 10.00 करोड़ रुपये की इक्विटी में में परिवर्तित किया गया। भारत सरकार के ऋण पर बकाया ब्याज के रूप में 10.00 करोड़ रुपये जीरो रेट ऋणपत्र (जेडआरडी) के रूपांतरण के लिए। इसके अनुसरण में कंपनी जीरो रेटेड ऋणपत्र (जेडआरडी) को 2007-08 से 0.50 करोड़ रुपये की समान वार्षिक किश्तों में चुका रही है और 28 अप्रैल, 2017 को भारत के राष्ट्रपति को इक्विटी शेयर जारी किए हैं।

****केनरा बैंक से ओवरड्राफ्ट:**
केनरा बैंक से ओवरड्राफ्ट मुख्य रूप से स्टॉक और बुक डेट के दृष्टिबंधक द्वारा सुरक्षित है और जहाज, संयंत्र और मशीनरी, फर्नीचर और फिक्स्चर और वाहनों सहित अचल संपत्तियों के दृष्टिबंधक द्वारा सुरक्षित है और 22, ली रोड, कोलकाता - 700020 में कंपनी के फ्लैट के समान बंधक द्वारा सुरक्षित है। 11.50% ब्याज दर वाला ओवरड्राफ्ट मांग पर चुकाने योग्य है।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

*****भारत सरकार से ऋण और अग्रिम:**

विवेकपूर्ण लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप और निरंतर अभ्यास के अनुसरण में, कंपनी के माध्यम से कुछ सहायक कंपनियों को जारी किए गए भारत सरकार के ऋणों पर ब्याज का हिसाब नहीं दिया गया है क्योंकि कंपनी द्वारा ऐसी सहायक कंपनियों से ब्याज की संबंधित वसूली अनिश्चित है।

17 प्रावधान

	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
गैर वर्तमान		
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
- ग्रेच्युटी	85.20	51.80
- छुट्टी नकदीकरण	421.85	463.09
	507.05	514.88
वर्तमान		
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
- ग्रेच्युटी	-	-
- नकदीकरण छोड़े	66.72	44.38
- एलटीए . के लिए प्रावधान	-	-
	66.72	44.38

18 अन्य देनदारियाँ

गैर वर्तमान		
आस्थगित सरकारी अनुदान (जेडआरडी)	121.38	202.56
अन्य गैर चालू देयताएँ	2,864.16	2,864.16
	2,985.54	3,066.72
वर्तमान		
सांविधिक बकाया	109.47	112.40
आस्थगित सरकारी अनुदान (जेडआरडी)	31.18	31.18
ग्राहकों से अग्रिम	656.64	628.99
अन्य वर्तमान देनदारियाँ	935.30	1,579.67
	1,732.59	2,352.23

19 व्यापार देनदारियाँ

गैर वर्तमान		
व्यापार देनदारियाँ		
- सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	702.61	702.61
- सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि (नोट 36 देखें)	-	-
	702.61	702.61
वर्तमान		
व्यापार देनदारियाँ		
- सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	4,387.69	3,020.33
- सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि (नोट 36 देखें)	-	-
	4,387.69	3,020.33

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

19 **व्यापार देय (जारी)**

व्यापार देय काल प्रभावन अनुसूची

31 मार्च 2022 तक — **भुगतान की देय तिथि (2021-22) से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया**

क्र.सं.	विवरण	देय नहीं	बकाया राशि	<1 वर्ष	1-2 साल	2-3 साल	> 3 साल	कुल
i)	एमएसएमई	-	-	-	-	-	-	-
ii)	अन्य	4,361.75	-	25.94	-	-	702.61	5,090.30
iii)	विवादित बकाया-एमएसएमई	-	-	-	-	-	-	-
iv)	विवादित बकाया-अन्य	-	-	-	-	-	-	-
	कुल	**4,361.75**	**-**	**25.94**	**-**	**-**	**702.61**	**5,090.30**

31 मार्च, 2021 तक — भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया (2020-21)

क्र.सं.	विवरण	देय नहीं	बकाया राशि	<1 वर्ष	1-2 साल	2-3 साल	> 3 साल	कुल
i)	एमएसएमई	-	-	-	-	-	-	-
ii)	अन्य	3,020.33	-	-	-	-	702.61	3,722.94
iii)	विवादित बकाया-एमएसएमई	-	-	-	-	-	-	-
iv)	विवादित बकाया-अन्य	-	-	-	-	-	-	-
	कुल	**3,020.33**	**-**	**-**	**-**	**-**	**702.61**	**3,722.94**

20 अन्य वित्तीय देनदारियाँ

	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
गैर वर्तमान		
व्यापार और सुरक्षा जमा	**163.05**	**163.05**
	163.05	**163.05**
वर्तमान		
कर्मचारी लाभ देय	**142.03**	**137.00**
भारत सरकार से उधार लेने पर अर्जित और देय ब्याज	**34,016.12**	**34,016.12**
पुनर्रचना ऋणपत्र जमा:	**-**	**-**
शून्य दर ऋणपत्र (जेडआरडी) में परिवर्तनीय ऋण पर वर्तमान परिपक्वता	**50.00**	**18.82**
व्यापार और सुरक्षा जमा	**351.07**	**428.25**
	34,559.22	**34,600.19**

21 वर्तमान कर देनदारियाँ

	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
वर्तमान कर देनदारियाँ (अग्रिम कर का शुद्ध)	**-**	**-**
	-	**-**

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

22 संचालन से राजस्व

	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
निर्माण अनुबंधों से आय	13,555.36	6,877.25
निर्माण अनुबंधों से सकल आय - रु.15,203.94 लाख (पिछले वर्ष-रु.7,702.52 लाख)	-	-
	13,555.36	6,877.25
अन्य परिचालन आय:		
परियोजना प्रबंधन परामर्श	-	-
स्क्रैप की बिक्री	146.00	176.61
	13,701.36	7,053.86

23 अन्य आय

	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
सरकारी अनुदान से विभाजित आय	-	32.52
ब्याज आय		
- बैंक और सुरक्षा जमा पर	463.50	568.06
- बांड पर	4.02	3.81
अन्य गैर-परिचालन आय	0.94	0.03
(0.08 लाख रुपये का विदेशी मुद्रा प्रवाह लाभ शामिल है (पिछले वर्ष - 0.17 लाख रुपये का उतार-चढ़ाव नुकसान))	-	-
पूर्व अवधि समायोजन	4.76	2,614.61
बिक्री पर लाभ संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (शुद्ध)	-	-
वापस लिखी गई संदिग्ध प्राप्य राशियों के लिए भत्ता	-	-
बीजी का नकदीकरण / एसडी और ईएमडी की जब्ती	9.52	88.16
	482.74	3,307.19

24 उपभोग की गई सामग्री की लागत

	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
कच्चे माल और उपभोग्य सामग्रियों का प्रारंभिक स्टॉक	927.15	836.27
जोड़ें : वर्ष के दौरान खरीदारी	6,072.97	1,220.20
	7,000.12	2,056.47
कम : कच्चे माल और उपभोग्य सामग्रियों का अंतिम स्टॉक	732.13	927.15
	6,267.98	1,129.32
जोड़ें : वर्ष के दौरान अन्य व्यय	169.66	16.66
	6,437.64	1,145.98

25 इन्वेंटरी में परिवर्तन और कार्य प्रगति पर

	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
कार्य प्रगति पर		
वर्ष की शुरुआत में इन्वेंटरी	3,450.14	4,537.22
कम : वर्ष के अंत में इन्वेंटरी	4,239.24	3,450.14
इन्वेंटरी में (वृद्धि) / कमी	(789.10)	1,087.07

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

26 कर्मचारी लाभ व्यय

	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
वेतन, मजदूरी और बोनस	1,961.02	1,980.22
भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान	251.64	187.01
कर्मचारी कल्याण खर्च	36.98	28.26
	2,249.64	2,195.49

क) भारतीय लेखा मानक 19 के अनुसार विभिन्न कर्मचारी लाभों के लिए किए गए प्रावधान के संबंध में प्रकटीकरण नोट 35 में किया गया है।

27 वित्तीय खर्च

	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय देनदारियों पर वित्त प्रभार		
ऋणपत्र	-	32.52
अन्य उधार लागत		
बैंक ब्याज और कमीशन	18.28	96.16
	18.28	128.68

28 मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
मूर्त संपत्ति का मूल्यह्रास	92.79	89.07
अमूर्त संपत्ति का परिशोधन	4.71	4.30
	97.51	93.37

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

29 अन्य खर्चे

	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
विज्ञापन	17.16	6.99
संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	-	-
संदिग्ध प्राप्तियों के लिए भत्ता	26.47	110.36
मंद एवं अप्रचलित सामग्री के लिए भत्ता	22.94	-
बैंक प्रभार	11.55	5.43
कार किराया प्रभार	78.76	68.42
भंडारण, पुर्जे और फुटकर औजार की खपत	459.71	98.40
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय (नोट 42)	12.15	28.87
बैंक गारंटी का नकदीकरण/ईएमडी की जब्ती, एसडी	-	-
संरचित इस्पात कार्य व्यय	223.16	1,221.00
माल भाड़ा व अग्रेषण	19.50	21.33
बीमा	24.29	16.79
श्रम उपकर	95.98	69.41
कानूनी/परामर्श और व्यावसायिक शुल्क	122.26	134.11
विविध व्यय	76.97	47.09
लेखा परीक्षकों को भुगतान (नोट 34):		
लेखा परीक्षा शुल्क	0.94	0.88
कर लेखा परीक्षा शुल्क	0.30	0.35
अन्य	0.24	2.65
डाक महसूल, दूरभाष और फैक्स	7.21	5.69
मुद्रण और लेखन सामग्री	10.75	8.68
पूर्वावधि समायोजन	-	34.28
संयंत्र और क्रेन किराया प्रभार	2.84	1.37
शक्ति और ईंधन	95.33	47.38
दरें और कर	3.87	6.93
किराया	96.11	95.82
मरम्मत एवं रखरखाव :		
- इमारतें	0.04	0.01
- कार्यशाला एवं यंत्र	1.85	0.34
- अन्य	13.66	7.78
साइट स्थापना व्यय	131.69	58.38
उप अनुबंध और अन्य रूपांतरण शुल्क	4,068.00	2,077.47
सदस्यता और दान	12.26	1.75
परीक्षण शुल्क	10.01	6.18
यात्रा खर्च	29.98	19.27
	5,675.99	**4,203.40**

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

30 कर व्यय

	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
वर्तमान आयकर:		
वर्तमान आयकर शुल्क	159.42	442.68
एमएटी उधार पात्रता	-	-
आस्थगित कर:		
अस्थायी मतभेदों की उत्पत्ति और उत्क्रमण से संबंधित	19.29	(103.64)
लाभ या हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त आयकर व्यय	178.71	339.04

वर्ष के दौरान ओसीआई में मानी गई मदों से संबंधित आस्थगित कर

	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
वस्तुएँ, जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा	-	-
वस्तुएँ, जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा	-	-
ओसीआई को आयकर प्रभार	-	-

घरेलू कर दर से गुणा किए गए लेखांकन लाभ के साथ कर व्यय का समाधान:

	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
आयकर से पहले लेखांकन लाभ	494.13	1,507.05
सांविधिक आयकर दर पर लेखांकन लाभ पर कर 27.82% (31 मार्च, 2021: 29.12%)	137.47	438.85
कर उद्देश्यों के लिए अनुमति दी गई इक्विटी खोलने के लिए ली गई वस्तुओं के संबंध में समायोजन	-	-
कम दरों पर आस्थगित कर के संबंध में समायोजन	19.29	(103.64)
अन्य	-	-
27.82% की प्रभावी कर दर पर कुल	156.76	335.22
लाभ और हानि के विवरण में सूचित कर व्यय	178.71	339.04

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

31 आकस्मिक देयताएँ और वचनबद्धताएँ:

	विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
i)	आकस्मिक देयताएँ :		
	- विवादित विक्रय-कर मांग	87.89	88.10
	- विवादित आय-कर मांग	505.32	425.79
	- विवादित सेवा-कर मांग	154.45	154.45
	- अपील के तहत विवादित भविष्य निधि मांग	54.14	54.14
	- पश्चिम बंगाल के लिए विवादित सेवाकर मांग	-	-
	- बैंक गारंटी	5,254.40	6,706.64
	- विवादित माल और सेवाकर मांग (लेनदेन – 1 ब्याज) - बिहार + झारखण्ड	12.55	24.10

'** इसके अलावा, 22.72 लाख रुपये के आयकर से संबंधित विवादित ब्याज मांग है

* कंपनी विविध कार्यवाही और दावों के अध्ययीन है जो ऊपर उल्लिखित सामग्री समेत कर प्राधिकारियों के समक्ष मुकदमा सहित व्यापार के सामान्य तरीकों के अंतर्गत उत्पन्न हुए हैं। अनिश्चित एवं सम्भाव्य भुगतान विभिन्न विविध प्रक्रियाओं के परिणाम पर निर्भर हैं, जो दावेदारों या कंपनी द्वारा निरस्त कर दिए गये हैं, जैसी स्थिति हो, तथा जिसका सही पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके हितों को सुरक्षित रखने के लिए पेशेगत सलाहकार नियुक्त किए गए हैं, एवं यह परामर्श दिया गया है कि ऐसे विवादों के विरूद्ध मजबूत विधिक स्थितियॉं हैं। प्रबंधन विश्वास करता है कि कार्यवाही के अपने बचाव में इसके पास उचित मामला है तथा तदनुसार आगे कोई प्रावधान अनावश्यक नहीं हैं। कोर्ट केसों के विवरण टिप्पणी 41 में दिया गये हैं।

32 संबद्ध पार्टियों का प्रकटीकरण:

क) 1) निम्नलिखित तालिका संबंधित पार्टी का नाम और कंपनी के साथ अपने संबंध की प्रकृति प्रदान करती है :

नाम	संबंध
श्री सुंदर बनर्जी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक 01-08-2017 से
श्री मुकेश कुमार	निदेशक (वित्त) 01.07.2020 से
श्री अर्नब चटर्जी	निदेशक (तकनीकी) 31-12-2021 तक
श्रीमती सरला देवी	अंशकालिक आधिकारिक निदेशक
श्री आदित्य कुमार घोष	सरकारी निदेशक (सरकारी नामांकित निदेशक) 01.07.2021से

ख) वर्ष के दौरान संबंधित पार्टियों के साथ सभी लेनदेन का विवरण :

	विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
i)	प्रबंध / पूर्णकालिक निदेशकों का पारिश्रमिक :		
	निदेशक के रूप में वेतन एवं भत्ते	115.59	137.98
	निदेशक के रूप में भविष्य निधि में अंशदान	7.38	7.48
	वेतन और भत्ते में छुट्टी नकदीकरण शामिल है)		
ii)	गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशकों को बैठक शुल्क	0.18	0.00

ग) संबंधित पार्टियों के साथ लेनदेन के नियम और शर्ते :

संबंधित पार्टियों के साथ लेनदेन उन समतुल्य शर्तों पर किये जाते हैं जो स्वहित लेन-देन में उपलब्ध है।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

33 सेग्मेंट सूचना :

भारतीय लेखांकन मानक 108 "ऑपरेटिंग सेग्मेंट" ("इंडि. ए एस 108") परिचालन और भौगोलिक सेग्मेंट एवं उत्पाद व सेवाएं, भौगोलिक क्षेत्र और प्रमुख ग्राहकों के बारे में प्रकटीकरणों से संबंधित सार्वजनिक व्यवसाय उद्यम रिपोर्ट सूचना हेतु मानक स्थापित करता है, भारतीय लेखांकन मानकों में यथा प्रतिभाषित "प्रबंधन पहल" पर आधारित, परिचालन सेग्मेंट और भौगोलिक सेग्मेंट मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता (सी.ओ.डी.एम.) को प्रावधानित आंतरिक रिपोर्टिंग से सुसंगत पद्धति में प्रतिवेदित किए जाते हैं। सी.ओ.डी.एम. कंपनी के कार्य प्रदर्शन का मूल्यांकन एवं समग्र आधार पर संसाधन प्रावधानित करता है।

कंपनी प्राथमिक रूप में गढ़ाई, जिसे "परिचालन सेग्मेंट" पर भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार सिर्फ प्रतिवेदन योग्य व्यापार सेग्मेंट के रूप में विचार किये जाने, समेत निर्माण व्यापार में जुड़ी हुई है।
कंपनी भारत में काम कर रही है जिसे एकल भौगोलिक खंड माना जाता है।

34 लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक में शामिल हैं:

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क	0.94	0.88
कर लेखा परीक्षा शुल्क	0.30	0.35
अन्य	0.24	2.65
कुल	**1.48**	**3.88**

35 भारतीय लेखांकन मानक 19 'कर्मचारी लाभ' के अनुसार प्रकटीकरण:

क) उपदान :

कंपनी अपने कर्मचारियों को परिभाषित लाभ योजना के तहत लाभ प्रदान करती है जिसे "उपदान योजना" कहा जाता है। उपदान योजना उन कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने कम से कम लगातार पॉच वर्षों तक सेवा प्रदान की हो, को सेवा-निवृत्ति / सेवा छोड़ने के समय पूरी सेवा के प्रत्येक वर्ष हेतु 15 दिनों का वेतन प्रदान किया जाएगा जो रु. 20.00 लाख तक सीमित है।

कंपनी ने भारतीय जीवन बीमा निगम से एलआईसी समूह उपदान नीति भी अपनाई है, जिसके परिणामस्वरूप एलआईसी द्वारा बीमांकित आधार पर यथा निर्धारित देयता बतौर प्रत्येक वर्ष कंपनी द्वारा की गयी है।

वित्त वर्ष 2021-22 हेतु एलआईसी (निधि प्रशासक) द्वारा निर्धारित कंपनी का उपदान व्यय 97.42 लाख रु. (विगत वर्ष 51.46 लाख रु.) था। उपदान हेतु प्रावधान में पुरानी उपदान देयता 0.33 लाख रु. (विगत वर्ष 0.33 लाख रु.) भी शामिल है।

निम्नलिखित सारणी लाभ या हानि के विवरण में प्रतिचिह्नित लिवल लाभ व्यय के घटकों को सारांशितकरती हैं तथा राशियाँ तुलन-पत्र में प्रतिचिह्नित हैः

दायित्वों के वर्तमान मूल्य के प्रारंभिक और अंतिम शेष का समाधान

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
प्रारंभिक परिभाषित लाभ दायित्व	**535.74**	**562.68**
वर्तमान सेवा लागत	35.47	36.40
पिछली सेवा लागत	-	-
ब्याज लागत	35.45	35.97
भुगतान किया गया लाभ	(72.90)	(53.11)
बीमांकिक लाभ	(2.55)	(46.20)
अर्जन समायोजन	-	-

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

अंतिम शेष परिभाषित लाभ दायित्व	**531.21**	**535.74**
योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य में निम्नानुसार परिवर्तन:		
अवधि की शुरुआत में योजनागत संपत्ति का उचित मूल्य	**456.55**	**438.14**
ब्याज आय	32.41	29.40
नियोक्ता योगदान	63.37	73.59
भुगतान किया गया लाभ	(72.90)	(53.11)
ब्याज आय को छोड़कर योजनागत संपत्तियों पर प्रतिफल	1.76	(31.47)
मापन अवधि के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	**481.19**	**456.55**

पूर्वधारण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
छूट दर (प्रति वर्ष)	7.10%	6.71%
योजना संपत्ति पर अपेक्षित प्रतिफल	7.10%	6.71%
मुआवजा वृद्धि की दर (वेतन मुद्रास्फीति)	7.00%	7.00%

महत्वपूर्ण पूर्वधारण के लिए मात्रात्मक संवेदनशीलता विश्लेषण और अनुमानित लाभ दायित्व पर प्रतिशत के संदर्भ में इसका प्रभाव निम्नानुसार है:

	31 मार्च, 22 को	
	छूट की दर	वेतन वृद्धि दर
अनुमानित लाभ दायित्व पर 50 बीपीएस की वृद्धि का प्रभाव	-3.22%	2.04%
अनुमानित लाभ दायित्व पर 50 बीपीएस की कमी का प्रभाव	3.43%	-2.31%

	31 मार्च, 21 को	
	छूट की दर	वेतन वृद्धि दर
अनुमानित लाभ दायित्व पर 50 बीपीएस की वृद्धि का प्रभाव	-3.35%	2.54%
अनुमानित लाभ दायित्व पर 50 बीपीएस की कमी का प्रभाव	3.57%	-2.59%

इन संवेदनाओं की गणना अनुमानित लाभ दायित्व में आंदोलन को अलगाव में दिखाने के लिए की गई है और यह मानते हुए कि बाजार की स्थितियों में कोई अन्य परिवर्तन नहीं है।

ख) अवकाश

कंपनी अपने कर्मचारियों को अर्जित छुट्टी लाभ (क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति सहित) प्रावधानित करती है जो सालाना 30 दिनों की जमा होती है। अर्जित छुट्टी (ईएल) सेवा में रहते नकदी भुनान योग्य है, तथापि, सेवा-समाप्ति पर नकदीकरण हेतु छुट्टी की कुल संख्या 300 दिनों तक सीमित होगी, यह योजना अनिधिक है तथा इसकी देयता वास्तविक मल्यांकन के आधार पर प्रतिचिह्नित की जाती है। वर्ष हेतु 488.58 लाख रु. (31 मार्च, 2021: 507.46 लाख रु.) का एक प्रावधान वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर रखा गया है, तथा लाभ और हानि के विवरण में लिखा गया है।

निम्नलिखित सारणियॉ लाभ या हानि के विवरण में प्रतिचिह्नित निवल लाभ व्यय के घटकों को सारांशित करती हैं तथा राशियॉ तुलन-पत्र में प्रतिचिह्नित हैं :

दायित्व के वर्तमान मूल्य के प्रारंभिक और समापन शेष का मिलान :

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
प्रारंभिक शेष	**507.46**	**498.62**
चालू सेवा लागत	13.93	44.02
गत सेवा लागत	(15.77)	(6.62)
ब्याज लागत	31.73	31.23
लाभ का भुगतान	(121.06)	(66.43)
बीमांकिक लाभ	72.28	6.64
अर्जन समायोजन	-	-
अन्त शेष	**488.57**	**507.46**
वर्ष के अंत में अनुमानित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	495.07	498.37
वर्ष के अंत में योजना संपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त शुद्ध देयता	495.07	498.37
वर्तमान प्रावधान	(18.89)	8.83
गैर वर्तमान प्रावधान	507.46	498.63

लाभ हानि खाते विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
सेवा लागत	13.93	44.02
ब्याज लागत	31.73	31.23
लाभ / (हानि) का पुनर्मूल्यांकन	-	-
जनसांख्यिकी धारणा में बदलाव के कारण बीमांकिक लाभ / (हानि)	-	-
वित्तीय धारणा में बदलाव क कारण बीमांकिक लाभ / (हानि)	(15.77)	(6.63)
अनुभव समायोजन के कारण वास्तविक लाभ / (हानि)	72.28	6.64
छूट दर से अधिक (कम) योजना संपत्ति पर लाभ	-	-
कुल लागत	**102.17**	**75.26**

पूर्वधारणा	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
छूट दर (प्रति वर्ष)	7.10%	6.71%
भविष्य में वेतन वृद्धि	7.00%	7.00%

महत्वपूर्ण पूर्वधारणा के लिए मात्रात्मक संवेदनशीलता विश्लेषण और अनुमानित लाभ दायित्व पर प्रतिशन शर्तों में इसका प्रभाव निम्नानुसार है:

	31 मार्च, 2022 को	
	छूट दर	वेतन वृद्धि दर
अनुमानित लाभ दायित्व पर 50 बीपीएस में वृद्धि का असर	-3.89%	4.14%
अनुमानित लाभ दायित्व पर 50 बीपीएस में कमी का असर	4.17%	-3.89%

	31 मार्च, 2021 को	
	छूट दर	वेतन वृद्धि दर
अनुमानित लाभ दायित्व पर 50 बीपीएस में वृद्धि का असर	-3.90%	3.57%
अनुमानित लाभ दायित्व पर 50 बीपीएस में कमी का असर	4.13%	-3.88%

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

इन संवेदनशीलताओं की गणना अलगाव में अनुमानित लाभ दायित्व में संचलन दिखाने के लिए की गई है और यह मानते हुए कि बाजार स्थितियों में कोई अन्य बदलाव नहीं है।

36 सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों के बकाये:

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने 26 अगस्त 2008 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया है, जो अनुशंसा करता है कि सूक्ष्म और लघु उद्यमों को अपने ग्राहक के साथ उनके पत्राचार में ज्ञापन फाइलिंग करने के बाद यथा आबंटित उद्यमी ज्ञापन संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए। तदनुसार, 31 मार्च 2022 को ऐसे उद्यमियों को भुगतेय राशि के संबंध में प्रकटीकरण कंपनी में किया गया है। आगे प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए, ब्याज का प्रभाव, अगर कोई, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एम.एस.एम.ई.डी. अधिनियम) के प्रावधानों के अनुसार भुगतान किये जाने के महत्वपूर्ण प्रभाव की उम्मीद नहीं की जाती है। कंपनी को किसी आपूर्तिकर्ता से ब्याज के लिए दावा नहीं मिला है।

	विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
क)	प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में किसी भी आपूर्तिकर्ता को मूल राशि और उस पर बकाया ब्याज शेष नहीं है।	शून्य	शून्य
ख)	एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 की शर्तों के मुताबिक प्रत्येक लेखांकन वर्ष के दौरान तय तिथि के बाद आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान की गयी राशि के साथ क्रेता द्वारा ब्याज का भुगतान किया गया है।	शून्य	शून्य
ग)	बकाया ब्याज की राशि और भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय (जिसे वर्ष के दौरान तय दिन के बाद भुगतान किया गया है) लेकिन एमएसएमईडी अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना ही है।	शून्य	शून्य
घ)	प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में उपचित ब्याज की राशि तथा जिसका भुगतान नहीं किया है, और	शून्य	शून्य
ड.)	एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय अस्वीकृत हो जाने के प्रयोजन से आगे देय ब्याज की शेष राशि और अगले वर्षों में भी देय ऐसी तारीख तक जब उक्त ब्याज की बकाया राशि वास्तव में छोटे उद्यम को भुगतान की गयी है।	शून्य	शून्य

37 प्रति शेयर अर्जन:

मूल ईपीएस राशि की गणना वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा इक्विटी धारकों को अधिरोप्य वर्ष हेतु लाभ को विभाजित की जाती है।

तनुकृत ईपीएस राशियां वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा इक्विटी धारकों को अधिरोप्य लाभ जोड़ इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या को विभाजित कर गणना की जाती है, जिसे इक्विटी शेयरों में सभी कम संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी की जाएगी।

निम्न सारणी प्रति शेयर के मूल और तनुकृत अर्जन के गणना को दर्शाती है।

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
इक्विटी शेयर धारकों के लिए जिम्मेदार वर्ष का लाभ	31,542,320.85	116,801,366.87
शेयर		
वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या – मूल	1,208,605.00	1,208,605.00
वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या – तनुकृत	1,208,605.00	1,208,605.00
प्रति शेयर आय		
रु. 1000/- समान मूल्य के प्रति शेयर आय - मूल (रु.)	26.10	96.64
रु. 1000/- समान मूल्य के प्रति शेयर आय - तनुकृत (रु.)	26.10	96.64

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

38 उचित मूल्यांकन तकनीक

कंपनी उपलब्ध सर्वोत्तम और सबसे प्रासंगिक डेटा का उपयोग करके वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देनदारियों को महत्व देने के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं को बनाए रखती है। परिसंपत्तियों और देनदारियों के उचित मूल्यों को उस राशि में शामिल किया जाता है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त होगी या माप तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा। कुछ उचित मूल्यों का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित विधियों और मान्यताओं का उपयोग किया गया था:

i) नकद और जमा, व्यापार प्राप्य, व्यापार देय और अन्य वर्तमान वित्तीय संपत्ति और देनदारियों का उचित मूल्य मोटे तौर पर इन उपकरणों की अल्पकालिक परिपक्वता के कारण उनकी अग्रणीत राशि का अनुमान लगाता है।

उचित मूल्य पदानुक्रम

निम्न तालिकाएं कंपनी की परिसंपत्ति और देनदारियों का उचित मूल्य माप पदानुक्रम प्रदान करती हैं, जिन्हें नीचे वर्णित स्तर 1 से स्तर 3 में समूहीकृत किया गया है:

i) समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (स्तर 1)। इसमें सक्रिय बाजारों में कारोबार किए गए वित्तीय साधनों का उचित मूल्य शामिल है और यह बैलेंस शीट की तारीख में उद्धृत बाजार कीमतों पर आधारित है।

ii) स्तर 1 में शामिल उद्धृत कीमतों के अलावा इनपुट, जो परिसंपत्ति या देयता के लिए प्रत्यक्ष रूप से (यानी कीमतों के रूप में) या परोक्ष रूप से (अर्थात कीमतों से व्युत्पन्न) (स्तर 2) के लिए देखे जा सकते हैं। इसमें उन वित्तीय साधनों का उचित मूल्य शामिल है जिनका एक सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं किया जाता है (उदाहरण के लिए, ओवर-द-काउंटर डेरिवेटिव) और मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। ये मूल्यांकन तकनीक अवलोकन योग्य बाजार डेटा के उपयोग को अधिकतम करती हैं जहां यह उपलब्ध है और कंपनी के विशिष्ट अनुमानों पर जितना संभव हो उतना कम भरोसा करती है। यदि किसी उपकरण के उचित मूल्य के लिए आवश्यक सभी महत्वपूर्ण इनपुट देखे जा सकते हैं, तो उपकरण को स्तर 2 में शामिल किया जाता है।

iii) परिसंपत्ति या देयता के लिए इनपुट जो अवलोकन योग्य बाजार डेटा पर आधारित नहीं हैं (अर्थात, अप्राप्य इनपुट) (स्तर 3)। यदि एक या अधिक महत्वपूर्ण इनपुट बाजार के अवलोकन योग्य डेटा पर आधारित नहीं हैं, तो उपकरण को स्तर 3 में शामिल किया गया है।

(क) वित्तीय संपत्ति और देनदारियाँ

विवरण	31 मार्च, 2022 तक			31 मार्च, 2021 तक		
	स्तर 1	स्तर2	स्तर 3	स्तर 1	स्तर2	स्तर 3
वित्तीय परिसंपत्ति						
इक्विटी लिखतों में निवेश	-	3,086.81	-	-	3,086.81	-
ऋणपत्र या बांड में निवेश	-	79.26	-	-	75.24	-
कुल वित्तीय परिसंपत्ति	**-**	**3,166.07**	**-**	**-**	**3,162.05**	**-**
वित्तीय देनदारियाँ						
ऋण को शून्य दर ऋणपत्र में परिवर्तित किया गया लंबित आवंटन	-	262.06	-	-	262.06	-
कुल वित्तीय देयताएँ	**-**	**262.06**	**-**	**-**	**262.06**	**-**

31 मार्च, 2022 और 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान, स्तर 1 और स्तर 2 के उचित मूल्य माप के बीच कोई स्थानान्तरण नहीं हुआ और स्तर 3 के उचित मूल्य माप में और बाहर कोई हस्तांतरण नहीं हुआ।स्तर3 के तहत कोई लेनदेन/बैलेंस नहीं है।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

39 वित्तीय जोखिम प्रबंधन उद्धेश्य और नीतियाँ :

कम्पनी की प्रमुख वित्तीय देनदारियों में ऋृण व उधार, व्यापार और अन्य भुगतान शामिल हैं। इन वित्तीय देयताओं का मुख्य उद्धेश्य कम्पनी के प्रचालन में वित्तीय सहायता व मदद पहुंचाना है। कम्पनी की मूल वित्तीय सम्पत्तियों में सामान सूची, व्यापार और प्राप्य, नकद व नकद समतुल्य एवं वापसी योग्य जमा जो इसके प्रचालनों से सीधे प्राप्त होती हैं शमिल हैं।

कम्पनी बाजार जोखिम, साख जोखिम तथा नकदी जोखिम के प्रकटीकरण पर है। कम्पनी के वरिष्ठ प्रबंधक इन जोखिमों के प्रबंधन का ध्यान रखते हैं। निदेशक मंडल इन प्रत्येक जोखिम को प्रबंधित करने के लिए समीक्षा व नीति सहमति प्रदान करते हैं जिनका सारांश नीचे दिया गया है।

क) बाजार जोखिम

ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जो वित्तीय साधन के उचित मूल्य या भावी नकद प्रवाह में परिवर्तन के कारण उतार-चढ़ाव होगा, बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के जोखिम में कम्पनी का प्रकटीकरण मुख्य रूप से अस्थायी ब्याज सहित सम्पनी के लधु कालिक ऋृण दायित्वों से संबंधित है।

कम्पनी परिवर्तनीय दर उधारों के संतुलित पोर्टफोलियों द्वारा अपना ब्याज दर जोखिम प्रबंधित करती है। कम्पनी किसी ब्याज दर विनिमय में प्रवेश नहीं करती है।

ब्याज दर संवेदनशीलता

निम्नलिखित सारणी ब्याज दरों पर उचित संभावित परिवर्तन में संवेदनशीलता दर्शाती है जिसने ऋृणों के भाग और उधारी को प्रभावित किया है। स्थिर धारित सभी अन्य परिवर्तनों के साथ, कम्पनी का कर के पूर्व लाभ अस्थायी दर उधारी पर प्रभाव के माध्यम से प्रभावित करता है, जो निम्नानुसार है :

	ब्याज दर में वृद्धि / कमी
31 मार्च, 2022 को	
भारतीय रुपये	+1%
भारतीय रुपये	-1%
31 मार्च, 2021 को	
भारतीय रुपये	+1%
भारतीय रुपये	-1%

ख) साख जोखिम :

साख जोखिम वह जोखिम है जो प्रतिलेखी रूप में वित्तीय साधन या ग्राहक ठेका के अधीन अपनी बाध्यता को पूरा नहीं करेगा, जिससे वित्तीय हानि हो। साख जोखिम मुख्य रूप से बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों एवं अन्य वित्तीय साधनों समेत अपने निवेशी क्रियाकलापों से तथा अपने परिचालन क्रियाकलापों (प्राथमिक तौर पर व्यापार प्राप्य) से उत्पन्न होता है।

साख जोखिम एक सतत आधार पर ग्राहकों की साख योग्यता तथा साख सीमा के विश्लेषण द्वारा नियंत्रित किया जाता है जिस पर साख हेतु आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद साख मंजूर की जाती है। व्यापार प्राप्तियों से संग्रहण प्राप्त टीम द्वारा एक सतत आधार पर प्रबंधित किये जाते हैं।

कम्पनी साख हानि हेतु भत्ता स्थापित करती है जो विगत और हाल की संग्रहण प्रवृत्ति पर आधारित अन्य प्राप्तियों तथा व्यापार के संबंध में सम्भावित हानि का अपना अनुमान प्रस्तुत करती है। रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार ऋण जोखिम का अधिकतम जोखिम प्राथमिक रूप से व्यापार प्राप्य और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों से है। वर्ष के दौरान व्यापार प्राप्तियों के संबंध में साख हानि हेतु भत्ते में परिवर्तन निम्नानुसार थे :

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

क्रेडिट हानि के लिए भत्ता	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
प्रारंभिक शेष	1,816.02	1,705.66
क्रेडिट नुकसान दिया गया	26.47	110.36
क्रेडिट नुकसान वापस किया	-	-
अन्त शेष	1,842.49	1,816.02

ग) नकदी जोखिम :

कम्पनी का उद्धेश्य बैंक जमा और ऋणों के व्यवहार के माध्यम से निधियन एवं नम्यता की निरंतरता के बीच एक संतुलन अनुरक्षित रखना है।

यह सारणी संविदात्मक बिना छूट के भुगतानों पर आधारित कम्पनी की वित्तीय देयताओं का परिपक्वता स्वरूप सारांशित करती है:

	आगे ले जाने वाली राशि	12 महीने से कम	12 महीने के बाद	कुल
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष				
उधारी	6,851.06	6,589.00	262.06	6,851.06
व्यापार देय	5,090.30	4,387.69	702.61	5,090.30
अन्य वित्तीय देयताएँ	34,722.27	34,559.22	163.05	34,722.27
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष				
उधारी	6,851.06	6,589.00	262.06	6,851.06
व्यापार देय	3,722.94	3,020.33	702.61	3,722.94
अन्य वित्तीय देयताएँ	34,763.24	34,600.19	163.05	34,763.24

40 पूंजीगत प्रबंधन :

कम्पनी की नीति एक मजबूत पूंजी आधार अनुरक्षित करना है जिससे निवेशक, लेनदार तथा बाजार आत्मविश्वास अनुरक्षित एवं व्यापार का भावी विकास बनाये रखा जा सके। प्रबंधन नियोजित पूंजी पर प्राप्ति के आधार पूंजी एवं कुल इक्विटी अनुपात में ऋण प्रबोधित करता है। कुल इक्विटी अनुपात में ऋण के उद्धेश्य हेतु, विचारित ऋण दीर्घकालिक और और अल्पकालिक उधारी है। कुल इक्विटी जारी शेयर पूंजी और सभी अन्य इक्विटी प्रारक्षित को मिलाकर है।

31 मार्च, 2021, 31 मार्च, 2020 को पूंजीगत संरचना निम्नानुसार था:

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
कंपनी के इक्विटी शेयर धारकों के कुल इक्विटी विशेषता	21,053.48	20,788.06
कुल पूंजी के प्रतिशत के रूप में	75.31%	75.16%
वर्तमान परिपक्वता समेत दीर्घकालिक उधारी	312.06	280.88
अल्पकालीन उधारी	6,589.00	6,589.00
कुल उधारी	6,901.06	6,869.88
कुल पूंजी के प्रतिशत के रूप में	24.69%	24.84%
कुल पूंजी (इक्विटी एवं उधारी)	**27,954.55**	**27,657.95**

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

41 भारतीय लेखांकन मानक 115 "ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व" के अनुसरण में प्रकटीकरण :

क. कंपनी 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी, भारतीय लेखांकन मानक 115 "ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व" तथा निर्माण और सेवा कार्यकलापों से पहचाना जाता है जो "ओवर टाइम" पद्धति पर आधारित है और कंपनी डिलीवरी की प्रगति को मापने के लिए समाप्त प्रतिशत विधि का उपयोग कर आउटपुट पद्धति का उपयोग करती है, जो कंपनी द्वारा पहले इस्तेमाल की गई नीति के अनुसार है। कंपनी के वित्तीय स्थिति पर कोई महत्वपूर्ण लेन देन का प्रभाव नहीं है।

ख.		**31 मार्च, 2022 को**	**31 मार्च, 2021 को**
	संचालन से राजस्व (निर्माण अनुबंधों से सकल आय - रु.15,203.94 लाख (पिछले वर्ष-रु.7,702.52 लाख)	13,555.36	6,877.25
	अन्य राजस्व	146.00	176.61
	कुल	**13,701.36**	**7,053.86**

42 निगमित सामाजिक दायित्व व्यय (सीएसआर)

सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, कंपनी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी सीएसआर नीति के अनुसार ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम दो प्रतिशत खर्च करना आवश्यक है। वर्ष के लिए सीएसआर खर्चों का विवरण इस प्रकार है:

विवरण	**31 मार्च 2022**	**31 मार्च 2021**
क. वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली आवश्यक राशि	12.63	-
बी पिछले वर्ष की कमी राशि	-	-
ग. कुल (क+ख)	**12.63**	**-**
घ. वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि:		
- किसी संपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	-	-
- उपरोक्त के अलावा अन्य उद्देश्यों पर	12.15	28.87
कुल	**12.15**	**28.87**
कमी राशि	0.48	-

क) 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि

विवरण	**नकद में**	**नकदी में भुगतान किया जाना है**	**कुल**
किसी संपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	-	-	-
उपरोक्त के अलावा अन्य उद्देश्यों पर	12.15	-	12.15

ख) 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि:

विवरण	**नकद में**	**नकदी में भुगतान किया जाना है**	**कुल**
किसी संपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	-	-	-
उपरोक्त के अलावा अन्य उद्देश्यों पर	28.87	-	28.87

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

ग) प्रमुख शीर्षों के अंतर्गत सीएसआर व्ययों का विवरण निम्नानुसार है:

विवरण	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
1. स्वच्छ भारत कोष	-	-
2. स्वच्छ गंगा कोष	-	-
3. कौशल विकास प्रशिक्षण	-	-
4. शिक्षा	-	-
5. स्वास्थ्य	12.15	-
6. सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष	-	-
7. पीएम केयर्स फंड	-	28.87
कुल	**12.15**	**28.87**

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

43. कानूनी मामलों का विवरण :

बीबीजे / बीबीयूएनएल से संबंधित 31.03.2022 को लंबित कानूनी मामलों की वर्तमान स्थिति

क्रम सं	मामले की श्रेणी	आरंभिक वर्ष	विवरण	कितनी राशि शामिल है (रु में)	मामलों की वर्तमान स्थिति	लंबित होने / विद्यमान रहने का कारण। मानिटरिंग रचनातंत्र की प्रभावोकारिता	किसके समक्ष लंबित है
1.	बेदखली सूट सिविल सूट (सी.एस.) संख्या - 1982 का 482 बीच में हिंदुस्तान कंसल्टेंसी एंड सर्विसेज लिमिटेड (पहले मोदी बिल्डिंग लिमिटेड) -बनाम- बीबीजे	1982	● **संक्षेप में तथ्य:** मकान मालिक द्वारा 1982 के दौरान बेदखली का मामला दायर किया गया था जहां बीबीजे का प्रधान कार्यालय स्थित है। ● माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार 3,218.65 रुपये का अद्यतन मासिक किराया नियमित रूप से कलकत्ता उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार के समक्ष भुगतान किया जा रहा है। ● बीबीजे इस मामले को माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष भी लड़ रहा है।	बेदखली सूट	लंबित है।	मामले को सुनवाई के लिए माननीय न्यायालय द्वारा तय किया जाना बाकी है।	माननीय उच्च न्यायालय कलकत्ता (मूल पक्ष)
2.	सेवा मामला केस नं. VIII/241/2001, बीबीजे बनाम तरुण घोषाल	2001	● **संक्षेप में तथ्य:** श्री तरुण घोषाल को 08.07.1996 को "गैन्ट्री ऑपरेटर" के पद पर अस्थायी कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया था। बीबीजे की 06.05.2000 के एक नोटिस द्वारा श्री घोष की सेवा समाप्त कर दी गई। उक्त बर्खास्तगी के खिलाफ श्री तरूण घोषाल द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत वर्तमान मामला दायर किया गया था। दिनांक 28.01.2009 के एक आदेश द्वारा प्रथम औद्योगिक न्यायाधिकरण, प.बं. ने श्री तरुण घोषाल के पक्ष में एक अंतरिम राहत प्रदान की थी। यह मामला अभी भी बहस के लिये लंबित है। बीबीजे लिखित बयान दर्ज करके, गवाहों को जोड़कर और निजी जासूस एजेंसी की जांच रिपोर्ट दाखिल करके मामले को लड़ रही है।	सेवा मामला	लंबित है।	मामला लंबित है एवं सुनवाई हेतु तय हो गया है।	विद्वान प्रथम औद्योगिक ट्रिब्यूनल, पश्चिम बंगाल
3.	रिट याचिका – डब्ल्यू.पी. 19046 (डब्ल्यू) ऑफ 2008/सीएन3017 ऑफ 2009/सीएन 6958 ऑफ 2011 बीबीजे (पूर्ववर्ती बीबीयूनएल)–बनाम – एआईएफआर एवं अन्य	2008	● **संक्षेप में तथ्य :** कंपनी द्वारा बीआईएफआर के दिनांक 31.08.2005;06.10.2005; एवं 28.04.2006 के आदेश के विरुद्ध अपील को एआईएफआर के 28.02.2008 के आदेश द्वारा खारिज करने को चुनौती देते हुए रिट यायिका दायर की है। ● [एआईएफआर ने बीआईएफआर के जैसे ही जेसीएल के इक्विटी शेयर 10 रु. से घटाने की अनुमति देने से "राइट" आधार परइक्विटी शेयरों के निर्गम से पूंजी निषेचन हुई, जो सेबी औपचारिकताओं के अनुपालन से "राइट" निर्गम की छूट थी एवं जेसीएल को एसआईसी (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1985 के दायरे के बाहर घोषित करना है]	एआईएफआरके दिनांक 28.02.2018 के आदेश के विरूद्ध रिट याचिका	लंबित है।	मामला लंबित है एवं माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता (अपीलीय पक्ष) के समक्ष सुनवाई के लिए मामला अभी तक सूची में नहीं आया है।	माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता (अपीलीय पक्ष)

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

क्रम सं	मामले की श्रेणी	आरंभिक वर्ष	विवरण	कितनी राशि शामिल है (रु में)	मामलों की वर्तमान स्थिति	लंबित होने / विद्यमान रहने का कारण। मानिटरिंग रचनातंत्र की प्रभावोकारिता	किसके समक्ष लंबित है
4.	पैसे का मुकदमा (मनीसूट), स्वामित्व मुकदमा, टीएस सं. 2009 का 91 (टीएस सं. 2016 का 3827/ 2016 का 0001653) बीबीजे (पूर्ववर्ती बीबीयूनएल)–बनाम- जेसप एण्ड कंपनी लि.	2009	● **संक्षेप में तथ्य :** कंपनी द्वारा 2005 में गलती से वापस की गई सितम्बर, '01 से अगस्त,'03 की सेवा प्रभार 82,71,520/- रुपये की ब्याज, लागत इत्यादि के साथ वसूली के लिए।	82,71,520/- रुपये	लंबित है।	मामला सुनवाई / बहस हेतु लंबित है।	न्यायालय, विद्वान प्रथम सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीज़न), 24 परगना (दक्षिण)
5.	रिट याचिका, 2010 का डब्ल्यू. पी. 4224 (डब्ल्यू) इंडो – वैगन – इंजी. लि. एवं अन्य बनाम (1)यूनियन ऑफ इंडिया (2) बीबीजे (पूर्ववर्ती बीबीयूनएल) (3) स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	2010	● **संक्षेप में तथ्य:** बीबीयूएनएल (अब बीबीजे) द्वारा याचिकाकर्ता के संग की गई एसएचए के अनुसार हस्तांतरण की तारीख से 3 वर्ष के लिए 72% शेयरों कोस्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में डिमेट के रूप में स्थानांतरित कर धरोहर रखना था परन्तुबीबीयूएनएल (अब बीबीजे)ने 3 वर्ष खत्म हो जाने के बाद भी धरोहर वाले शेयरों के बारे में "गिरवी बंद करने की पुष्टि फॉर्म" निर्गत नहीं की।	रिट याचिका	लंबित है।	मामला लंबित है एवं माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता (अपीलीय पक्ष) के समक्ष अभी भी सूचीबद्ध किया जाना है।	माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता (अपीलीय पक्ष)
6.	मध्यस्थता अपील एपी नंबर - 2010 का 738 बीबीजे - बनाम - सिवटेक	2010	● **संक्षेप में तथ्य :**आर्बिट्रेशन एण्ड कांसिलीयेशन एक्ट, 1996 की धारा-34 के तहत बीबीजे के खिलाफ पारित पुरस्कार को चुनौती देने वाली याचिका दिसंबर 2010 के दौरान कलकत्ता में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई थी। तब से मामला लंबित है।	17 लाख रुपये+ लंबित ब्याज	लंबित है।	मामला लंबित है और माननीय उच्च न्यायालय कलकत्ता द्वारा अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाना बाकी है	माननीय उच्च न्यायालय कलकत्ता (मूल पक्ष)।
7.	मध्यस्थता अपील एए नं. 2010 का 1 (कुंवरी प्रथम ब्रिज कंट्राक्ट मामला) नार्थ सेंट्रल रेलवे – बनाम- बीबीजे	2010	● **संक्षेप में तथ्य :**मेसर्स बीबीजे के पक्ष में शून्य दायिता एवार्ड पारित। नार्थ सेंट्रल रेलवेज ने कथित एवार्ड को आर्बिट्रेशन एण्ड कांसिलीयेशन एक्ट, 1996 की धारा-34 के तहत विद्वान ग्वालियर जिला न्यायालय के समक्ष चुनौती दी है। ● फिर भी नार्थ सेंट्रल रेलवेज का कथित दावा उक्तन्यायालय द्वाराखारिज कर दी गई है एवं दिनांक 09.11.2009 को आदेश पारित किया है।	शून्य दायिता	लंबित है।	यह मामला माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. (ग्वालियर शाखा) के डिवीज़न बेंच के समक्ष अंतिम सुनवाई के लिए लंबित है।	माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. (ग्वालियर शाखा)

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

क्रम सं	मामले की श्रेणी	आरंभिक वर्ष	विवरण	कितनी राशि शामिल है (रु में)	मामलों की वर्तमान स्थिति	लंबित होने / विद्यमान रहने का कारण। मानिटरिंग रचनातंत्र की प्रभावोकारिता	किसके समक्ष लंबित है
			● नार्थ सेंट्रल रेलवेज ने अपकृत होकर विद्वान जिला न्यायालय के कथित आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश के ग्वालियर पीठ के समक्ष चुनौती दी है। मेसर्स बीबीजे को अपूर्ण प्रतिलिपि दी गई है।बीबीजे कार्यवाही में प्रतिवादी के रूप में शामिल हुई है। बीबीजे को अपील पर आपत्ति दायर करना है				
8.	अपील मामला : अपील केस सं. 2012/118 (सी.ओ. नं. 2018 का 1157) यूनियन ऑफ इंडिया बनाम यूको 1 यूको बैंक 2 टीपीजी इक्विटी मैनेजमेंट एण्ड प्राईवेट लिमिटेड 3 बीपीएमईएल (समापन केअधीन) 4 बीबीजे (पूर्ववर्ती बीबीयूनएल)	2018	● **संक्षेप में तथ्य :** इससे पहले कंपनीद्वारादायर 2011 कीअपीलसंख्या 2 मेंपीठासीनअधिकारी, ऋण वसूली न्यायाधिकरण- I, कोलकाता के आदेश दिनांक 23.02.2012 के खिलाफ यूओआई ने 2012 के केस नंबर 118 के माध्यम से अपील दाखिल किया गया है और टीपीजी इक्विटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने 2012 की संख्या 138 के तहत क्रॉस अपील दाखिल किया गया है। ● विद्वान पीठासीन अधिकारी ने आदेश दिनांक 23.02.2012 द्वारा बीपीएमईएल के शेयरों की कुर्की के आदेश को रद्द कर दिया। हालांकि, उक्त आदेश में उन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया सेबीपीएमईएल के शेयरों को टीपीजी इक्विटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित करने पर विचार करने की सलाह दी। ● इस मामले को सुनवाई के लिए जारी रखने के लिए 12.02.2018 को उठाया गया था। सरकारी वकील के सुनवाई जारी रखने के लिए कहने पर, ट्रिब्यूनल ने अपीलकर्ता और सरकारी वकील की ओर से पिछली खामियों के कारण मामले की सुनवाई के लिए विचार नहीं किया और फिर से बहाली आवेदन को खारिज कर दिया। ● खिन्न होकर, यूनियन ऑफ इंडिया ने माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता के समक्ष 10.5.2018 को एक संशोधन याचिका दायर (सी.ओ.नं. 2018 का 1157) की है। ● माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता ने दिनांक 05.01.2021 के एक आदेश द्वारा भारत संघ की अपील की अनुमति दी और डीआरएटी को अपील मामले संख्या 2012 के 118 में सुनवाई शुरू करने का निर्देश दिया। ● इस मामले बीबीजे ● प्रोफार्मा (औपचारिक) प्रतिवादी है।	अपील मामला	लंबित है।	इस मामले की सुनवाई विद्वान ऋण वसूली अपीलीय ट्राईब्यूनलके समक्ष लंबित है।	विद्वान ऋण वसूली अपीलीय ट्राईब्यूनल

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

क्रम सं	मामले की श्रेणी	आरंभिक वर्ष	विवरण	कितनी राशि शामिल है (रु में)	मामलों की वर्तमान स्थिति	लंबित होने / विद्यमान रहने का कारण। मानिटरिंग रचनातंत्र की प्रभावोकारिता	किसके समक्ष लंबित है
9.	अपील मामला 2015 का एपीओ 45 / 2013 का जी.ए. 932 / 2013 का एपीओटी 61 / 2003 का डब्ल्यू. पी.1509 टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड एण्ड अन्य – बनाम – (1) यूनियन ऑफ इंडिया (2) जेसप एण्ड कंपनी लिमिटेड (3) बीबीजे (पूर्ववर्ती बीबीयूनएल) (4) ए एफ फर्गूसन एण्ड कंपनी (5) इंडो-वैगन इंजी. लि.	2013	• **संक्षेप में तथ्य :**उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के रिट याचिका सं. 2013 के 1509 (और वहीं से निकल कई अन्य सामान्य आवेदनों) के 19.12.2012 के आदेश के विरूद्ध डिविज़न बेंच के समक्ष अपील की गई है। • याचिका कर्ता को मालूम नहीं था कि जेसप एण्ड कंपनी लिमिटेड को मेट्रो रेलवे, कोलकाता की 5.5 एकड़ जमीन की बिक्री से 14 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। यद्यपि प्रतिवादी सं. 5 (इंडो वैगन) को इसकी जानकारी थी। • बोली खुलने के बाद आरक्षित मूल्य तय किया गया।	अपील मामला	लंबित है।	इस मामले की माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाना है।	माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता, सिविल अपीलीय न्यायाधिकार, मूल पक्ष
10.	बिजली मामला इलेक्ट्रीसिटी सर्टिफिकेट मुकदमा सं. 01/13-14 बीएसईबी –बनाम- बीबीजे	2013	• बिहार स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड (बीएसईबी) जो • अब बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड (बीएसपीसीएल) के रूप में जाना जाता है द्वारा गंगा पुल परियोजना स्थल परबिजली की आपूर्ति करने के लिए बीबीजे से अवैध रूप से 58.23 लाख रुपये की मांग की गई। • बीएसईबी ने बीबीजे से 58.23 लाख रुपये वसूली के लिए यह 2013-14 का इलेक्ट्रीसिटी सर्टिफिकेट मुकदमा सं. 01 दायर किया है। • बीबीजे, बीएसईबी के उक्त कठोरकार्रवाई के विरूद्ध माननीय पटना उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर करने के लिए मजबूर हो गयी थी । • 6 साल के अंतराल के बाद, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने बीबीजे के दावों को खारिज करते हुए बीबीजे को 15.01.2019 को एक पत्र संख्या 46 जारी किया। बीबीजे ने उत्तर में दिनांक 28.01.2019 के पत्र द्वारा फिर से बीएसपीसीएल को माननीय पटना उच्च न्यायालय के दिनांक 22.10.2013 के आदेश में दिए गए निर्देश के अनुसार कार्य करने का अनुरोध किया।	58.23 लाख रुपये	लंबित है।	यह मामला विद्वान जिला नीलामी सर्टिफिकेट अधिकारी, मुंगेर के न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए लंबित है।	विद्वान जिला नीलामी सर्टिफिकेट अधिकारी, मुंगेर के नयायालय

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

क्रम सं	मामले की श्रेणी	आरंभिक वर्ष	विवरण	कितनी राशि शामिल है (रु में)	मामलों की वर्तमान स्थिति	लंबित होने / विद्यमान रहने का कारण। मानिटरिंग रचनातंत्र की प्रभावोकारिता	किसके समक्ष लंबित है
			● बीएसपीसीएलने फिर से 2013-14 के इलेक्ट्रिक सर्टिफिकेट केस नंबर 1 को उत्तेजित किया और नीलामी अधिकारी, मुंगेर ने बीबीजे के खिलाफ, दिनांक 13.02.2019को उसके सामने पेश होने के निर्देश के साथ 30.01.2019 को ' अरेस्ट वारंट जारी करने के लिए कारण के बारे में पूछताछ हेतु नोटिस जारी किया' । ● अब बीबीजे उक्त मामले को जिला नीलामी सर्टिफिकेट अधिकारी, मुंगेर के न्यायालय के समक्ष लड़ रही है।				
11.	अपील मामला 2014 का डी.आर.ए. टी.आवेदन संख्या 105, 106, 107, 108 एवं 109 ओएमडीसी बनाम यूको बैंक एवं अन्य [यहाँ यूनियन ऑफ इंडिया एवंबीबीजे (पूर्ववर्ती बीबीयूनएल) प्रतिवादी हैं]	2014	● **संक्षेप में तथ्य :** यूको बैंक ने डीआरटी से 04.11.2003 को बीपीएमईएल (समापन में) से1,92,12,957.92 रुपये एवं यूओआई से 2,16,13,312,35/- रुपये के लिए संयुक्त रूप से, अलग से एवं व्यक्तिगत रूप से कुल मिलाकर 4,08,26,270/- रुपयेएवं 08.05.1991 से उगाही होने तक "उपरोक्त प्रमाणित राशि" पर 19.5% की दर पर ब्याज प्राप्त करनेकी एक डिक्री प्राप्त कर लिया था, जिसे टीपीजी इक्विटी मैनेजमेंट प्राईवेट लिमिटेड को यूको बैंक द्वारा हस्तांतरित किया गया था। ● बर्ड एण्ड कंपनी की सहायक कंपनी ओडिसा मिनरल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (ओएमडीसी) पहले ओडिसा राज्य में तीन खदानों का प्रचालन करती थी एवं जब 14.10.1980 को बीपीएमईएल सरकारी कंपनी के तौर पर निगमित हुई तो भारत सरकार ने खदानों के बीपीएमईएल के प्रशासनिक नियंत्रण में निहित करने की अधिसूचना जारी की। तब से ओएमडीसी अपना प्रचालन कर रही है । चूंकिओएमडीसीपहलेसेहीखननकार्यकररहाथाइसलिएबीपीएमईएल द्वाराओएमडीसी को सभी कार्यकलाप करने हेतु पावर ऑफ अटॉर्नी (पीओए) दी गई थी। ● अब इस पीओए के अधिकार के गुणों के मुताबिक सुरक्षित लेनदार टीपीजी ने वसूली अधिकारी से इन तीनों खदनों के कब्जा हेतु आदेश हासिल कर लिया और तत्पश्चात पीठासीन अधिकारी, डीआरटी से प्राप्त कर लिया।	अपील मामला [बीपीएमईएल (समापन के अधीन) के विरूद्ध यूको बैंक के बकाये के बारे में]	लंबित है।	विद्वान ऋृण वसूली अपीलीय ट्राईब्यूनल के समक्ष यह विषय सुनवाई हेतु लंबिल है।	विद्वान ऋृण वसूली अपीलीय ट्राईब्यूनल

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

क्रम सं	मामले की श्रेणी	आरंभिक वर्ष	विवरण	कितनी राशि शामिल है (रु में)	मामलों की वर्तमान स्थिति	लंबित होने / विद्यमान रहने का कारण। मानिटरिंग रचनातंत्र की प्रभावोकारिता	किसके समक्ष लंबित है
			● ओएमडीसी खिन्न होकर डीआरटी के समक्ष पी.ओ./ डीआरटी -1 द्वारा पारित पूर्ववर्ती आदेशों के पुनर्विचार / निरस्त करने एवं टीपीजी को दिए यूको बैंक के हस्तांतरण को रद्द करने के लिए आवेदन दिया, जहाँ यूओआई एवं बीबीयूएनएल प्रतिवादी हैं। ● डीएचआई ने अपने काउन्सेल को कहा कि मुकदमे का बचाव ठीक तरीके से करें एवं बीबीयूएनएल के सीएमडी को माननीय डीआरएटी के समक्ष दोनों कोर्ट मामलों का प्रभावी रूप से बचाव करने को कहा। तदनुरूप, कंपनी यूओई के साथ औपचारिक प्रतिवादी के तौर पर उपस्थित हुई एवं लड़ी।				
12.	आर्ब्रिटेशन अपील 2016 का ए.पी. संख्या 9 2016 का जी.ए. संख्या 120 इंडो वैगन इंजी. कंपनी लि. बनाम बीबीजे (पूर्ववर्ती बीबीयूनएल)	2016	● **संक्षेप में तथ्य :** कंपनी और इंडो वैगन इंजीनियरिंग लिमिटेड (IWEL) के बीच जेसप एण्ड कंपनी लिमिटंड ("जेसप") जेसोप एंड कंपनी लिमिटेड ("जेसोप") के इक्विटी शेयरों और अन्य विवादों के लिए एक मध्यस्थता कार्यवाही की गई। ● एकल मध्यस्थ ने 11.09.2015 को प्रतिवादी (आईडब्ल्यूईएल) के विरूद्ध दावेदार (कंपनी) के पक्ष में फैसला दिया। आगे यह निर्णय दिया गया कि फैसला देने की तारीख से तीन महीने के भीतर दावा विवरण की प्रार्थना (सी) और (जी) में दी गई राशि के भुगतान करने में प्रतिवादी असफल रहने पर 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज प्रतिवादी द्वारा दावेदार को देय होगा। .....अवार्ड का कुल मूल्य 41.02 करोड़ (लगभग) है। ● आईडब्ल्यूईएल खिन्न होकर 05.01.2016 कोमाननीय उच्च न्यायालय के समक्ष 11.09.2015 के कथित अवार्ड खारिज करने के लिए याचिका दायर की है।	41.02 करोड़ रुपये+ ब्याज	लंबित है।	इस मामले कीअगली सुनवाई के लिए माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता (मूल पक्ष) में सूचीबद्ध किया जाना है।	माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता, (मूल पक्ष)
13.	कर्मचारी भविष्य निधि का मामला 2016 का अपील संख्या ई.पी.एफ.- 09 [पुरानी संख्या 2016 का 299 (15)] बीबीजे (पूर्ववर्ती बीबीयूनएल) बनाम सहायक भविष्य निधि कमिश्नर, क्षे. का. , कोलकाता	2016	● **संक्षेप में तथ्य :** सहायक भविष्य निधि आयुक्त, क्षे.का., कोलकाता ने कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 14 (बी) एवं 7 (क्यू) के अधीन कुल 96,09,773/- रुपये की क्षतिपूर्ति का दावा किया है। कईसुनवाईकेबाद एपीएफसी, क्षे.का. , कोलकाता ने फिर 15.02.2016 के आदेश के जरिए कथित अधिनियम की धारा 14 (बी) के अधीन उरोक्त क्षति के लिए 66,43,791/- रुपये जमा करने का निर्देश दिया है। ● कंपनी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय ट्राईब्यूनल, नई दिल्ली में चुनौती दी गई है।	66,43,791/- रुपये	लंबित है।	यह मामला सुनवाई के लिए सीजीआईटी, कोलकाता में लंबित है।	केन्द्रीय सरकार औद्योगिक ट्राईब्यूनल सह श्रम न्यायालय, (सीजीआईटी), कोलकाता

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

क्रम सं	मामले की श्रेणी	आरंभिक वर्ष	विवरण	कितनी राशि शामिल है (रु में)	मामलों की वर्तमान स्थिति	लंबित होने / विद्यमान रहने का कारण। मानिटरिंग रचनातंत्र की प्रभावोकारिता	किसके समक्ष लंबित है
			• ट्राईब्यूनल ने मूल्यांकित राशि का 50% जमा करने का आदेश दिया है। इसके अतिरिक्त कंपनी द्वारा एक आवेदन देने पर विद्वान पीठासीन अधिकारी ने 22.09.2016 के आदेश के जरिए 16,76,335/- रुपये जमा करने का आदेश दिया है। कंपनी ने उक्त रकम को 01.10.2016 को एपीएफसी, क्षे.का., कोलकाता के पास जमा कर दी है। • इस बीच 26.05.2017 की अधिसूचना के अनुसार ईपीएफएटी, दिल्ली और बेंगलुरु को समाप्त कर दिया है तथा उक्त ट्राईब्यूनल में लंबित मामले अब संबंधित राज्य के केंद्रीय सरकार औद्योगिक ट्राईब्यूनल सह श्रम न्यायालय, (सीजीआईटी) में स्थानांतरित हो जाएगी। ईपीएफएटी को भंग करने पर विचार करते हुए मामले को आगे की कार्यवाही हेतु सीजीआईटी, कोलकाता में स्थानांतरित कर दिया गया है। • 05.10.2018 को सुनवाई के लिए सीजीआईटी द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था। कंपनी ने सीजीआईटी के समक्ष पेश होकर वकालतनामा दायर किया था।				
14.	मध्यस्थता अपील आब्रि. अपील 2019 का संख्या 2 (जोगीघोपा ब्रिज कंट्राक्ट मामला) उत्तर सीमांत रेलवे बनाम बीबीजे	2016	• **संक्षेप में तथ्य:** मामला असम में निर्मित जोगीघोपा पुल से संबंधित है। मेसर्स बीबीजेके पक्ष में ट्रिब्यूनल द्वारा पारित फैसले के अनुपालन में हालांकि, उत्तरी सीमांत रेलवे द्वारा आंशिक भुगतान किया गया था और दूसरा बिना किसी विवाद के हिस्सा एन एफ रेलवे के इशारे पर मिलान की प्रतीक्षा के कारण बकाया रह गया है।एन एफ रेलवे ने गौहाटी में विद्वान जिला न्या यालय के समक्ष अवार्ड को चुनौती दी। 23.07.2014 कोविद्वान जिला न्याएयाधीस, कामरूप, गुआहाटी ने एन एफ रेलवे के दावा को खारिज कर दिया। 351 दिनों की देरी के बाद एन एफ रेलवे ने माननीय गुआहाटी उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान आब्रिट्रेशन अपील दायर की।	शून्य दायिता	लंबित है।	यह मामला माननीय उच्च न्यायालय, गुआहाटीके समक्ष सुनवाई के लिए लंबित है।	माननीय उच्च न्यायालय, गुआहाटी

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

क्रम सं	मामले की श्रेणी	आरंभिक वर्ष	विवरण	कितनी राशि शामिल है (रु में)	मामलों की वर्तमान स्थिति	लंबित होने / विद्यमान रहने का कारण। मानिटरिंग रचनातंत्र की प्रभावोकारिता	किसके समक्ष लंबित है
15.	सिविल अपील 2017 कापी.पी. अपील संख्या 6 (विक्टोरिया हाऊस मामला) बीबीजे बनाम के ओ पी टी (अभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट)	2017	● **संक्षेप में तथ्य :** यह मामला लोक भवन (अनधिकृत कब्जे से बेदखली) अधिनियम 1971 की धारा 7 (3) के तहत बीबीजे के खिलाफ 01.04.1988 से 31.03.1989 तक 'विक्टोरिया वर्क्स' के अनधिकृत रुप से कब्जा करने से हुई क्षति के लिए रु.10,57,872 भुगतान करने के लिए है । बीबीजे द्वारा विभिन्न आधारों पर एस्टेट ऑफिसर के समक्ष केओपीटी के दावे को चुनौती दी गई थी।08.03.2017 को एक प्रतिवादी आदेश द्वारा केओपीटी के विद्वान एस्टेट अधिकारी ने केओपीटीके दावों को सही ठहराया।उक्त आदेश से खिन्न होकर विगत 08.03.2017 को बीबीजे ने अलीपुर में विद्वान डिस्ट्रिक्ट जज के समक्ष यह अपील दायर की।	रु.10,57,872/- + लंबित ब्याज	लंबित है।	मामला सुनवाई के लिए लंबित है । तृतीय अतिरिक्त जिला जज, 22.06.2017 के आदेश के जरिए कोओपीटी के सम्पदा अधिकारी द्वारा लगाए गए विरोध भुगतान आदेश पर रोक लगा दी गई ।	विद्वान तृतीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीध का न्यायालय, अलीपुर
16.	निष्पादन मुकदमा उच्च न्यायालय, कलकत्ता 2018 का ई. सी. संख्या 458 बीबीजे (पूर्ववर्ती बीबीयूनएल) बनाम इण्डो वैगन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड	2018	● **संक्षेप में तथ्य :** कंपनी एवं इण्डो वैगन इंजी. कं. लि.(आई डब्ल्यू ई एल) के बीच जेसप एण्ड कंपनी लिमिटेड ("जेसप") के इक्विटी शेयरों एवं अन्य से संबंधित विवादों के लिए मध्यस्थता कार्यवाही की गई थी । ● एकल मध्यस्थ ने 11.09.2015 को प्रतिवादी (आईडब्ल्यूईएल) के विरूद्ध दावेदार (कंपनी) के पक्ष में फैसला दिया। आगे यह भी निर्णय दिया कि फैसला देने की तारीख से तीन महीने के भीतर दावा विवरणी की प्रार्थना (सी) और (जी) में गई राशि के भुगतान करने में प्रतिवादी असफल रहने पर 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज प्रतिवादी द्वारा दावेदार को वास्तविक वसूली होने तक देय होगा । अवार्ड का कुल मूल्य 41.02 करोड़ रु.(लगभग) है । ● आईडब्ल्यूईएल पीडित होकर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष 05.01.2016 को 11.09.2015 के कथित अवार्ड खारिज करने के लिए याचिका दायर की है । ● सैण्डर्सन्स एवं मोर्गन्स द्वारा सुझाव देने पर भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले के समर्थन में कंपनी ने 19.09.2018 को इस निष्पादन आवेदन फाइल किया है ।	41.02 करोड़ रु.+ ब्याज	लंबित है।	इस मामले की सुनवाई माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता (मूल पक्ष) में लंबित है।	माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता, (मूल पक्ष)

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

क्रम सं	मामले की श्रेणी	आरंभिक वर्ष	विवरण	कितनी राशि शामिल है (रु में)	मामलों की वर्तमान स्थिति	लंबित होने / विद्यमान रहने का कारण। मानिटरिंग रचनातंत्र की प्रभावोकारिता	किसके समक्ष लंबित है
17.	मध्यस्थता अपील आब्रिट्रेशन नं. 2018 का 21 (चंबल द्वितीय ब्रिज कंट्राक्ट मामला) नार्थ सेंट्रल रेलवेज – बनाम- बीबीजे	2018	● **संक्षेप में तथ्य :** एक शून्य देयता आब्रिट्रेशनफैसला दिनांक 07.04.2015 को बीबीजेके पक्ष में पारित किया गया था। उत्तर मध्य रेलवे ने जिला न्यायालय, इलाहाबाद, उ.प्र. के समक्ष मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 (आब्रिट्रेशनकेस संख्या - 2018 का21) के तहत उक्त फैसले को चुनौती दी। ● बीबीजे ने 16.07.2018 को सम्मन प्राप्त किया और अब विद्वान जिला न्यायाधीश के कोर्ट, इलाहाबाद, यूपी के समक्ष उक्त मध्यस्थता अपील लड़ रहा है।	शून्य दायिता	लंबित है।	यह मामला विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट, इलाहाबाद, यूपी के समक्ष सुनवाई के लिए लंबित है।	विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट, इलाहाबाद, यूपी
18.	रिट मामला सिविल रिट जुरिडिक्शन मुकदमा – सीडब्ल्यूजेसी नं. 2019 का 17069 बीबीजे - बनाम – बीएसपीएचसीएल	2019	● **संक्षेप में तथ्य :** विद्युत प्रमाणपत्र केस संख्या 01 /13-14 के संदर्भ में, जिला नीलामी प्रमाणपत्र अधिकारी, मुंगेर के न्यायालय के समक्ष लंबित है। बीबीजे ने बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड(बीएसपीएचसीएल) के खिलाफ माननीय पटना उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान रिट याचिका दायर की है।	रिट मामला	लंबित है।	यह मामला माननीय उच्च न्यायालय, पटना, बिहार के समक्षसुनवाई के लिए लंबित है ।	माननीय उच्च न्यायालय, पटना, बिहार
19.	विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) (आब्रिट्रेशन अपील मामला) एसएलपी (सी) नं. 008221-/2020 (संदर्भ - ए. पी. नं. 2019 का 69) (मनोहरपुर – बोंडा मुंडा आब्रिट्रेशन मामला)	2020	● **संक्षेप में तथ्य :** बीबीजे के करीब 7.34 करोड़ रु.के वैध दावे के बारे में विवाद - साउथ ईस्टर्न रेलवे के खिलाफआब्रिट्रेशन हेतु सुपुर्द किया गया था जो जीसीसी के मुताबिक मध्यस्थ (थों) की नियुक्ति के बाद शीघ्र ही शुरू होने जा रही है । ● चूंकि जीसीसी संशोधन अधिनियम, 2015 के पहले से रहने से इसमें तटस्थ मध्यस्थ (थों) की नियुक्ति शामिल ● नहीं है। ● आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के गठन के लिएबीबीजेद्वाराकई पत्रों के प्राप्त करने के बावजूद, एस.ई. रेलवे अपने नामित मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए आवश्यक कदम उठाने में जानबूझकर विफल हुआ और उपेक्षा कर रहा है। ● 2015 में संशोधित ए एंड सी अधिनियम, 1996 की धारा 12(5) के तहत और माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों में विवाद को ठीक से और निष्पक्ष निर्णय देने के लिए मध्यस्थ के रूप में एक स्वतंत्र व्यक्ति की तत्काल नियुक्ति के लिए वर्तमान मामले को दायर किया गया था ।	रु. 7,34,57,560/- + ब्याज	लंबित है।	मामला भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए लंबित है ।	भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

क्रम सं	मामले की श्रेणी	आरंभिक वर्ष	विवरण	कितनी राशि शामिल है (रु में)	मामलों की वर्तमान स्थिति	लंबित होने / विद्यमान रहने का कारण। मानिटरिंग रचनातंत्र की प्रभावोकारिता	किसके समक्ष लंबित है
20.	आब्रिट्रेशन याचिका (संदर्भ ए.पी. नं. 2019 का 188, ए.पी. नं. 2018 का 330 से उठा) (सियालदह, हावड़ा, आसनसोल और मालदा डिवीजन परियोजना) बीबीजे – बनाम - ईस्टर्न रेलवे एवं अन्य)	2021	• **संक्षेप में तथ्य :** ईस्टर्न रेलवे के खिलाफ मध्यस्थता की कार्यवाही 2012 से लंबित है। • आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के गठन के 7 (सात) साल बीतने के बावजूद, केवल एक मध्यस्थता बैठक 31.07.2014 को आयोजित की गई है और मध्यस्थता कार्यवाही में आगे कोई विकास नहीं हुआ है। • यह कि बीबीजे के पूर्व रेलवे के खिलाफ रु.1.20 करोड़ काभारी दावा स्वीकृत है और अन्य दावे भी हैं जिन्हें आर्बिट्रेशन में अधिनिर्णय किये जाने की जरूरत है। • बीबीजे से कई पत्र प्राप्त करने के बावजूद, महाप्रबंधक, ईस्टर्न रेलवे और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बीबीजे द्वारा उठाए गए आर्बिट्रल विवाद पर फैसला करने और उसमें आवश्यक अवार्ड पारित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने में विफल रहें औरजानबूझकर उपेक्षित किये हैं। • इसलिए, बीबीजे और पूर्वी रेलवे के बीच लंबे समय से लंबित विवाद को सुलझाने के लिए एक मध्यस्थ टाईब्यूनल नियुक्त करने और इस लंबित विवाद में अधिनिर्णय करने के लिए बीबीजे ने माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता के समक्ष आब्रिट्रेशन याचिका (ए.पी. नं. 2019 का 330) दाखिल किया। • 28.06.2018 को माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता ने बीबीजे की प्रार्थना की अनुमति देते हुए आर्बिट्रल टाईब्यूनल को फरवरी, 2019 के भीतर मध्यस्थता कार्यवाही समाप्त करने का निर्देश दिया। लेकिन दुर्भाग्य से आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने उक्त आदेश की उपेक्षा की और फरवरी, 2019 के भीतर मध्यस्थता कार्यवाही समाप्त करने में विफल रहा। • कोई दूसरा रास्ता नहीं मिलने पर, कंपनी ने पूर्व रेलवे और उसके जी.एम. के खिलाफ उक्त आदेश की अवहेलना के लिए दिनांक 28.06.2018 को वर्तमान आब्रिट्रेशन याचिका (ए.पी. नं. 2019 का 188) दायर की। • अंत में 07.04.2021 को, कलकत्ता में माननीय उच्च न्यायालय ने बीबीजे और पूर्वी रेलवे के बीच विवादों और मतभेदों को सुलझाने के लिए एकल मध्यस्थ के रूप में श्री न्यायमूर्ति इंद्रजीत चटर्जी (सेवानिवृत्त) की नियुक्ति का आदेश पारित किया। • नवनियुक्त मध्यस्थता कार्यवाही की पहली बैठक 04.05.2021 को आयोजित की गई थी	रु. 4,92,55,482/- + ब्याज	लंबित है।	लंबित है।	एकल मध्यस्थ न्यायमूर्तिश्री इंद्रजीत चटर्जी (सेवानिवृत्त)

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

क्रम सं	मामले की श्रेणी	आरंभिक वर्ष	विवरण	कितनी राशि शामिल है (रु में)	मामलों की वर्तमान स्थिति	लंबित होने / विद्यमान रहने का कारण। मानिटरिंग रचनातंत्र की प्रभावोकारिता	किसके समक्ष लंबित है
21.	आब्रिट्रेशनकार्यवाही (संदर्भ आब्रिट्रेशन याचिका नं. 2021 का 15) (गेबन प्रोजेक्ट आब्रिट्रेशन मामला) बीबीजे – बनाम - कंसलटेन्टस कम्बाइन प्राइवेट लिमिटेड	2021	● **संक्षेप में तथ्य :** यह विवाद कंसलटेन्टस कम्बाइन प्राइवेट लिमिटेड(सीसीपीएल) के खिलाफ लगभग 15 करोड़ रुपये के बीबीजे के कानूनी दावे के बारे में है, जो उनके अनुबंध की अवधि के अन्दर बिकेले, गैबॉन, अफ्रीका में 300 आवास घरों, स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल कॉम्प्लेक्स, कमर्शियल सेंटर और आईटी एंड कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट के निर्माण के लिए 14.5 लाख अमरीकी डालर की गैबॉन सरकार की परियोजना को पूरा करने के लिए लीड सदस्य के रूप में उनकी लापरवाही / गैर-निष्पादन के लिए है। ● बीबीजे ने उपरोक्त विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए एकल मध्यस्थ नियुक्त करके मध्यस्थता कार्यवाही शुरू करने के लिए दिनांक 03.07.2020 को नोटिस जारी किया। सीसीपीएल ने बीबीजे के उक्त अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। ● बीबीजे ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 11(6) के तहत एक स्वतंत्र व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में तत्काल नियुक्ति के लिए एक आवेदन दायर किया ताकि विवाद को उचित और निष्पक्ष रूप से निपटाया जा सके। ● दिनांक 14.01.2021 के एक आदेश द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता ने वर्तमान एकल मध्यस्थ - न्यायमूर्ति रंजीत कुमार बाग (सेवानिवृत्त) को नियुक्त करने की कृपा की।	रु. 26.11करोड़ (ब्याज सहित)	लंबित है।	मामला एकल मध्यस्थ - माननीय न्यायमूर्ति श्री रंजीत कुमार बाग (सेवानिवृत्त) के समक्ष सुनवाई हेतु लंबित है।	एकल मध्यस्थ - माननीय न्यायमूर्ति श्री रंजीत कुमार बाग (सेवानिवृत्त)
22.	अपील मामला : एम.ए.टी. नं. 2021 का 140 एम.ए.टी. नं. 2021 का 141 [संदर्भ सेवा मामला 2014 का डब्ल्यू. पी. 14592 (डब्ल्यू)] बीबीजे (पूर्ववर्ती बीयूनएल) बनाम श्रीमती सरोज अग्रवाल (प्रतिवादी) एवं यूनियन ऑफ इंडियाएवं अन्य (औपचारिक प्रतिवादी के तौर पर)	2021	● **संक्षेप में तथ्य :**प्रबंधन द्वारा 30 अप्रैल, 2014 के पत्र के जरिएयाचिकाकर्ता, श्रीमती सरोज अग्रवाल को बर्खास्त कर दिया गया था एवं उनकी सभी बकाया नियोजन की शर्तों के मुताबिक बीबीजे नेनिपटारा किया । बीबीजेनेरिटयाचिकासंख्या 14592W काविरोधकिया। ● माननीय एकल न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता श्रीमती सरोज अग्रवाल के पक्ष में दो आदेश दिनांक 13.03.2020 और 25.01.2021 पारित किए। ● बीबीजे ने उपर्युक्त दो आदेशों दिनांक 13.03.2021 और 25.01.2021 से खिन्न होकर, वर्तमान दो अलग-अलग अपीलें (क्रमशः 2021 की एमएटी संख्या 140 और 2021 की एमएटी संख्या 141 के माध्यम से) माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता में सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलीय पक्ष के समक्ष 02.02.2021 को दायर कीं। उपर्युक्त दो अपील मामले सुनवाई के लिए लंबित हैं।	अपील मामला (सेवा मामला)	लंबित है।	माननीयउच्च न्यायालय, कलकत्ता में सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलीय पक्ष मेंसुनवाई के लिए लंबित है।	माननीयउच्च न्यायालय, कलकत्ता में सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलीय पक्ष

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

क्रम सं	मामले की श्रेणी	आरंभिक वर्ष	विवरण	कितनी राशि शामिल है (रु में)	मामलों की वर्तमान स्थिति	लंबित होने / विद्यमान रहने का कारण। मानिटरिंग रचनातंत्र की प्रभावोकारिता	किसके समक्ष लंबित है
23.	रिट मामला सिविल रिट जुरिडिक्शन मुकदमा – सीडब्ल्यूजेसी नं. 2021 का 16686 बीबीजे (महाप्रबंधक के माध्यम से - परियोजना) - बनाम - बीएसपीएचसीएल	2021	• **संक्षेप में तथ्य :** उपर्युक्त दो मामलों 1) बिजली प्रमाण पत्र मामला संख्या 01/13-14 जिला प्रमाण पत्र अधिकारी, मुंगेर के विद्वान न्यायालय के समक्ष लंबित और 2) रिट याचिका (सीडब्ल्यूजेसी संख्या 2019 का 17069) माननीय माननीय उच्च न्यायालय, पटना, बिहार के समक्ष लंबित है, की सुनवाई में समय लग रहा है। • इसलिए कानूनी सलाहकारों की सलाह के अनुसार बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (बीएसपीएचसीएल) और 6 अन्य के खिलाफ बीबीजे के महाप्रबंधक (परियोजना) द्वारा वर्तमान रिट याचिका (2021 का सीडब्ल्यूजेसी नंबर 16686) मामला माननीय उच्च न्यायालय, पटना, बिहार के समक्ष दायर की गई है।	रिट मामला	लंबित है।	यह मामला माननीय उच्च न्यायालय, पटना, बिहार के समक्षसुनवाई के लिए लंबित है।	माननीय उच्च न्यायालय, पटना, बिहार
24.	कंपनी याचिका सी.पी. 2021 का नंबर 101 औरकंपनी आवेदन (सीए) 2021 की संख्या 128 बीबीजे - बनाम - लगन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड	2021	• **संक्षेप में तथ्य :** वित्त वर्ष 2020-21 के परिपत्र संकल्प संख्या 7 दिनांक 20.02.2021 के अनुपालन में, श्री सब्यसाची चौधरी (अधिवक्ता) की कानूनी राय दिनांक 30.1.2021 के आधार पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 241 और 242 के तहत बीबीजे द्वारा लगान इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (एलईसीएल) के कुप्रबंधन और उत्पीड़न के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी), कोलकाता बेंच (2021 का मामला संख्या सीपी 101) के समक्ष, एलईसीएल के खिलाफ एक याचिका दायर की गई थी। • इस बीच, एलईसीएल ने एनसीएलटी, कोलकाता बेंच [केस नंबर सीए (सीएए) 55/केबी 2021] के समक्ष एकता एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड के साथ समामेलन के लिए एक आवेदन भी दायर किया। एनसीएलटी के निर्देश के अनुसार, दोनों मामले यानी 2021 का केस नंबर सीपी 101 और केस नंबर सीए (सीएए) 55/केबी 2021 को एक साथ जोड़कर सुनवाई की गई है। • 15.09.2021 को, बीबीजे ने एनसीएलटी, कोलकाता के समक्ष उनके विस्तारित उत्पीड़न और कुप्रबंधन के लिए एलईसीएल के खिलाफ एक वार्ता आवेदन (2021 का सीए नंबर 128) दायर किया।	कंपनी याचिका	लंबित है।	मामला नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, कोलकाता बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए लंबित है	नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, कोलकाता बेंच।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

क्रम सं	मामले की श्रेणी	आरंभिक वर्ष	विवरण	कितनी राशि शामिल है (रु में)	मामलों की वर्तमान स्थिति	लंबित होने / विद्यमान रहने का कारण। मानिटरिंग रचनातंत्र की प्रभावोकारिता	किसके समक्ष लंबित है
25.	निष्पादन मामला 2022 का ईसी नंबर 2 बीबीजे - बनाम पूर्व मध्य रेलवे और अन्य	2022	• **संक्षेप में तथ्य:** विवाद मुगलसराय में "3400 'सी' श्रेणी और 10500 'बी' श्रेणी के अनलोडेबल वैगनों की मरम्मत के अनुबंध से अवैध समाप्ति के लिए पूर्व मध्य रेलवे के खिलाफ बीबीजे के लगभग 40.77 करोड़ रुपये (+ 18% ब्याज) के वैध दावे के संबंध में है। • दिनांक 03.05.2019 के एक आदेश द्वारा, पटना उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही ने वर्तमान एकमात्र मध्यस्थ - माननीय श्री न्यायमूर्ति धरणीधर झा (सेवानिवृत्त) को मध्यस्थता कार्यवाही के माध्यम से मामले का निर्णय करने के लिए नियुक्त करने की कृपा की • एकमात्र मध्यस्थ - - माननीय श्री न्यायमूर्ति धरणीधर झा (सेवानिवृत्त) ने मध्यस्थता कार्यवाही शुरू की और दावेदार - बीबीजे और प्रतिवादी - पूर्व मध्य रेलवे दोनों को सुना। अंततः 17.03.2021 को कंपनी के पक्ष में मामले का निपटारा कर दिया गया। आर्बिट्रेशन अवार्ड दिनांक 17.03.2021 में विद्वान एकमात्र मध्यस्थ ने बीबीजे के अधिकांश दावों की अनुमति दी और प्रतिवादियों को कुल प्रदान की गई राशि पर पुरस्कार की तारीख से उसी की प्राप्ति 12.5% की दर से ब्याज के साथ बीबीजे को 38,72,26,975.00 रुपये की कुल राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया। • अब तक 38,72,26,975.00 रुपये की पुरस्कृत राशि का भुगतान पूर्व मध्य रेलवे द्वारा नहीं किया गया है. 03.01.2022 को बीबीजे ने उपरोक्त मध्यस्थता पुरस्कार दिनांक 17.03.2021 को लागू करने के लिए पटना सदर के विद्वान जिला न्यायाधीश के समक्ष 2022 का वर्तमान निष्पादन मामला संख्या 2 दायर किया।	रु.38.72 करोड़ + ब्याज @12.5%	लंबित है।	मामला पटना सदर के विद्वान जिला न्यायाधीश के समक्ष विचाराधीन है	विद्वान जिला न्यायाधीश, पटना सदर

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

दिनांक : 31.03.2022

विभिन्न न्यायालयों के समक्ष लंबित बीबीजे के कानूनी मामलों की संख्या (31.03.2022 तक)

क्रम सं.	न्यायालय का नाम	लंबित कानूनी मामलों की संख्या
1.	भारत का सर्वोच्च न्यायालय	1
2.	उच्च न्यायालय	12
3.	निचले न्यायालय एवं अन्य न्यायालयों	10
4.	मध्यस्थता	2

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

44 विश्लेषणात्मक अनुपात के संबंध में प्रकटीकरण:

अनुपात	अंश-गणक	भाजक	31 मार्च, 2022	31 मार्च 2021	% विचरण	भिन्नता का कारण
वर्तमान अनुपात (समय में)	वर्तमान संपत्ति	वर्तमान देनदारियाँ	1.33	1.34	-0.74%	
ऋण-इक्विटी अनुपात (समय में)	कुल ऋण	शेयरधारकों की इक्विटी	0.33	0.33	-1.26%	
ऋण सेवा कवरेज अनुपात (समय में) - (शुद्ध लाभ + मूल्यह्रास + लंबी अवधि के ऋण पर ब्याज) / वर्ष के दौरान देय या भुगतान किए गए दीर्घकालिक ऋण की कुल ब्याज और मूलधन।	ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय	ऋण सेवा	0.01	0.04	-63.03%	
इक्विटी अनुपात पर लाभ (%)	करों के बाद शुद्ध लाभ - वरीयता लाभांश (यदि कोई हो)	औसत शेयरधारक की इक्विटी	2.61%	9.66%	-72.99%	
सामग्री फेर अनुपात (समय में)	संचालन से राजस्व	औसत सूची	2.93	1.44	103.15%	
व्यापार प्राप्य कारोबार अनुपात (समय में)	शुद्ध ऋण बिक्री	प्राप्य औसत खाते	7.86	3.34	135.53%	
व्यापार देय टर्नओवर अनुपात (गुना)	शुद्ध ऋण खरीद	औसत विविध लेनदार	1.81	1.14	59.06%	
शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात (%)	संचालन से राजस्व	औसत कार्यशील पूंजी	85.91%	50.02%	71.73%	
शुद्ध लाभ अनुपात (%)	कर के बाद शुद्ध लाभ	संचालन/शुद्ध बिक्री से राजस्व	2.30%	16.56%	-86.10%	
नियोजित पूंजी पर लाभ (%)	ब्याज और करों से पहले कमाई	नियोजित पूंजी	2.26%	6.95%	-67.50%	
निवेश पर प्रतिफल (%)	कर के बाद शुद्ध लाभ	कुल संपत्ति	0.4%	1.6%	-73.33%	

45 कंपनी के संपत्ति संयंत्र और उपकरण में वे आइटम शामिल हैं, जो बहुत पुराने हैं और हो सकता है कि अपनी उपयोगी जीवन से बाहर हो गए हों। ऐसी संपत्तियों का लेखा पुस्तकों में पूर्ण रूप से ह्रास किया गया है। कंपनी स्क्रैपिंग या बट्टे खाते के लिए ऐसी वस्तुओं की पहचान करने की प्रक्रिया में है। वर्ष के दौरान, कोविद महामारी संबंधी प्रतिबंधों को देखते हुए, प्रबंधन संपत्ति संयंत्र और उपकरणों का भौतिक सत्यापन करने में असमर्थ रहा है। इस तरह की पहचान लंबित होने तक, ऐसी संपत्तियों को संपत्ति संयंत्र और उपकरण में शामिल किया जाना जारी है।

46 व्यापार प्राप्य में लकवा-परियोजना कार्य के लिए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) से गैर वर्तमान परिसंपत्तियों की 38.98 लाख रुपये (विगत वर्ष - 38.98 लाख) बकाया है, जो पूरा होने के पहले 2009-10 में बंद हो गया था एवं उपर्युक्त कार्य से संबंधित चालू वित्तीय परिसंपत्तियों में 42.29 लाख रुपये (विगत वर्ष - 42.29 लाख) की अवरोधन धन एवं प्रतिभूति जमा 37.49 लाख (पिछले वर्ष - 37.49 लाख) शामिल है। चूंकि बही में दिखायी गयी 126.46 लाख रुपये (विगत वर्ष - 126.46 लाख) की सदृश समष्टि राशि बीएलईएल को देय है, कंपनी ने बीएचईएल से प्राप्य प्रतिभूति जमा एवं अवरोधन धन पर संदिग्ध कर्ज के लिए किसी भत्ते पर विचार नहीं किया है।

47 अन्य वित्तीय संपत्ति - वर्तमान में 45.14 लाख रुपये (विगत वर्ष - 45.14 लाख रुपये) बयाना राशि और अन्य जमा (नोट संख्या 7) शामिल हैं, जो बहुत पुराने हैं, जिसके मुकाबले रुपये 40.78 लाख (विगत वर्ष - 40.78 लाख रुपये) देय है और अन्य वित्तीय देनदारियों में शामिल है - वर्तमान (नोट संख्या 20), जिसकी पुष्टि पार्टियों द्वारा नहीं की गई है। प्रबंधन ने इसे अच्छा और प्रकृति रुप से वर्तमान माना है।

48 वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले टिप्पणियों के तहत नोट संख्या 8 के अनुसार वर्ष के अंत में सूची में कच्चे माल के तहत 62.47 लाख रुपये की राशि के पुराने और अप्रयुक्त स्टॉक शामिल हैं। स्टोर के पुर्जे और कलपुर्जे के तहत 2.78 लाख रुपये जो 7 साल से अधिक समय से पड़े हैं और 8.18 लाख रुपये खुले औजार के तहत हैं जो 9 साल से अधिक समय से पड़े हैं और वर्ष के दौरान खातों में उसके विरुद्ध आवश्यक प्रावधान किया गया है।।

49 अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां - वर्तमान में अन्य अग्रिम के रूप में जमा की गई राशि शामिल है (नोट संख्या 7) नीचे सूचीबद्ध पार्टियों को प्रदान की गई और बहुत पुरानी हैं। कंपनी ने इसे प्रकृति में वर्तमान के रूप में माना है।

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
1	ग्राहकों – बीबीयूएनएल से उगाही योग्य विक्रय कर	15.76	15.76
2	दपूरे एकाउंट बीबीसीसी	1.51	1.51
3	दपूरे/बीबीयूएनएल	0.78	0.78
4	वसूली योग्य विविध खर्च	55.38	55.38
5	वेतन अग्रिम	61.36	61.36
	कुल	**134.79**	**134.79**

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

50 अन्य चालू संपत्तियों में अन्य अग्रिम के रूप में जमा की गई राशि शामिल है (नोट संख्या 13) जिसके लिए कोई पुष्टि उपलब्ध नहीं है और बहुत पुरानी है। कंपनी इसे एक छोटी अवधि में अच्छा और वसूली योग्य/समायोज्य मानती है और इसलिए इसे प्रकृति में वर्तमान माना जाता है:

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
1	अनुबंधित कर्मचारी भविष्य निधि	2.23	2.23
2	परिवार पेंशन योजना – सीएसपीएफ	0.04	0.04
3	परिवार पेंशन योजना – एसपीएफ	0.96	0.96
4	परिवार पेंशन योजना – डब्ल्यूपीआई	2.35	2.35
5	कामगार भविष्य संस्था	9.28	9.28
6	सीमा शुल्क कलेक्टर, कोलकाता	0.07	0.07
7	स्टॉफ भविष्य निधि	16.85	16.85
8	परिवार पेंशन योजना – अनुबंधित कर्मचारी	15.77	15.77
	कुल	47.54	47.54

51 Trade Payables – Non current and other non current liabilities includes amounts as against which goods & services were received in earlier years, and the Company is in the process of identifying the creditors against these liabilities (Note No.19 & 20). However, Company considers the same to be payable in a long term and hence considered the same to be Non current in nature:

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
1	समाप्त अनुबंधों पर देयताएँ खाता	1493.35	1493.35
2	देयताएँ खाता	698.01	727.53
3	भारत सरकार को देय खाता – बीबीवीएल समापन एवं ब्याज	182.90	182.90
4	भारत सरकार को पी/ ई देय (सहायिकाएं) – बीडब्ल्यूईएल	69.60	69.60
5	पी/ ई निधि पर सहायिकओं को ब्याज देय	357.65	357.65
6	विविध लेनदार – विविध (सहायिकाएं)	57.71	57.71
7	आईटी सस्पेंस (अन्य) (194) देय - ओसीएल	1.04	1.04
8	बिक्री कर देय – ओसीएल	1.54	1.54
9	बीबीसीसी को ब्याज देय	2.37	2.37
10	पुरानी अनसुलझा शेष	6.36	6.36
	कुल	2870.52	2900.04

52 वर्ष के अंत में कच्ची सामग्रियों, भंडारण आदि की मालसूची का भौतिक सत्यापन किया जाता है। भौतिक एवं बही के स्टॉक में महत्वपूर्ण फर्क नहीं होने के कारण लेखा बहियों में उचित रूप से व्यवहृत की जाती है।

53 गैर-वर्तमान निवेश ईस्ट इंडिया क्लिनिक लिमिटेड में 0.16 लाख रुपये (गत वर्ष - 0.16 लाख रुपये) की 5% नॉन रिडिमेबल रजिस्टर्ड ऋणपत्र स्टॉक शामिल है, जिससे कंपनी कोई आय अर्जित नहीं करती है।

54 आयकर विभाग के कार्यालयीन पोर्टल के मुताबिक 12.21 लाख रु. के निर्विरोध आयकर मांग है, जिसका कंपनी के पास समुचित अभिलेख या खंडन हेतु सबूत नहीं है। तथापि, कंपनी की राय है कि भुगतान करने के लिए कोई भी राशि बकाया नहीं है, जिसका विरोध नहीं किया गया है और आयकर पोर्टल में प्रदर्शित राशि गलत हो सकती है। कंपनी उसे ठीक करने का प्रयास करेगी। तदनुसार, कोई देयता प्रदान नहीं की गई है।

55 कुछ व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, लेनदारों, ऋणों एवं अग्रिमों आदि के शेष अनुरूप अनुषंगी अभिलेखों के शेष के अनुसार बही में शामिल किया गया है बशर्ते कि संबंधित पार्टियों एवं मिलान से आये अगर कोई परिणामिक समायोजन की पुष्टि हो। इसके अलावा कंपनी देनदारों और लेनदारों से पुष्टि प्राप्त करने की प्रक्रिया में है। अभी तक प्राप्त पुष्टियों का मिलान कर लिया गया है। सभी प्राप्त हुए पुष्टिकरणों को ध्यान में रखते हुए शेष किसी भी तरह के मिलान या समायोजन के अधीन है। पिर भी प्रबंधन का मानना है कि इस संबंध में कोई भौतिक विसंगति नहीं होगी।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

56 कंपनी को निम्नलिखित बंद हो चुकी साइटों एवं प्रधान कार्यालय के बैंक शेष के संबंध में संबंधित बैंकों से पुष्टि नहीं मिली है , जिनमें कुछ बहुत पुराने हैं और संबंधित विवरणों के नाम उपलब्ध नहीं हैं। इस प्रकार, शेष संबंधित बैंकों से पुष्टि के अधीन अध्ययीन हैं। इस तरह के शेष के विवरण इस प्रकार हैं :

साइटों के नाम	बैंक शेष (लाख रुपये में)
1. बोनम साइट	0.09
2 वैतरणी साइट	0.10
3 फरक्का साइट	0.03
4 कहलगांव साइट	0.01
5 कानहन साइट	0.14
6 रिहन्द साइट	0.02
7 उल्लास साइट	0.07
8 बोंदा मुंडा साइट	0.31
9 मुगलसराय साइट	0.10
10 अगरतला (त्रिपुरा) साइट	0.07
कुल	**0.95**

i) उपरोक्त साइटों में 0.85 रुपये की राशि शामिल है जो बंद साइटों के शेष राशि बतलाती है (विगत वर्ष 0.85 लाख रुपये)

ii) नकद शेष राशि में 0.70 लाख रुपये(विगत वर्ष 0.70 लाख रुपये) बंद साइट के शेष बतलाता है, जो पहले के वर्षों से संबंधित था, जिसके लिए कोई पुष्टि उपलब्ध नहीं है।

57 कंपनी ने रिपोर्टिंग तिथि पर भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड (बीपीएमईएल) में 486.30 लाख रुपये (पिछले वर्ष 486.30 लाख रुपये) का निवेश किया है, जेसोप एंड कंपनी लिमिटेड (जेसीएल) में 2558.01 लाख रुपये (पिछले वर्ष 2558.01 लाख रुपये) का निवेश किया है। दोनों इकाई परिसमापन के अधीन है, और भागीरथी ब्रिज कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (बीबीसीसीएल, कंपनी का एक संयुक्त उद्यम) में रु.0.30 लाख (पिछले वर्ष रु.0.30 लाख) और लगन जूट मशीनरी कंपनी लिमिटेड में रु.42.20 लाख (पिछले वर्ष रु.42.20 लाख)। प्रबंधन द्वारा किए गए आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर, उपरोक्त इकाई की स्थिति के बावजूद, ऐसे निवेश लागत पर किए गए हैं।

बीपीएमईएल में रु.5932.96 लाख (पिछले वर्ष रु.5932.96 लाख), रु.656.03 लाख (पिछले वर्ष रु.656.03 लाख) का ऋण वेबर्ड इंडिया लिमिटेड (डब्लूआईएल, बीपीएमईएल की एक सहायक कंपनी) में और रु.207.25 लाख (पिछले वर्ष रु. .207. 25 लाख) भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (बीडब्लूईएल, पूर्ववर्ती सहायक) में प्राप्य ब्याज के साथ, बीपीएमईएल से 33,656.29 लाख रुपये (पिछले वर्ष 33,656.29 लाख रुपये), डब्लूआईएल से 350.26 लाख रुपये (पिछले वर्ष 350.26 लाख रुपये) रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, प्रबंधन द्वारा किए गए आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर, इकाई की स्थिति के अनपेक्ष लागत पर किया गया है।

तद्नुसार 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण में ऐसे निवेशों के मूल्य में हानि और ऋणों के लिए हानि भत्ता और प्राप्य/उपार्जित ब्याज के लिए कोई निर्धारण और परिणामी प्रावधान नहीं किया गया है।

58 भारत सरकार के दिनांक 26.08.2003 के पत्रांक 17(12)/2000 पी.ई. III द्वारा अनुमति दिए जाने के पश्चात् कंपनी द्वारा जेसप एण्ड कंपनी लिमिटेड (जेसप)एवं इण्डो वैगन इंजीनियरिंग कंपनी लि. के बीच एवं उनके द्वारा निष्पादित शेयर खरीद करारनामा की शर्तों के मुताबिक जेसप का 6,81,34,428 अदद (यानी 72 प्रतिशत) इक्विटी शेयरों का बिक्री हस्तान्तरण कंपनी द्वारा 29.08.2003 को 1818.00 लाख रु. की एवज में इण्डो वैगन इंजीनियरिंग कंपनी लि. के पक्ष में कर दिया गया। प्रचलित कानून के अधीन अनुपालन लंबित रहने पर 1818.00 लाख रु. (1,818.00 लाख रु.) उगाही की गई समूची बिक्री राशि को भारत सरकार को अंतरित कर दी गयी है।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

59 वर्ष 2005-06 के दौरान जेसप एण्ड कंपनी लिमिटेड ने औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण पर्षद (बीआईएफआर) के पास इक्विटी शेयरों के नाममात्र मूल्य 10 रु. से 1 रु. निर्धारित (कम) करने के लिए आवेदन किया है। बीआईएफआर ने 31.08.2005 को जारी निर्देशों से जेसप एण्ड कंपनी लिमिटेड को कंपनी अधिनियम, 1956 की धाराएँ 100, 101, 102 एवं 103 के अधीन प्रावधानों की शर्तों के मुताबिक इक्विटी शेयर पूंजी में कमी करने के लिए अनुमति प्रदान की है।

कंपनी ने बीआईएफआर के पूर्वोक्त निर्देशों के विरूद्ध औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण पर्षद के अपीलीय प्राधिकारी (बीआईएफआर) के समक्ष रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 की धारा -25 के अधीन एक अपील भी दायर की है। एएआईएफआर ने दिनांक 28.02.2008 के अपने आदेश द्वारा दूसरे अपील के साथ कंपनी द्वारा दाखिल अपील को खारिज कर दिया है जबकि एक अपील पहले उठा लिया गया है।

कंपनी ने एएएफआईआर के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च-न्यायालय कोलकाता में एक रिट याचिका दायर की है, जो आज की तारीख पर निपटारा के लिए लंबित है। कंपनी ने 29.08.2003 को विवाद को कंपनी द्वारा इण्डो वैगन इंजीनियरिंग कंपनी लि. (जेसप से रणनीति भागीदार) के बीच "शेयरधारकों के करारनामे" के अनुसार मध्यस्थता के लिए सुपुर्द किया है। अंतिम निर्णय सुनाने के बाद लेखांकन मानकों एवं सरकारी निर्देशों का पालन करते हुए लेखा बहियों में परिणामिक लेखा प्रभाव को दिखाया जाएगा। अंतिम निर्णय सुनाने के बाद लेखांकन मानकों एवं सरकारी निर्देशों का पालन करते हुए लेखा बहियों में परिणामिक लेखा प्रभाव को दिखाया जाएगा।

60 वर्ष 2005-06 के दौरान, अक्टूबर 2001 से अगस्त 2003 तक की अवधि के लिए सेवा प्रभार के रूप में वसूल किया गया 82.72 लाख रुपये जेसप एण्ड कंपनी लिमिटेड को वापस किया गया था। कंपनी ने ब्याज एवं खर्च के साथ राशि की वसूली के लिए मामला दायर की है, जो आज की तारीख तक निपटारा हेतु लंबित है।

61 कंपनी ने सहायक कंपनी, भारत प्रोसेस एण्ड मेकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड ('बीपीएमईएल') एवं वेबर्ड इंडिया लिमिटेड ('डब्ल्यूआईएल'), द्वितीय स्तर सहायक कंपनी('सहायिकाएं') को 6,588.99 लाख रुपये की मंजूर किए ऋण और भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ('बीडब्ल्यूईएल') को 207.25 लाख रुपये के ऋण पर उपचित ब्याज का हिसाब में नहीं रखी है क्योंकि कंपनी की उपरोक्त सहायक कंपनियां समापन के अधीन हैं, इसलिए उनसे उगाही नहीं हो सकती है।

कंपनी ने भारत सरकार से लिए गए 6589 लाख रुपये के ऋण पर देय ब्याज का प्रावधान भी नहीं किया है, जिसका उपयोग कंपनी की पूर्वोकत सहायक कंपनियों को ऋण प्रदान करने के लिए किया गया था। यदि इस तरह के ऋण पर चालू वित्त वर्ष के लिए वित्त लागत हेतु देय ब्याज 2131.26 लाख रु. (विगत वर्ष 2155.92 लाख रु.) और भारत सरकार को देय राशि रु. 20571.35 लाख रु. (विगत वर्ष 18440.10 लाख रु.) से अधिक हुई होती। तदनुसार, चालू वित्त वर्ष के लिए लाभ 2131.26 लाख रु. (विगत वर्ष - 2155.92 लाख रु.) से कम हो गया होता।

62 वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान कंपनी गेबन गणराज्य में बिकेले टाउनशिप के करीब यूनिट के विनिर्माण के लिए बीसीडी इनगॉब कंसोरटियम के नाम के तहत कंसोरटियम व्यवस्था में प्रवेश किया है। विभिन्न शीर्षों यथा कि गांरटी प्रभार, यात्रा, संस्थापन खर्च आदि पर हुए वास्तविक व्यय को छोड़कर कंपनी द्वारा प्रदत्त सेवाओं (कंसोरटियम भागीदार से हुए करारनामे के मुताबिक) का कुल मिलाकर मूल्य 2.75 करोड़ रु. तक निर्धारित था। कंपनी ने अपनी परिभाषित भूमिका एवं उत्तरदायित्वों के अंश के रूप में कंसोरटियम को जारी की गयी समान राशि का मोबिलाइजेशन एडवांस के विरूद्ध गेबन सरकार के पक्ष में 725,000 अमेरिकी डॉलर (परियोजना आदेश मूल्य का 5 प्रतिशत) कार्यनिष्पादन की गारंटी दी है। कंपनी ऐसी गारंटी (इस समय वैधता की अवधि समाप्त हो गयी) देने के लिए कंसोरटियम से मार्जिन धन प्राप्त की है।

परियोजना के निष्पादन में प्रगति संतोषजनक नहीं होने के कारण, कंपनी ने वहां से एक सम्मानजनक निकास की तलाश करने का निर्णय लिया, जिसका अनुसरण किया जा रहा है। मौजूदा समझौते के अनुसार, कंपनी परियोजना से होने वाले किसी भी नुकसान और/या घाटे की स्थिति में कंसोर्टियम पार्टनर को क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। हालांकि, एक मध्यस्थता कार्यवाही बीबीजे बनाम सीसीपीएल (संघ भागीदार) माननीय एकमात्र मध्यस्थ- न्यायमूर्ति रंजीत कुमार बाग (सेवानिवृत्त) के समक्ष लंबित है।

63 कोविड-19 महामारी ने लॉकडाउन और सरकारों द्वारा लगाए गए अन्य आपातकालीन उपायों के कारण विभिन्न व्यावसायिक कार्यों को बाधित कर दिया है। देशव्यापी तालाबंदी के बाद निर्माण स्थलों और कार्यालयों के बंद होने के कारण कंपनी का संचालन प्रभावित हुआ। कंपनी अधिकारियों के निर्देशों के अनुरूप चरणबद्ध तरीके से अपना परिचालन जारी रखे हुए है।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

कंपनी ने अपने व्यापार संचालन पर इस महामारी के प्रभाव का मूल्यांकन किया है। चलनिधि, संपत्ति और वित्तीय स्थिति और वर्तमान संकेतकों और आर्थिक स्थितियों की कंपनी की समीक्षा के आधार पर 31 मार्च, 2022 तक इसके वित्तीय परिणामों पर कोई भौतिक प्रभाव और समायोजन की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, इसकी प्रकृति और अवधि से जुड़ी अनिश्चितताओं को देखते हुए कोविड-19 के प्रभाव का मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, जिसका प्रभाव इन वित्तीय परिणामों के अनुमोदन की तारीख के अनुमान से भिन्न हो सकता है। कंपनी भविष्य की आर्थिक स्थितियों और इसके प्रभावों, यदि कोई हो, में किसी भी भौतिक परिवर्तन की निगरानी करना जारी रखेगी।

64 भारतीय मानक 116 के तहत प्रकटीकरण के संबंध में जो 01/04/2019 से प्रभावी हो गया है, वर्ष के दौरान कोई परिचालन पट्टा मौजूद नहीं है और इसलिए इस संबंध में किसी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

65 पिछले वर्ष के आँकड़ों को आवश्यकतानुसार पुनर्समूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश 1

संलग्न टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

उसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते बी.मुखर्जी एंड कं. के लिए

सनदी लेखाकार

फर्म की पंजीकरण संख्या: 302096E

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

सीआईएन: U70100WB1986GOI041286

सीए तपन कुमार चट्टोपाध्याय
साझेदार
सदस्यता संख्या 053195
यूडीआईएन:22053195AREMAT2546

सुंदर बनर्जी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन:06862063

मुकेश कुमार
निदेशक (वित्त)
डीआईएन:08778135

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 22-07-2022

एसके घोष
उप महाप्रबंधक (वित्त)
पैन:AMTPG 9199H

एनके मिश्रा
कंपनी सचिव
पैन: AIQPM 3388P

जम्मू और कश्मीर के जिला रामबन में, यू एस बी आर एल परियोजना के तहत संगलदान सेक्शन के पुल क्रमांक-1 का निर्माण कार्य प्रगति पर है

At Jammu & Kasmir in District Ramban, under the USBRL Project at Sangaldan section, erection is in progress for Bridge no 1

लोंडा-मिराज, कर्नाटक में पुल का निर्माण कार्य प्रगति पर है

Erection is in Progress for Bridge at Londa-Miraj, Karnataka

दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड
जेसप कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

THE BRAITHWAITE BURN AND JESSOP CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

(A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE)

27, आर एन मुखर्जी रोड, कोलकाता-700 001, पश्चिम बंगाल, भारत
27, R. N. Mukherjee Road, Kolkata - 700 001, West Bengal, India.